



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 13—अगस्त 19, 2016 (श्रावण 22, 1938)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13—AUGUST 19, 2016 (SRAVANA 22, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400001, दिनांक 24 जून 2016

सं. बैविवि.आइबीडी.सं.16138/23.13.077/2015-16—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-
धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि केबीसी बैंक एन.व्ही.उक्त अधिनियम के
अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कंपनी नहीं है।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

मुम्बई-400051, दिनांक 13 जुलाई 2016

सं. सबैविवि.केका.सं.एलसी - 06/08.01.205/2016-17—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर
यथा लागू) की धारा 36ए (2) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक
लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) इस अधिनियम के अर्थ में सहकारी बैंक नहीं रह गया है, तथा तब इस अधिनियम के वे सब उपबंध,
जो ऐसे सहकारी बैंक को लागू होते हैं, ऐसी सूचना के पूर्व की गई या न की गई बातों के ही संबंध में लागू होंगे अन्यथा नहीं।

सुमा वर्मा
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

नाबार्ड
वार्षिक लेखे

2015-16

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

निदेशक मंडल

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) की 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के संलग्न स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2016 का तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं का सारांश शामिल है। वित्तीय विवरणों में 11 क्षेत्रीय कार्यालयों और एक प्रशिक्षण केन्द्र के विवरण शामिल हैं जिनका हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया है और इनका प्रधान कार्यालय सहित अग्रिमों में 71.41%, जमा राशियों और सावधि मुद्रा उधार की धनराशि में 99.74%, ब्याज आय में 86.85% और ब्याज व्यय में 99.77% हिस्सा बनता है। इन कार्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्र का चयन बैंक के परामर्श से किया गया है। हमने बैंक के शेष कार्यालयों अर्थात् 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा नहीं किया है और उनके विवरणों की समीक्षा प्रधान कार्यालय में की है।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो वास्तविक स्थिति के प्रस्तुतीकरण के लिए समुचित हैं तथा चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों, भी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए लेखा परीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिससे समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य प्रक्रिया शामिल है। चुनी हुई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के विवेक पर आधारित होती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे यह दुष्प्रस्तुति धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हुई हो। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखा परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखता है जो बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनमें वास्तविक स्थिति के प्रस्तुतीकरण के लिए समुचित हैं, ताकि दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके। परंतु यह इस प्रयोजन के लिए नहीं है कि बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रण कि परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर राय व्यक्त की जाए। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलनों की तार्किकता के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में, बैंक की बहियों में यथा वर्णित और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार;

- क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों से युक्त पूर्ण और स्पष्ट तुलन पत्र है और उसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2016 को बैंक के कार्यों की सही और स्पष्ट स्थिति की जानकारी मिल सके।
- ख. संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लाभ का सही शेष दर्शाता है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप है, और
- ग. नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप से दर्शाता है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 में यथा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
- ख. बैंक के जिन लेन-देनों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत थे।
- ग. हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों जिनका हमने दौरा नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं।

हमारी राय में, उक्त स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का पालन करते हैं।

कृते व्यास एण्ड व्यास

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 000590सी)

ओ पी व्यास

साझेदार

(सदस्यता सं. 014081)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई 2016

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

तुलन पत्र - 31 मार्च 2016 की स्थिति

(₹ हजार में)

क्रम सं	निधियां और देयताएं	अनुसूची	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	i) पूंजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत)		5000,00,00	5000,00,00
	ii) शेयर पूंजी के लिए अग्रिम (अनुसूची 18 का नोट बी-41.2 देखें)		300,00,00	0
	कुल		5300,00,00	5000,00,00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित	1	22126,00,69	19600,98,97
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	16074,00,00	16070,00,00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	4895,17,31	4209,50,61
5	सरकारी योजनाएं	4	1122,76,27	1500,52,28
6	जमा राशियां	5	189786,33,74	186454,24,34
7	बान्ड और डिबेंचर	6	39123,49,36	34007,49,36
8	उधार	7	20584,37,09	9476,16,79
9	चालू देयताएं और प्रावधान	8	11372,77,54	9729,45,53
	कुल		310384,92,00	286048,37,88
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		700,35,41	640,45,99

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

तुलन पत्र - 31 मार्च 2016 की स्थिति

(₹ हजार में)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियां	अनुसूची	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	नकदी और बैंक शेष	9	18547,87,43	13125,95,67
2	निवेश	10	26465,92,80	21495,89,83
3	अग्रिम	11	260493,44,45	245899,49,33
4	अचल आस्तियां	12	352,53,93	325,19,37
5	अन्य आस्तियां	13	4525,13,39	5201,83,68
	कुल		310384,92,00	286048,37,88
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		700,35,41	640,45,99
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग है

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

व्यास एंड व्यास

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000590सी

ओ पी व्यास

साझेदार

एम संख्या 014081

मुंबई : 23 मई 2016

ए. के. साहू

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

मुंबई : 23 मई 2016

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्षआर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशकएच. आर. खान
निदेशकअनूप कुमार दास
निदेशकके सईद अली
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(₹ हजार में)

क्रम	आय	अनुसूची	2015-16	2014-15
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		17711,70,59	15267,30,41
2	निवेश परिचालनों / जमाराशियों से आय		2812,14,00	2217,97,27
3	अन्य आय (अनुसूची 18 का नोट आ-11 देखें)		206,27,32	319,18,58
	कुल "अ"		20730,11,91	17804,46,26
क्रम	व्यय	अनुसूची	2015-16	2014-15
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	14	15438,61,32	12928,96,33
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 अ	1461,10,00	1229,68,87
3	संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 आ	45,53,65	61,19,18
4	प्रावधान	16	105,99,99	114,24,70
5	मूल्यहास		26,12,23	48,90,87
	कुल "आ"		17077,37,19	14382,99,95
6	आयकर से पूर्व लाभ (अ - आ)		3652,74,72	3421,46,31
7	निम्नलिखित हेतु प्रावधान			
	क) आयकर		1140,00,00	1053,90,14
	ख) आस्थगित कर - (आस्ति) (अनुसूची 18 का नोट आ-13 देखें)		-11,06,00	-35,70,00
8	कर पश्चात् लाभ		2523,80,72	24,03,26,17
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	18	-	-

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन खाता

		(₹ हजार में)	
क्रम	विनियोजन / आहरण	2015-16	2014-15
1	वर्ष का लाभ नीचे लाया गया	2523,80,72	2403,26,17
2	जोड़ें : लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण		
	क) सहकारिता विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	15,39,97	11,71,09
	ख) अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	35,44,30	20,22,32
	ग) उत्पादक संगठन विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	2,62,33	2,14,71
	घ) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (अनुसूची 1 देखें)	0	95,63,15
	ड) ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	2,60,42	2,29,35
	च) कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	24,90,93	43,63,72
2.1	बंद की गई निधियों से आहरण		
	एमएफडीईएफ (अनुसूची 18 का आ-7 देखें)	3,21,00	2,18,00
3	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	2607,99,67	2581,08,51
	घटाएं : निम्नलिखित में अंतरित किया गया :		
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	550,00,00	490,00,00
	ख) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि (अनुसूची 2 देखें)	1,00,00	1,00,00
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि (अनुसूची 2 देखें)	1,00,00	1,00,00
	घ) अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	35,44,30	20,22,32
	ड) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (अनुसूची 1 देखें)	296,00,00	63,93,15
	च) कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	10,61,72	50,00,00
	छ) ग्राम्य विकास निधि (अनुसूची 1 और अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)	20,00,00	0
	ज) जलवायु निधि (अनुसूची 1 देखें और (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)	5,00,00	0
	झ) प्रारक्षित निधि	1688,93,65	1954,93,04
	कुल	2607,99,67	2581,08,51

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणियों के लिए अनुसूची 18 देखें

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

व्यास एंड व्यास

सनदी लेखाकार

ओ पी व्यास

साझेदार

23 मई 2016

ए. के. साहू

मुख्य महाप्रबंधकमुंबई :

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला

अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन

उप प्रबंध निदेशक

एच. आर. खान

निदेशक

अनूप कुमार दास

निदेशक

के सईद अली

मुख्य महाप्रबंधक

तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय/ परिवर्धन/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2016 को शेष
1	प्रारक्षित निधि	12714,03,08	-	1688,93,65	-	14402,96,73
2	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00	-	35,44,30	35,44,30	50,00,00
3	प्रारक्षित पूंजी	74,80,53	-	-	-	74,80,53
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	655,00,00	-	296,00,00	-	951,00,00
5	सहकारिता विकास निधि	81,82,16	-	-	15,39,97	66,42,19
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	5885,00,00	-	550,00,00	-	6435,00,00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	45,62,95	-	-	2,62,33	43,00,62
8	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि	20,41,04	-	-	2,60,42	17,80,62
9	कृषि क्षेत्र और संवर्धन निधि	74,29,21	-	10,61,72	24,90,93	60,00,00
10	ग्राम्य विकास निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)	-	-	20,00,00		20,00,00
11	जलवायु निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-9 देखें)	-	-	5,00,00		5,00,00
	कुल	19600,98,97	-	2605,99,67	80,97,95	22126,00,69
	गत वर्ष	17156,54,80	41,00,00	2579,08,51	175,64,34	19600,98,97

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2016 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14485,00,00	1,00,00	1,00,00	14487,00,00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1585,00,00	1,00,00	1,00,00	1587,00,00
	कुल	16070,00,00	2,00,00	2,00,00	16074,00,00
	गत वर्ष	16066,00,00	2,00,00	2,00,00	16070,00,00

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	निधि में जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2016 को शेष
अ	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान					
1	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V निधि (अनुसूची 18 का नोट आ-5 देखें)	1,79,73	5,19,11	4,57	4,93,16	2,10,25
2	केएफडब्ल्यू - एनबी-IX आदिवासी विकास कार्यक्रम, महाराष्ट्र	3,93,46	-	-	1,43	3,92,03
3	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ 5 देखें)	3,52,67	-	13,51	3,39,68	26,50
4	केएफडब्ल्यू-एनबी-यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	-	82,04	-	82,04	-
5	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम - जोखिम शमन निधि	-	-	-	-	-
6	केएफडब्ल्यू-यूपीएनआरएम निधि	-	-	-	-	-
7	केएफडब्ल्यू-एनबी-इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरणIII- महाराष्ट्र (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	31,92	-	1,89	20,99	12,82
8	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	-	2,31,58	2,60	2,03,15	31,03
9	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	36,27	4,28,17	16,80	83,22	3,98,02
10	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान	-	3,14,84	-	3,14,84	-

11	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि प्रियदर्शिनी	-	6,90,55	-	6,90,55	-
12	जीआईजेड-ग्रामीण वित्तीय संस्था कार्यक्रम (आरएफआईपी)	1,22,76	1,56,13	-	2,78,89	-
13	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	-	1,00,06	-	38,57	61,49
14	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी)-परियोजना निरूपण अनुदान	19,03	19,03		17,50	20,56
15	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी)-परियोजना / कार्यक्रम कार्यान्वयन खाता	3,40,48	6,01,10	-	2,61,46	6,80,12
16	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन खाता (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	-	114,43,30	1,06,67	26,74,70	88,75,27

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय/ संवितरण	31.03.2014 को शेष
आ 1	अन्य निधियां वाटरशेड विकास निधि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	1084,94,05	-	64,33,75	40,53,35	1108,74,45
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	227,86,06	18,67,21	-	-	246,53,27
3	ब्याज विभेदक निधि-(तावा)	10,00	-	-	-	10,00
4	आदिवासी विकास निधि	5,77,50	-	-	-	5,77,50
5	आदिवासी विकास निधि (i) (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	742,26,63	379,43,19	49,82,53	294,79,38	876,72,97
6	वित्तीय समावेशन निधि (ii) (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	2069,41,76	698,73,35	132,97,20	448,38,13	2452,74,18
7	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि	(49,34,27)	49,34,27	-	-	-
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस् विकास सहयोग परियोजना	55,61,77	-	-	-	55,61,77
9	आरपीएफ और आरआईएफ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	56,54,88	-		16,73,07	39,81,81
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिज - (सी-पेक) (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	155,91	34,58	12,78	-	2,03,27

11	एमएफडीईएफ (बंद निधि) (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-7 देखें)		3,21,00		3,21,00	-
	कुल	4209,50,61	1295,59,51	248,72,30	858,65,11	4895,17,31
	गत वर्ष	4023,50,56	1397,13,75	233,54,58	1444,68,28	4209,50,61

1 अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-1 देखें

2 नाबार्ड उपर्युक्त निधियों के लिए भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और निधियों को संबंधित योजनाओं के अंतर्गत संवितरण/ उपयोग के लिए इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अनुप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है।

3 (i) अदा किया गया आयकर ₹ 130.21 करोड़ शामिल है

(ii) अदा किया गया आयकर ₹ 241.82 करोड़ शामिल है

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान पारिवर्द्धन / समायोजन	जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय/ संवितरण	31.03.2016 को शेष
अ	सरकारी सब्सिडी योजनाएं					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	1,44,40	-	-	1,05,98	38,42
2	शीतगृहों के लिए पूंजी सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	8,40	-	-	-	8,40
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	-	2,14,81	-	2,10,09	4,72
4	फसल उत्पादन हेतु ऑन-फार्म जल प्रबंधन	7,17	-	-	-	7,17
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	77,26,15	-	-	-	77,26,15
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	2,15	-	17	-	2,32
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5 देखें)	5,12	-	40	-	5,52
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	3,03,06	5,00,00	-	3,68,23	4,34,83
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4,29,45	-	-	-	4,29,45
10	छोटे रुमेन्थक और खरगोशों के समन्वित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	21,79,65	10,02,48	-	30,51,24	1,30,89

11	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	15,11,30	-	-	(7,17,40)	22,28,70
12	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	5,00,65	-	-	1,96	4,98,69
13	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि (सब्सिडी)	18,63,53	38,17,52	-	45,87,50	10,93,55
14	आईएसएएम - कृषि विपणन आधारभूत सुविधाएं	94,67,54	698,07,44	-	741,67,02	51,07,96
15	आईएसएएम - संवर्धनात्मक व्यय खाते के लिए प्राप्त अनुदान	-	2,56	-	1,33	1,23
16	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना	2,98,72	-	-	1,32,00	1,66,72
17	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-5) देखें)	4,62	-	36	-	4,98
18	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बैफ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-3 देखें)	1,23	-	10	-	1,33
19	सीएसएस - सूअर पालन	3,25,36	-	-	(2,05)	3,27,41
20	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	32,43,24	117,00,00	-	111,14,55	38,28,69
21	सीएसएस - एस & आर - भैंस के नर कटड़े	1,26	-	-	(1,93)	3,19
22	सीएसएस - सोलर मिशन	5,50,89	(5,44,97)	-	5,11	81
23	सीएसएस - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन - सोलर लाइटिंग खाता	1,18,84	155,19,38	-	138,77,83	17,60,39
24	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग	115,54,22	-	-	9,68,77	105,85,45
25	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	2,67,03	8,70,00	-	10,91,86	45,17
26	सीएसएस - एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	-	20,43,00	-	-	20,43,00
27	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल रिचार्ज	1,33,74	-	-	(10,86)	1,44,60
आ	अन्य सरकारी योजनाएं					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर)2008	278,13,42	-	-	(5,34,37)	283,47,79
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	133,17,70	-	-	16,89,53	116,28,17
3	प्रोड्यूस निधि	198,99,63	-	-	21,16,67	177,82,96
4	23 गैर लाईसेंस शुदा जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	303,32,00	111,22,00	-	303,32,00	111,22,00
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	8,04	-	-	7,86	18
6	चीनी उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना - 2007 (एसईएफएसयू-2007)	65,27	-	-	-	65,27

7	कच्छ सूखा रोकथाम परियोजना	21,64	-	-	-	21,64
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए पैकेज (एलटीसीसीएस)	20,00,00	-	-	-	20,00,00
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्संरचना					
i	कार्यान्वयन लागत [आरआरआर - हथकरघा पैकेज] खाता -	-	-	-	-	-
ii	हानि युक्त आस्तियों पर व्यय (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) खाता	1,24,98	-	-	1,24,98	-
iii	पीडब्ल्यूसीएस पुनःपूँजीकरण (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) सहायता खाता	89,12,77	(7,00,00)	-	59,03,34	23,09,43
iv	पीडब्ल्यूसीएस पुनःपूँजीकरण (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) सहायता खाता	30,61,71	(1,34,05)	-	29,27,66	-
V	व्यक्तिगत बुनकर पुनःपूँजीकरण (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) सहायता खाता	35,30,72	4,69	-	14,64,66	20,70,75
Vi	तकनीकी सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	-	1,37,18	-	1,37,18	-
Vii	मा सं वि (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	1,67,20	-	-	-	1,67,20
Viii	ब्याज सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	-	-	-	-	-
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	1,49,48	21,71,19	-	21,89,53	1,31,14
	कुल	1500,52,28	1175,33,23	1,03	1553,10,27	1122,76,27
	गत वर्ष	875,80,20	1921,28,93	1,28	1296,58,13	1500,52,28

1 अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-1 देखें

2 नाबार्ड उपर्युक्त निधियों के लिए भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और निधियों को संबंधित योजनाओं के अंतर्गत संवितरण /उपयोग शेष के लिए इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अनुप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है

अनुसूची 5 - जमाराशियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	केन्द्र सरकार	0	0
2	राज्य सरकारें	0	0
3	अन्य		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	265,80,60	300,84,98
	ख) वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	96885,03,14	89603,39,36
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	53991,30,00	60000,00,00

	घ) अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	15997,10,00	30000,00,00
	ड) भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि	3550,00,00	1550,00,00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	18997,10,00	5000,00,00
	छ) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	100,00,00	0
	कुल	189786,33,74	186454,24,34

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	कर मुक्त बॉण्ड	5000,00,00	0
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	29147,00,00	29031,00,00
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	1,29,40	1,29,40
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	4975,19,96	4975,19,96
5	नाबार्ड रूरल बॉण्ड	0	0
	कुल	39123,49,36	34007,49,36

अनुसूची 7 - उधार

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
	(अ) भारत में		
1	केन्द्र सरकार	12,25,24	19,61,52
2	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन	14,55,68	35,82,00
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
4	अन्य:		
	(i) जमा प्रमाणपत्र	5545,20,40	0
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	12771,01,32	2898,04,50
	(iii) संपार्श्विक उधार एवं ऋण वितरण दायित्वों के अंतर्गत उधार	0	5280,66,50
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	1519,46,99	515,24,00
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियाँ	721,87,46	726,78,27
	कुल	20584,37,09	9476,16,79

उपर्युक्त में से, सीबीएलओ के अंतर्गत उधार ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों के समक्ष सुरक्षित हैं।

अनुसूची 8 - चालू देयताएं और प्रावधान

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउन्ट	8838,54,15	7698,97,07
2	विविध लेनदार*	928,11,91	540,22,16
3	प्रारक्षित अनुदान (सह-वित्त, शीतगृह)	14,38,95	13,80,41
4	प्रारक्षित अनुदान - आरआईडीएफ के अंतर्गत सीएसएमआई	54,80	2,27,06
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-36 देखें)	1,51,34	-
6	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-36 देखें)	110,37,36	59,93,44
7	साधारण छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-36 और अनुसूची 18 का नोट आ-25 देखें)	244,26,47	239,68,97
8	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-36 देखें)	116,86,22	106,61,60
9	बॉण्डों पर दावा न किया ब्याज	1,74,98	1,79,44
10	मीयादी जमा राशियों पर दावा न किया ब्याज	61	68
11	परिपक्व जमाराशियां लेकिन दावा नहीं किया गया	9,08	22,87
12	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा नहीं किया गया	3,36,79	363,14
13	बॉण्ड प्रीमियम खाता - कर मुक्त बॉण्ड	1,16,50	-
14	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
(क)	निवेश खाते के मूल्य में मूल्यहास - सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(ख)	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन - एचटीएम	6,48,10	4,81,79
(ग)	मानक आस्तियों के लिए	1063,00,00	1011,24,00
(घ)	निवेशों के मूल्य में हास - इक्विटी	-	-
(ङ)	गैर निष्पादक आस्तियां	-	-
(च)	गैर निष्पादक निवेश	16,00,00	16,00,00
(छ)	काउंटरसाइकिलकल प्रोविजनिंग बफर	14,44,89	14,44,89
(ज)	पुनः संरचित ऋणों के ब्याज घटक की छोड़ दी गई राशि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ- 43(बी) देखें)	3,25,42	15,21,01
(झ)	अन्य आस्तियों और प्राप्य हेतु प्रावधान	8,59,97	57,00
	कुल	11372,77,54	9729,45,53

* -एमएफडीईएफ के लिए ₹ 32.12 करोड़ राशि इसमें शामिल है (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ- 7 देखें)

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	हाथ में रोकड़	3	6
2	निम्नलिखित के पास शेष:		
	अ) भारत में बैंकों में		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	150,54,92	2030,03,79
	अन्य बैंक	0	0
	आ) अन्य		
	भारत में अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	643,70,73	120,03,75
	ख) बैंकों में जमा राशियां	15227,00,00	10811,00,00
	ग) मार्गस्थ प्रेषण	35,07,80	5,31
	घ) संपादकीय उधार और ऋण वितरण दायित्व	2491,53,95	164,82,76
	(इ) भारत से बाहर	0	0
	कुल	18547,87,43	13125,95,67

अनुसूची 10 - निवेश

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	सरकारी प्रतिभूतियां		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4796,24,58	3099,48,70
	[अंकित मूल्य ₹ 4828,78,30,000 (₹ 3133,97,80,000)]		
	[बाजार मूल्य ₹ 4907,77,65,515 (₹ 3166,61,16,724)]		
	ख) ट्रेजरी बिल	836,44,45	5346,42,17
	[अंकित मूल्य ₹ 887,98,50,000 (₹ 5465,81,75,000)]		
	[बाजार मूल्य ₹ 836,44,44,755 (₹ 5346,42,17,463)]		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
	(क) कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) - ₹ 10,000 प्रति इक्विटी शेयर]	1,00,00	1,00,00
	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि. [1,60,00,000 (1,60,00,000) - ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	48,00,00	48,00,00

	(ग) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	60,00,00	60,00,00
	(घ) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [10,70,096 (15,62,500) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	85,61	1,25,00
	(ङ) नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. [56,25,000 (56,25,000) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	16,87,50	16,87,50
	(च) यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. [यूसीएक्स] [1,60,00,000 (1,60,00,000) -₹ 10/- के प्रति शेयर]	16,00,00	16,00,00
	(छ) इंडियन फाइनेन्सियल टेक्नालजी एण्ड एलाइड सर्विसेस (इक्विटी) [49 (0) -₹ 1000/- प्रति इक्विटी शेयर]	49	-
	(ज) सीएससी ई गवर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड इक्विटी [55,000 (0) -₹ 1000/- प्रति इक्विटी शेयर]	9,74,60	-
	(i) अन्य इक्विटी निवेश		
	कोल इंडिया लि. 77,389 (77,389) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	2,95,29	2,95,29
	(ii) पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. [17,592 (28,592) - ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	15,83	25,73
	(iii) एमओआईएल लि. [11,719 (11,719) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	43,95	43,95
	(iv) भारतीय स्टेट बैंक [प्रति शेयर ₹ 1 के 23,98,880 शेयर (प्रति शेयर 10 के 2,39,888 शेयर)]	37,54,25	37,54,24
	(v) पंजाब नेशनल बैंक [प्रति शेयर ₹ 2 के 36,000 (1,50,000) शेयर]	71,61	2,98,39
	(vi) लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 2 के 13,000 (13,000) शेयर]	2,25,22	2,25,22
	(vii) ऑइल एंड नैचरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 5 के 124,800 (60,000) शेयर]	4,28,93	2,67,04
	(viii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 10 के 858,626 (358,626) शेयर]	6,02,34	3,48,35
	(ix) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 2 के 80,000 (80,000) शेयर]	1,99,13	1,99,13
	(x) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 10 के 35,000 (35,000) शेयर]	1,20,32	1,20,32
	(xi) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 5 के 10,000 (10,000) शेयर]	2,55,49	2,55,49

	(xii) एनटीपीसी लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 10 के 70,000 (70,000) शेयर]	1,05,82	1,05,82
	(xiii) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड [प्रति शेयर ₹ 1 के 10,000 (10,000) शेयर]	2,39,88	2,39,88
4	डिबेंचर और बॉण्ड		
	(i) रासकृष्णावि बैंक के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-24 देखें)	4954,59,97	6469,24,23
	(ii) अपरिवर्तनीय डिबेंचर	427,44,37	150,17,52
5	सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम में शेयरहोल्डिंग		
	(i) नाबार्ड वित्तीय सेवाएं लि., कर्नाटक [10,20,06,300 (10,20,06,300) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	102,00,63	102,00,63
	(ii) एग्री-बिजनेस फिनान्स (आंध्र प्रदेश) लि. [2,63,22,000 (1,31,61,000) - ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	26,38,91	13,22,81
	(iii) नैब किसान (एग्री डेवलेपमेंट फिनान्स (तमिलनाडु) लि.) [46,66,67,000 (1,55,56,700) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	46,75,16	15,64,16
	(iv) नाबार्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लि. [50,00,000 (50,00,000) -₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर]	5,00,00	5,00,00
6	अन्य		
	(क) म्युचुअल फंड	4695,35,32	600,29,09
	(ख) वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹ 2150,00,00,000 (₹ 1000,00,00,000)]	2072,16,47	975,10,97
	(ग) जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य ₹ 7995,00,00,000 (₹ 4250,00,00,000)]	7894,73,82	4160,79,19
	(घ) एसईएफ - इंडियन एग्री-बिजनेस	9,26,26	8,33,12
	(ङ) एपीआईडीसी - वेंचर्स लाइफ फंड III	13,93,47	12,48,69
	(च) बीवीएफ (बायो-टेक वेंचर निधि) - एपीआईडीसी-Vनिवेश	4,98,35	4,98,35
	(छ) ओमिनोवोर इंडिया कैपिटल ट्रस्ट	17,73,40	13,00,80
	(ज) इंडिया अपोरच्युनिटीज	10,21,84	7,32,05
	(झ) आईवीकैप वेंचर्स फंड	19,60,00	12,00,00
	(ञ) टाटा पूंजी नवोन्मेष निधि	49,23,86	29,51,25
	(य) टीवीएस श्रीराम ग्रोथ निधि आईबी	20,06,37	8,34,37
	(र) गोल्डन गुजरात	50,00	-
	(ल) ईओएल के लिए निर्धारित निवेश (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ- 25 देखें)	247,19,31	257,60,38
	कुल	26465,92,80	21495,89,83

उपर्युक्त सभी निवेश भारत में किए गए हैं

@ कंपनी का मूल्य ₹ 1/- आँका गया है। निवेश के समक्ष प्रावधान को गैर परफॉर्मिंग निवेश के समक्ष प्रावधान खाते के तहत दिखाया गया है अनुसूची -9 (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ- 35 देखें)

अनुसूची 11 - अग्रिम

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	पुनर्वित्त ऋण		
	(क) उत्पादन और विपणन ऋण	69718,82,41	88711,21,42
	(ख) उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	446,89,97	-
	(ग) अन्य निवेश ऋण		
	(i) मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-24 देखें)	84468,94,25	61916,86,41
	(ii) अंतरिम वित्त	-	-
	(iii) जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	3250,75,00	2818,16,68
	(iv) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन	6,24,05	13,25,59
2	प्रत्यक्ष ऋण		
	(क) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	91384,11,85	83545,23,44
	(ख) भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि के अंतर्गत ऋण	2361,95,48	1153,50,18
	(ग) दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	66,38,22	58,56,55
	(घ) नाबाई आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	3238,89,45	2222,63,12
	(ङ) उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) के अंतर्गत ऋण (प्रावधान को घटाकर)	377,76,82	354,86,25
	(च) फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	4948,50,00	4827,45,00
	(छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि [2014-15]	20,56,80	-
	(ज) अन्य ऋण :		
	(i) सहकारिता विकास निधि कार्यक्रम ऋण	85,72	1,28,57
	(ii) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	4,43,79	12,81,10
	(iii) वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम ऋण	39,97,15	41,45,01
	(iv) आदिवासी विकास निधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	14,63,91	15,11,30
	(v) केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	98,75,26	127,24,42
	(vi) गैर-कृषि क्षेत्र संवर्धनात्मक गतिविधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	-	7,36,16
	(vii) कृषक प्रौद्योगिकी अंतरण निधि	-	20,29
	(viii) कृषीतर क्षेत्र संवर्धनात्मक गतिविधि कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को घटाकर)	41,26,86	12,48,20
	(ix) कृषि क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम ऋण	49,87	1,70,39
	(झ) सह वित्तपोषण ऋण (प्रावधान को घटाकर)	3,17,59	9,50,08
	(त्र) सीपी - एचसीसी डीमंड अग्रिम (प्रावधान को घटाकर)	-	48,59,18
	कुल	260493,44,45	245899,49,33

अनुसूची 12 - अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-23 देखें) अथ शेष	162,43,60	162,83,32
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	6,15,01	-39,72
	उप-जोड़	168,58,61	162,43,60
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	168,58,61	162,43,60
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	51,20,19	49,06,40
	बही मूल्य	117,38,42	113,37,20
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-23 देखें) अथ शेष	339,09,33	304,35,84
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	22,03,04	34,73,49
	उप-जोड़	361,12,37	339,09,33
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	361,12,37	339,09,33
	घटाएं : अब तक मूल्यहास	227,19,80	215,59,87
	बही मूल्य	133,92,57	123,49,46
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	अथ शेष	61,06,62	56,79,08
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	2,09,02	4,72,65
	उप-जोड़	63,15,64	61,51,73
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	92,69	45,11
	इति शेष (लागत पर)	62,22,95	61,06,62
	घटाएं : अब तक मूल्यहास	57,96,33	57,26,12
	बही मूल्य	4,26,62	3,80,50
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	अथ शेष	95,21,88	88,71,46
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	6,85,58	9,29,90
	उप-जोड़	102,07,46	98,01,36
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	3,40,24	2,79,48

	इति शेष (लागत पर)	98,67,22	95,21,88
	घटाएं : अब तक मूल्यहास	89,91,75	84,04,56
	बही मूल्य	8,75,47	11,17,32
5	वाहन		
	अथ शेष	6,21,71	5,49,45
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	4,18,04	1,80,14
	उप-जोड़	10,39,75	7,29,59
	घटाएं : बेची हुई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	2,27,48	1,07,88
	इति शेष (लागत पर)	8,12,27	6,21,71
	घटाएं : अब तक मूल्यहास	3,45,93	3,49,39
	बही मूल्य	4,66,34	2,72,32
6	चल रहे पूंजीगत कार्य [स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों की खरीद] (अनुसूची 18 की टिप्पणी अ-4(i) देखें)	83,54,51	70,62,57
	कुल	352,53,93	325,19,37

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	उपचित ब्याज	3578,03,26	4343,28,05
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1,16,10	1,18,51
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	3,61,62	3,38,68
4	स्टाफ को आवास ऋण	140,44,51	1,54,79,67
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	96,45,24	89,52,67
6	भूस्वामियों को अग्रिम	1,14	1,04
7	विविध अग्रिम	38,25,15	21,42,04
8	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-36 देखें)	-	-
9	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को घटाकर)	382,23,63	251,81,23
10	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-13 देखें)	162,52,02	151,46,02
11	भारत सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली-योग्य व्यय (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	17,28,58	33,58,05
12	प्राप्य डिस्काउंट	105,12,14	151,37,72
	कुल	4525,13,39	5201,83,68

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	भुगतान किया गया ब्याज		
	क) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियों पर	5737,78,85	5292,52,13
	ख) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि पर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-10 देखें)	2552,67,53	2314,38,04
	ग) अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि पर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-10 देखें)	1451,64,88	1271,95,44
	घ) चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियों पर	17,58,61	20,27,39
	ड) सीबीएस जमाराशियों पर	7,36	77,33
	च) केंद्र सरकार से प्राप्त ऋणों पर	1,01,17	2,14,58
	छ) भारतीय रिज़र्व बैंक से उधारियों पर	-	-
	ज) बाण्डों पर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-10 देखें)	3330,72,32	2970,15,27
	झ) वाणिज्यिक पत्र पर	972,06,16	429,32,09
	ञ) मीयादी मुद्रा उधार पर	65,08,57	24,05,01
	ट) अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार पर	60	2,70
	ठ) जमाराशि प्रमाणपत्रों पर भुगतान किए गए डिस्काउन्ट की लागत पर	42,23,18	-
	ड) भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कॉर्पोरेट उधार पर	-	-
	ढ) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार पर	25,94,50	27,69,95
	ण) वाटरशेड विकास निधि पर	64,33,75	57,14,75
	त) ग्रामीण नवोन्मेष निधि पर	0	2,99,68
	थ) वित्तीय समावेशन निधि पर	132,97,20	108,39,83
	द) इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश पर	2,60	2,36
	ध) इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान पर	-	96
	न) इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात पर	16,80	1,23
	प) केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपायों पर	13,51	18,47
	फ) केएफडब्ल्यू - एनबी इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण III- महाराष्ट्र पर	1,89	4,56
	ब) केएफडब्ल्यू - एनबी -IXआदिवासी विकास कार्यक्रम पर	-	38,06
	भ) केएफडब्ल्यू - एनबी - V आदिवासी परियोजना पर	4,57	8,39
	म) वायदा प्रभार - केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम उधार पर	11,96	26,42
	(र) गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बैंक परियोजना-सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश पर	36	45
	ल) गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बैंक परियोजना-रायबरेली, उत्तर प्रदेश पर	10	12

	व) पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार) पर	57	71
	श) आदिवासी विकास निधि वाडी (पश्चिम बंगाल) पर	49,82,53	64,12,22
	ष) सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेन्स इन को-ऑपरेटिक्स (सी-पेक) पर	12,78	14,06
	स) भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि पर	121,39,01	87,95,28
	ह) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि पर	700,06,94	124,76,64
	क्ष) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि पर	5,98,75	-
	त्र) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि पर	1,06,67	-
2	संपाश्वर्कृत उधार और ऋण वितरण दायित्वों के डिस्काउंट पर	107,80,61	96,73,65
3	बाण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्गम व्यय पर	35,48,83	9,16,63
4	पूँजीगत हानि - अन्य संस्थाओं के इक्विटी शेयर	42,29	5,64
5	स्वैप प्रभारों पर	21,75,87	23,16,29
	कुल	15438,61,32	12928,96,33

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-12 देखें)	715,26,42	725,84,75
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों के लिए प्रावधान / में अंशदान	463,66,78	250,28,44
3	अन्य अधिलाभ एवं भत्ते	35,60,69	29,53,45
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	22,66	39,95
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	2,37	2,75
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	34,83,74	31,81,58
7	यात्रा व्यय	32,20,14	28,00,71
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	4,24,88	3,94,40
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	12,98,49	12,25,70
10	मरम्मत	27,92,55	19,44,75
11	लेखापरीक्षकों की फीस	31,04	34,99
12	विधिक प्रभार	99,92	1,59,83
13	विविध व्यय	63,06,27	59,36,70
14	विविध आस्तियों पर व्यय	8,07,15	8,32,06
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय [प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना व्ययों से संबंधित ₹ 13,23,77,118.71 (₹ 19,48,20,487.32) सहित]	62,33,87	52,94,28
16	संपत्ति कर	(66,97)	5,54,54
	कुल	1461,10,00	1229,68,87

अनुसूची 15 आ - संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
(i)	सहकारिता विकास निधि	15,39,97	11,71,09
(ii)	उत्पादक संगठन विकास निधि	2,62,33	2,14,71
(iii)	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्द्धन निधि	2,60,42	2,29,35
(iv)	गैर कृषि क्षेत्र संवर्द्धनात्मक उपायों/गतिविधियों के लिए व्यय	-	1,39,68
(v)	कृषि क्षेत्र संवर्द्धनात्मक निधि के अंतर्गत व्यय	24,90,93	43,63,72
(vi)	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	63
	कुल	455365	61,19,18

अनुसूची 16 - प्रावधान

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
	प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	51,76,00	124,20,00
2(क)	अनर्जक आस्तियाँ	66,10,64	-
2(ख)	अनर्जक आस्तियाँ - स्टाफ	1,47	3,64
3	अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	-	16,00,00
4	निवेश खाते के मूल्य में हास - इक्विटी	-	(59,28)
5	पुनःसंचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-43 देखें)	(11,95,58)	(219636)
6	अन्य आस्तियाँ / प्राप्य	7,46	(3,43,30)
	कुल	105,99,99	11,42,470

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	71,29,68	51,02,19
	उप जोड़ ₹ ₹ अ"	71,29,68	51,02,19
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	0	0
	उप जोड़ ₹ ₹ आ"	0	0
	कुल (अ + आ)	71,29,68	51,02,19

अनुसूची 18

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं; इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों से सुसंगत हैं।

2. अनुमानों का उपयोग :

सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के क्रम में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और परिचालनों के परिणामों और कामकाज की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की जानकारी के आधार पर हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ये भिन्नताएं ऐसे निष्कर्षों के परिणाम के वर्ष में सामने आती हैं।

3. राजस्व निर्धारण :

3.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध, निम्नलिखित मदों को छोड़कर आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.
- ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंड ब्याज के रूप में आय।
- iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार।
- iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई द्वारा ₹ 10,000 तक के व्यय।

3.2 निर्गमित बाण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बढ़ा राशि को बाण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया। बाण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बाण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है।

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है।

3.4 (I) उद्यम पूंजी निधि से आय को वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया।

(II) सब्सिडी जारी करना जिसमें नाबार्ड एक पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य करता है, की गणना भुगतान आधार पर की जाती है, जो संबंधित योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के अधीन है।

3.5 संपत्ति कर के लिए प्रावधान संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं।

3.6 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है :

- i) दंड ब्याज
- ii) लागत और प्रभार
- iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज
- iv) मूलधन

4. अचल आस्तियां और मूल्यहास

क) अचल आस्तियों का मूल्य अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित

कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब विद्यमान आस्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से अधिक बढ़ जाता है।

- ख) भूमि में स्वामित्व वाली और पट्टा वाली भूमि शामिल है।
- ग) जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है, वहाँ परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है
- घ) स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसरों पर हासित मूल्य के आधार पर 10% वार्षिक की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।
- ङ) पट्टे की भूमि और उस पर स्थित परिसरों पर मूल्यहास की गणना की गई है और हासित मूल्य के आधार पर 5% की दर, या पट्टा की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रीमियम/ लागत के परिशोधन से प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, की दर से प्रभारित किया गया।
- च) ₹ 1 लाख और इससे कम मूल्य की अचल परिसंपत्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कीमती, परंतु आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन जिनकी प्रत्येक की कीमत यदि ₹ 10,000 से अधिक है; उन्हें पूंजीकृत किया गया है। सभी सॉफ्टवेयर जिनका मूल्य ₹ 1 लाख और उससे कम है और जिसे स्वतंत्र रूप से खरीदा गया हो, उन्हें लाभ और हानि खाते में लिया गया है।
- छ) अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रबंधन द्वारा आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

आस्तियों के प्रकार	मूल्यहास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- ज) मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है, चाहे क्रय किसी भी तारीख को किया गया हो. वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।
- झ) चल रहे पूंजीगत कार्यों में पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं और इसे अचल आस्तियों में प्रकट किया गया है।

5. निवेश

- क) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचएमटी)" श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणियां" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है।
- ख) जो प्रतिभूतियां मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है, उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- ग) जहां लागत अंकित मूल्य के समान या कम है, वहाँ परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है, यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए

शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में यथावश्यक प्रावधान किया गया है। यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है।

- घ) "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के उन्मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि खाता में दर्शाया गया है और उसके बाद प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है।
- ड) "एफएएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए चिह्नित किया गया है। यदि कोई निवल मूल्यहास है, तो "एफएएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है। अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- च) "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए चिह्नित किया गया है। मूल्यहास/ मूल्यवृद्धि को "एचएफटी" श्रेणी के निवेशों में दर्शाया गया है। अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- छ) सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित में वर्गीकृत किया गया है।
- ज) खजाना बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन धारण लागत पर किया गया है।
- झ) यदि निवेशी कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन कंपनियों के अलग-अलग शेयरों के मूल्य के आधार पर किया गया है, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ₹ 1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है।
- ञ) असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।
- ट) शेयर बाजार में खरीदे/ बेचे गए शेयरों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई दलाली को पूंजीकृत किया गया है।
- ठ) ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किये गये/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री प्रतिफल शामिल नहीं किया गया है।
- ड) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, उस को हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यहास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- ढ) सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- ण) निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है।

6. अग्रिम और उन पर प्रावधान

- क) अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने निवेशों की मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

- ख) अग्रिमों की पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के समय, मूल करार के अनुसार भविष्य का मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भविष्य के मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।
- ग) अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है।
- घ) निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान संबंधित निधियों में यथा उपलब्ध प्रभारित किए गए हैं।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एस-II) (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया जाता है:

- क) विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक (पिछले वर्ष तक एफईडीआई दरों का उपयोग किया गया) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनःमूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में (तुलन पत्र से इतर मद के रूप में) कॉन्ट्रा मद के रूप में प्रकट किया जाता है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए देयता को पूर्णतया हेज किया गया है और तुलनपत्र में कांटेक्ट्रेड मूल्य (तुलन पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है
- ख) आय और व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया जाता है।

8. विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए लेखांकन

- क) विदेशी मुद्रा के पुनर्भुगतान को हेज करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं की गई हैं।
- ख) विदेशी विनिमय संविदाओं का वर्ष के अंत में एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनःमूल्यांकन किया जाता है। पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अधिलाभ/ घाटे को लाभ और हानि खाते में 'वायदा विनिमय संविदा खाते के पुनःमूल्यांकन पर प्राप्त अधिलाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत लिया जाता है। अधिलाभ/ कम हुई राशि को संविदा जारी रहने की अवधि तक हिसाब में लिया जाता है।
- ग) विदेशी विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण और नवीकरण के कारण अधिलाभ/ घाटे को 'विदेशी मुद्रा ऋण खाते में लाभ/हानि' शीर्ष के अंतर्गत विदेशी मुद्रा से लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी माने जाते हैं और तदनु रूप कर्मचारी लाभ के प्रावधान किये जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यथा आवश्यक बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबद्धकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की है।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:

i) नियत अंशदान योजना

उन सभी पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 31 दिसम्बर 2011 को या इससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, के लिए बैंक में भविष्य निधि योजना है, इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अंशदान को उपचय के आधार पर पहचाना जाता है।

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं। बैंक ने एक नियत अंशदान योजना 'एनपीएस - कार्पोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जोकि पेंशन फंड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलेपमेंट ऑथोरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है। निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है।

ii) नियत लाभ योजना

क. सभी पात्र कर्मचारियों के मामले में अनुमानित इकाई लागत पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किए जाते हैं। योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है।

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक जॉइन करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी क्षतिपूर्तिपरक अनुपस्थिति के लिए पात्र हैं। बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं। अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर इकाई लागत पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक अधिलाभ या घाटे को लाभ और हानि खाते में उपचयित आधार पर दर्शाया जाता है।

10. आय पर कर

- क) चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित करयोग्य आय और कर क्रेडिट और निर्धारणों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है।
- ख) आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर यानी वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है।
- ग) अनअवशेषित मूल्यहास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।
- घ) निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर भुगतान/ प्रावधान किए गए करों को संबंधित निधियों की व्यय के रूप में लेखों में गणना की जाती है।

11. खंड रिपोर्टिंग

- क) खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं।
- ख) जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है।
- ग) जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन-योग्य हैं उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है।
- घ) खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने वाली आस्तियां और देयताएं शामिल हैं।

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

- क) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की धारिता राशि की क्षतिग्रस्तता के लिए जांच की जाती है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि:
 - i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो, उसके लिए आवश्यक प्रावधान का निर्धारण किया जा सके; अथवा

ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन

ख) क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया जाता है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है।

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया :

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी।

ख) कोई वर्तमान दायित्व, जब वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हो।

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही उन्हें प्रकट किया जाता है।

13.4 प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है।

14. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी, बैंकों की मांग जमाराशियां तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है।

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

- निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने तुलन पत्र की अनुसूचियों में विभिन्न निधियों का पुनर्वर्गीकरण किया और पिछले वर्ष की अनुसूचियों 3,4 और 5 को दो अनुसूचियों अर्थात् 3 और 4 में मिलाया गया और तदनुसार इसे चालू वर्ष की वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत किया गया है।
- बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों को अलग अलग प्रकट करने की दृष्टि से, अब तक अनुसूची 16 के भाग ग के रूप में प्रकट किए गए प्रावधानों को एक अलग अनुसूची अर्थात् अनुसूची 16 में प्रकट किया गया है और प्रतिष्ठान और अन्य व्यय और व्यय संवर्द्धनात्मक व्यय जो अब तक अनुसूची 16 का भाग अ और भाग आ होता था को अनुसूची 15 के भाग अ और भाग आ के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अपने पत्र संख्या डीसीबीआर.आरसीबीडी.बीपीडी। संख्या 4/19.51.010/2015-16 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) और वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का विलय करके एक निधि अर्थात् वित्तीय समावेशन निधि गठित की गई है। तदनुसार, तत्कालीन एफआईटीएफ के व्यय एफआईएफ के व्यय के रूप में लिए गए हैं।
- केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक के साथ हुए करार के अनुसार, यूपीएनआरएम के अंतर्गत हुई अभिवृद्धि/ आय और व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है। इस निधि से दिए गए ऋणों को प्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसे अनुसूची 12 के तहत प्रकट किया गया है। यूपीएनआरएम से संबंधित उधारों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे अनुसूची 8 के तहत प्रकट किया गया है।

वर्ष के दौरान, केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों के लिए अनर्जक आस्तियों के लिए ₹ 16.36 करोड़ की राशि की आवश्यकता है और इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

- 5 अप्रयुक्त शेष राशि पर प्राप्त ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया। संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि का नाम	ब्याज दर 2015-16	ब्याज दर 2014-15
1.	वाटरशेड विकास निधि	6 %	6 %
2.	केएफडब्ल्यू-एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र)	6 %	6 %
3.	केएफडब्ल्यू सहबद्ध उपाय	6 %	6 %
4.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि	6 %	6 %
5.	आदिवासी विकास निधि	6 %	6 %
6.	वित्तीय समावेशन निधि	6 %	6 %
7.	केएफडब्ल्यू-एनबी -V - आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	6 %	6 %
8.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.88%	10.80%
9.	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.88%	10.80%
10.	सेन्टर फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन को-आपरेटिक्स	7.88%	10.80%
11.	केएफडब्ल्यू-एनबी-IX- आदिवासी विकास कार्यक्रम - महाराष्ट्र	-	10.80%

- 5 भारत सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य ₹ 17.29 करोड़ (₹ 33.58 करोड़) की व्यय राशि (तुलन पत्र की अनुसूची-13 देखें) में विविध निधियों का नाम अधिशेष शामिल है। ऐसे निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निधि का नाम	31-03-2014	31-03-2013
1	केएफडब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश)	---	0.09
2	केएफडब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (राजस्थान)	5.31	2.01
3	आईएफएडी- प्रियदर्शिनी	---	6.80
4	जीआईजेड यूपीएनआरएम - तकनीकी सहयोग	---	0.20
5	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम निधि	11.44	---
6	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	0.39	0.62
7	कार्यान्वयन लागत (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	---	8.55
8	ब्याज सहायता (आरआरआर- हथकरघा पैकेज)	---	13.63
9	तकनीकी सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	---	1.37
10	आईएफएडी- एमआरसीपी	0.06	0.06
11	अन्य	0.09	0.25

- 7 विविध लेनदारों में ₹ 32.12 करोड़ भी शामिल है (₹ 35.50 करोड़) जो वित्त विकास और इक्विटी फंड (एमएफडीईएफ) के संबंध में योगदानकर्ताओं का बकाया है, जो पिछले वर्ष बंद हो गया है। इसका विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक शेष	नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त अंशदान प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु आहरित	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार इति शेष
1	2	3	4	5 [2-(3+4)]
विविध लेनदार - एमएफडीईएफ	35.50	3.21	0.17	32.12

- 8 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियों, अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि (एसटीसीआरसी) जमाराशियों, अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि (एसटीआरआरएफ) जमाराशियों और भंडारागार आधारभूत सुविधा विकास निधि (डबल्यूआईएफ) जमाराशियों के संबंध में बैंक के पास सापेक्षिक मार्जिन के रूप में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा की गई। पिछले वर्ष के दौरान यह राशि आदिवासी विकास निधि, वाटरशेड विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा की गई थी।
- 9 बैंक ने अपने कर पश्चात लाभों से क्रमशः ₹ 20.00 करोड़ और ₹ 5.00 करोड़ के साथ दो नई निधियां यथा ग्राम्य विकास निधि और जलवायु निधि का सृजन किया।
10. नाबार्ड द्वारा उधार की लागत और पुनर्वित्त दर के बीच के अंतर के रूप में भारत सरकार से मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्त होने वाली ₹ 1353.14 करोड़ (₹ 1416.37 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्त होने वाली ₹ 17.12 करोड़ (₹ 17.12 करोड़) की सहायता को ब्याज और वित्तीय प्रभारों से घटा दिया गया है और इसे उपचित ब्याज के रूप में दिखाया गया है और अनुसूची 14 में प्रकट किया गया है।
11. अन्य आय में ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों और मस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों और एनआरएलएम योजना के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को पुनर्वित्त देने पर हुए प्रशासनिक व्ययों के रूप में भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्त होने वाली ₹ 168.43 करोड़ (₹ 162.62 करोड़) की राशि भी शामिल है।
- 12 बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। 01 नवंबर 2012 से इसकी समीक्षा करना शेष है। यह समझौता लंबित होने के कारण "वेतन और भत्तों" के शीर्ष के अंतर्गत ₹ 150.00 करोड़ (₹ 135.00 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है।
- 13 वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में, लाभ और हानि खाते में ₹ 11.06 करोड़ (₹ 35.70 करोड़) आस्थगित कर दर्शाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	9.5	117.71
2	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	37.55	33.75
	जोड़	162.52	151.46

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है।
- 14 कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए बैंक की कर देयता की राशि आयकर विभाग द्वारा ₹ 373.15 करोड़ निर्धारित की गई है। बैंक ने इस राशि का प्रावधान किया था भुगतान कर दिया गया है। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की है।
- 15 आयकर विभाग ने कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 के कर-निर्धारणों को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः खोला। आय के पुनः आकलन के दौरान ₹ 343.21 करोड़ की राशि बैंक की आय में जोड़ी गई। तथापि, बैंक ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास सीआईटी अपील के आदेश के खिलाफ अपील दायर किया है। उक्त में से;
- क) आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज खाते के कारण ₹ 132.08 करोड़ की अतिरिक्त राशि जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार जमा किया गया था को वाटरशेड विकास निधि में जोड़ा गया है।
- ख) इसके अतिरिक्त, अन्य खातों में ₹ 211.13 करोड़ की राशि आय में जोड़ी गई है। प्रबंधन के विचार में, इस अतिरिक्त आय के संदर्भ में, कर बहिर्गमन की संभावना नहीं है। बैंक ने सीआईटी - अपील में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की है और अपील पुष्टिकरण निर्धारण अधिकारी के समक्ष पुष्टिकरण आवेदन भी दिया गया है। निर्णय के लंबित रहने तक बैंक ने बोर्ड के संकल्प के अनुसार 'वाटरशेड विकास निधि' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 97.83 करोड़ की ब्याज सहित कर राशि को निधि के व्यय के रूप में लिया है,
- बैंक ने कुल ₹ 254.22 करोड़ की मांग में से पिछले वर्षों के करों की वापसी के समायोजन के रूप में ₹ 162.16 करोड़ राशि का भुगतान किया और निर्धारण को पुनः खोलने के खिलाफ सीआईटी (ए) के पास अपील की है। सीआईटी (ए) ने दिनांक 26 फरवरी 2016 के अपने आदेश में नाबार्ड के अपील का समर्थन किया और आयकर द्वारा पूरे किए गए निर्धारण को पुनः खोले जाने के खिलाफ निर्णय दिया।
- 16 कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए पुनः कर निर्धारण के दौरान (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः खोला गया) आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज के कारण ₹ 157.47 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता का निर्धारण किया गया था। बैंक ने उक्त देयता का भुगतान कर दिया है जिसमें चालू वर्ष के दौरान ₹ 27.46 करोड़ की राशि आदिवासी विकास निधि में प्रभारित की गई है। तथापि, बैंक ने उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी- अपील में अपील की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 30 मार्च 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने नाबार्ड के अपील का समर्थन किया और आयकर द्वारा पूरे किए गए निर्धारण को पुनः खोले जाने के खिलाफ निर्णय दिया।
- 17 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए कर निर्धारणों को आयकर विभाग ने पुनः खोला और आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹ 174.59 करोड़ की अतिरिक्त आयकर देयता पुनः निर्धारण किया गया। बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया और सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 30 मार्च 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने नाबार्ड के अपील का समर्थन किया और आयकर द्वारा पूरे किए गए निर्धारण को पुनः खोले जाने के खिलाफ निर्णय दिया।
- 18 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए कर निर्धारणों को पुनः खोला और आरआईडीएफ विभेदक ब्याज और अन्य अस्वीकरणों के कारण ₹ 256.90 करोड़ की मांग की जिसका भुगतान बैंक द्वारा पिछले वर्षों में किया गया है और और सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध

- अपील की। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 30 मार्च 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने नाबार्ड के अपील का समर्थन किया और आयकर द्वारा पूरे किए गए निर्धारण को पुनः खोले जाने के खिलाफ निर्णय दिया।
- 19 वित्तीय निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹ 313.07 करोड़ की कर देयता निर्धारण किया गया। बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया। बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत ₹ 276.66 की कर राशि लेखाकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 26 फरवरी 2016 के अपने आदेश में सीआईटी (ए) ने आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज पर आयकर न लगाने की हमारी अपील का समर्थन किया।
- 20 निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹ 424.95 करोड़ की कर देयता निर्धारण किया गया। बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की।
- 21 निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग ने आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹ 1002.68 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता का निर्धारण किया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आदिवासी विकास निधि में क्रेडिट किया गया था। इसके अतिरिक्त, संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय की अस्वीकरणों और अन्य अस्वीकरणों के कारण बैंक की आय में ₹ 145.90 करोड़ की राशि जोड़ी गई। बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की।
- 22 वर्ष के दौरान, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग द्वारा आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत लेखाकृत विभेदक ब्याज के कारण ₹ 1156.05 करोड़ की अतिरिक्त कर योग्य आय का निर्धारण किया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आदिवासी विकास निधि में क्रेडिट किया गया था। इसके अतिरिक्त, संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय की अस्वीकृति और अन्य अस्वीकरणों के कारण बैंक की आय में ₹ 20.56 करोड़ की राशि जोड़ी गई। बैंक ने पूर्व के वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की।
- 23 स्वामित्व वाली भूमि और लीज़ भूमि और परिसर में - कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए भुगतान की गई ₹ 19.58 करोड़ (₹ 29.87 करोड़) की राशि शामिल है जिनका हस्तांतरण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद, तुलन पत्र की तिथि तक स्टाफ क्वार्टर्स के संबंध में ₹ 3.58 करोड़ के मूल्य के स्वामित्व अंतरण निष्पादित किए गए हैं।
- 24 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अंशदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है।
- क) निवेश के रूप में वर्गीकृत और 'डिबेंचर और बॉन्ड्स' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है।
- ख) उस पर अर्जित ब्याज लाभ हानि खाते में 'ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है।
- ग) आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'
- 25 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, साधारण अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान की राशि से अधिक निवेश, जिसे अब तक अन्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को अलग अलग से निवेश (एफएएस श्रेणी) और प्रावधान में शिफ्ट कर दिया गया है।

- 26 वित्तीय विवरणियों की तारीख को, आरआईडीएफ के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को किए गए संवितरण में से ₹ 631.16 करोड़ (₹ 492.00 करोड़ रुपये) गैर स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित है। संबंधित / अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 27 दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को 31 मार्च 2016 से पहले आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹ 5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बांड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी। यह नाबार्ड की पहली कर मुक्त बांड निर्गम था। 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹ 1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹ 3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए। कर मुक्त बांड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बांड की प्रकृति के हैं। ये बांड मुंबई में स्थित संपत्ति पर पारी पासू प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड की निर्दिष्ट पुस्तक ऋण पर पहला प्रभार है। चालू वर्ष के लिए इन बांडों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹ 31.78 करोड़ है।

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,

एक्सिस हाउस, द्वितीय तल

वाडिया इंटरनेशनल सेंटर

पांडुरंग बुधकर मार्ग

वरली, मुंबई -400 025

टेलीफोन: 022 24255215/5216

- 28 वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के तहत ₹ 75 करोड़ की राशि निवेश समिति की अनुमति से एचएफटी श्रेणी से एएफएस को स्थानांतरित की गई।
- 29 वेंचर कैपिटल फंड में निवेश पर प्रूडेंशियल के दिशा निर्देशों से संबंधित दिनांक 01 जुलाई, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई / 2015-16 / 104 डीबीआर.सं. एफआईडी एफआईसी .3 /01.02.00 / 2015-16 के अनुसार, एएफएस श्रेणी के 3 वर्ष पूरे होने पर, वेंचर कैपिटल फंड में ₹ 10.58 करोड़ की राशि एचटीएम श्रेणी से स्थानांतरित कर दी गई।
- 30 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में निम्नलिखित उधारी के लिए जमानत के रूप में क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की के पास गिरवी प्रतिभूति शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यापार अनुभाग के लिए गिरवी (प्रतिभूति)	40.00 (40.00)	40.22 (37.26)
व्यापार अनुभाग के लिए गिरवी (संपार्श्विकृत उधार और ऋण दायित्व)	4892.86 (3086.00)	4810.12 (3054.17)

31 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग के तहत नाबार्ड द्वारा धारित सभी निवेशों का बाजार मूल्य ₹ 2537.61 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष ₹ 3,302.79 करोड़ रुपए था। इसमें से वेंचर कैपिटल फंड में निवेश का बाजार मूल्य ₹ 121.05 करोड़ था जबकि बही मूल्य ₹ 124.45 करोड़ था। तदनुसार, बाजार मूल्य से बही मूल्य ₹ 3.40 करोड़ से अधिक है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

32 व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

बैंक व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार नहीं करता है। तथापि, इसने केएफडब्ल्यू जर्मनी से पूरी ऋण अवधि के लिए 99.19 मिलियन (94.88 मिलियन) यूरो के उधार और उस पर लगे ब्याज देयता की हेजिंग की है। विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणाम स्वरूप उसे स्वैप करार के अनुसार संविदा कृत मूल्य पर दर्शाया गया है। बैंक का विदेशी मुद्रा में किसी प्रकार का एक्सपोजर नहीं है।

वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूल राशि

₹ 700 करोड़ (₹ 640.46 करोड़) रही और लेखा बहियों में बकाया मूल देयता का मूल्य संविदाकृत मूल्य पर अर्थात् ₹ 721.87 करोड़ (₹ 726.78 करोड़) था। इस संबंध में राशि के रूप में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
1	डेरीवेटिव्स (सांकेतिक मूल राशि)		
	अ) हेजिंग के लिए	700.35 (640.46)	लागू नहीं
	आ) व्यापार हेतु	लागू नहीं	लागू नहीं
2	बाजार को अंकित स्थिति [1]		
	क) आस्ति (+)	लागू नहीं (लागू नहीं)	लागू नहीं
	ख) देयता (-)	21.52 (86.32)	लागू नहीं
3	ऋण एक्सपोजर [2]	45.26 (-243.79)	लागू नहीं
4	ब्याज दरों में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)		
	क) हेजिंग डेरीवेटिव्स पर	0.04@ (26.83)	लागू नहीं
	ख) ट्रेडिंग डेरीवेटिव्स पर	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम		लागू नहीं
	a) हेजिंग पर	उन	उन
	b) ट्रेडिंग पर	उन	उन

@ यदि एमटीएम की पूरी अवधि में एमआईएफओआर में 100 बेसिस अंक की कमी आती है तो लाभ में ₹ 3.81 लाख (₹ 26.86 करोड़) की वृद्धि होगी.

33 वर्ष के दौरान जहां एफआई विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा से अधिक हो गया है : शून्य (शून्य)

34 ऋण प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों के संबंध में जारीकर्ता वर्ग

(₹ करोड़)

क्रम सं	जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया निवेश	'निवेश श्रेणी से कम' पर धारित प्रतिभूतियाँ	'अनरेटेड' धारित प्रतिभूतियाँ	'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	788.14 (291.40)	788.14 (291.40)	-	-	1.17 (241.31)
2	वित्तीय संस्थाएं	1711.47 (833.87)	1711.47 (833.87)	-	-	300.00 (733.79)
3	बैंक	7894.74 (4160.79)	7894.74 (4160.79)	-	-	7894.74 (4160.79)
4	मूल्य हास के लिए धारित प्रावधान	-	-	-	-	-
	कुल (1 + 3 में से 4 घटाएं)	10394.35 (5286.06)	10394.35 (5286.06)	-	-	8195.91 (5135.89)

35 अनर्जक निवेश :

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	16.00	0.00
वर्ष के दौरान अनु वृद्धि	0.00	16.00
उक्त अवधि के दौरान आई कमी	0.00	0.00
31 मार्च 2016 की स्थिति में इति शेष	16.00	16.00
कुल प्रावधान	16.00	16.00

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) द्वारा जुलाई 2014 में जारी दिशानिर्देश के अनुसार यूनीवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. (यूसीएक्स) को कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में काम करने से रोक दिये जाने की वजह से इसमें ₹ 16.00 करोड़ के निवेश को एनपीए मान लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार इस कंपनी में निवेशित राशि का मूल्यांकन ₹ 1 किया गया है।

36 'कर्मचारी लाभ' के अंतर्गत लेखा मानक 15 (संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार है:

36.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

बैंक की परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ के तहत पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ शामिल हैं। इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रोजेक्टेड इकाई ऋण विधि का उपयोग करते हुए बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है।

36.1.1 पेंशन

क. परिभाषिक लाभ दायित्वों के अथ शेष और इति शेष का समाधान

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	2411.55	2071.33
चालू सेवा लागत	39.71	35.14
ब्याज लागत	207.39	186.42
बीमांकिक लाभ / हानि	370.77	201.96
अदा किए गए लाभ	-117.49	-83.30
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	2911.93	2411.55

ख. 31 मार्च 2016 को और 2011-12 से 2014-15 तक के पिछले वर्षों के तुलन पत्र में मान्य की गई राशि:

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभों दायित्व का वर्तमान मूल्य	2911.93	2411.55	2071.33	1847.53	1556.87
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य @	2801.56	2351.61	2056.07	1832.69	1311.25
वर्ष के अंत में तुलन पत्र में मान्य देयता	110.37	59.94	15.26	14.84	245.63

@ इसमें पेंशन का विकल्प देने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित भविष्य निधि में बैंक का अंशदान ₹ 427.04 करोड़ (₹ 444.11 करोड़) की राशि शामिल है। इस निधि में शेष राशि की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक से होनी है।

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए व्यय :

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत	39.71	35.14
ब्याज लागत	207.39	186.42
निवल बीमांकिक लाभ / हानि	349.18	194.77
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-154.70	-156.64
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	441.58	259.69

घ. बीमांकिक अनुमान

विवरण	2015-16	2014-15
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अल्टीमेट)	2006-08 (अल्टीमेट)
बढ़ा दर (प्रति वार्षिक)	8.00%	8.60%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%
आहरण दर	1.00%	1.00%

36.1.2 ग्रेच्युटी

क. पारिभाषित लाभ दायित्वों के अथ शेष और इति शेष का समाधान:

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में पारिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	285.34	274.62
चालू सेवा लागत	21.64	20.76
ब्याज लागत	24.53	24.71
बीमांकिक लाभ / हानि	-5.56	-7.31
अदा किए गए लाभ	-22.93	-27.44
वर्ष के अंत में पारिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	303.02	285.34

ख. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और पूर्व वर्षों 2011-12 से 2014-15 में दर्शायी गई राशि

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
वर्ष के अंत में पारिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	303.02	285.34	274.62	260.93	239.68
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य	301.51	303.01	288.49	261.90	260.82
वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्य देयताएं	1.51	-17.67	-13.87	-0.97	-21.14

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए व्यय :

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत	21.64	20.76
ब्याज लागत	24.53	24.71
निवल बीमांकिक लाभ / हानि	2.87	-18.85
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-27.36	-26.97
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	21.68	-0.35

घ. बीमांकिक अनुमान:

विवरण	2015-16	2014-15
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	2006-08 (अल्टीमेट)	2006-08 (अल्टीमेट)
बढ़ा दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.60%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%
आहरण दर	1.00%	1.00%

36.1.3 साधारण अवकाश का नकदीकरण

क. परिभाषित लाभ दायित्वों के अथ शेष और इति शेष का समाधान:

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	239.69	225.88
चालू सेवा लागत	4.41	8.40
ब्याज लागत	20.61	20.33
बीमांकिक लाभ / हानि	12.83	-5.60
अदा किए गए लाभ	-12.09	-9.32
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	265.45	239.69

ख) 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और पूर्व के वर्षों 2011-12 से 2014-15 में दर्शाई गई राशि

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य	265.45	239.69	225.88	197.26	153.03
बैंक द्वारा निर्धारित निधि	263.37\$	257.61\$	219.28\$	184.06 \$	137.14\$
वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्य देयता	2.08	-17.92	6.60	13.20	15.89

\$ अवकाश नकदीकरण के लिए देयता के बाबत बीमा कंपनियों में निवेशित राशि को दर्शाता है ।

ग. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अवकाश नकदीकरण के लिए निर्धारित राशि के निवेश को 31 मार्च 2016 से एफएस कैटेगरी में रखा गया है ।

घ. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए व्यय :

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत	4.40	8.40
ब्याज लागत	20.61	20.33
निवल बीमांकिक लाभ / हानि	16.68	-10.75
योजनागत आस्तियों से प्रत्याशित लाभ	-16.48	-31.40
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए गए व्यय	25.21	-13.42

ड. बीमांकिक अनुमान:

विवरण	2015-16	2014-15
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	2006-08) (अल्टीमेट)	2006-08 (अल्टीमेट)
बढ़ा दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.60%

वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%
आहरण दर	1.00%	1.00%

36.1.4 सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रु. 18.76 करोड़ (₹ 20.27 करोड़) को लाभ हानि खाते में हिसाब में लिया गया है ।

36.1.5 वेतन में वृद्धि के आकलन को बीमांकिक मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखा गया है, नाबार्ड से संबन्धित तथ्यों, मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों एवं रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को भी ध्यान में रखा गया है ।

36.1.6 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक संस्थाओं में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित देयताएं शामिल हैं ।

36.1.7 सेवानिवृत्ति के बाद लाभों का परिशोधन

सेवानिवृत्ति पश्चात समस्त देयताओं को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसका परिशोधन नहीं होता है ।

36.1.8 पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि का योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश 31 मार्च 2016 की स्थिति

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	साधारण अवकाश का नकदीकरण
	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	27.23	---	---
राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	19.39	---	---
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	---	100.00	100.00
अन्य	53.38	---	---
कुल	100.00	100.00	100.00

36.2 परिभाषित अंशदान योजना:

भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है । यह एक परिभाषित अंशदान योजना है । वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को रु.17.68 करोड़ (रु.18.59 करोड़) का अंशदान किया है ।

01 जनवरी 2012 से कर्मचारियों के लिए लागू नई पेंशन योजना के तहत बैंक का अंशदान नियत अंशदान है । वर्ष के दौरान उक्त योजना में ₹ 0.26 करोड़ (₹ 0.05 करोड़) का अंशदान किया गया है ।

37 बैंक प्रबंधन की राय में आस्तियों में ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिसके लिए एएस-28 "आस्तियों की क्षति" के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

38 लेखा मानक 29 में यथा अपेक्षित आकस्मिक देयता में 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
अथ शेष	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	0.00	0.00

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	0.00	0.00
इति शेष	0.00	0.00

39 संबन्धित पक्षों के लेन-देन

चूंकि बैंक 'एस-18's की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण नहीं दिया गया है।

संबन्धित पक्षों की सूची:

क) इस निकाय के नियंत्रण में कंपनियां:

क्रम सं	कंपनियां
1.	नाबार्ड फायनान्सियल सर्विसेज लि.
2.	एग्री बिजनेस फायनान्स (एपी) लि.
3.	नैब किसान फायनान्स लि. (पूर्व में इसका नाम अग्री डेवलपमेंट फायनान्स (तमिलनाडु) लि रहा है)
4.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.

क) मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी:

नाम	पदनाम
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	अध्यक्ष
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	उप प्रबंध निदेशक
श्री आर अमलोरपवनाथन	उप प्रबंध निदेशक

क) मुख्य प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़)

पक्ष का नाम	संबंध का प्रकार	लेन-देन का प्रकार	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी - अध्यक्ष	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.30(0.22)	0.00
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी - उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.27(0.12)	0.00
श्री आर अमलोरपवनाथन	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी - उप प्रबंध निदेशक	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.25(0.12)	0.00

संबन्धित पक्षों के मामले में वर्ष के दौरान कोई भी धनराशि अपलिखित / वापस नहीं की गई है और न ही इसके लिए प्रावधान किया गया है।

संबन्धित पक्षों के संबंध प्रबंधन द्वारा मान्य हैं और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है।

40 लाभ - हानि खाते में पिछली अवधि की निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

(₹ करोड़)

क्रम सं	विवरण	2015-16	2014-15
1.	आय	0.00	0.09
2.	राजस्व व्यय	0.00	-0.04
कुल		0.00	0.05

41 पूंजी

41.1 तुलन-पत्र की तिथि में पूंजी का पैटर्न:

31 मार्च 2016 के स्थिति में नाबार्ड की चुकता पूंजी में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी 99.60% : 0.40% है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

अंशदानकर्ता	31 मार्च 2016		31 मार्च 2015	
भारतीय रिजर्व बैंक	20.00	0.40%	20.00	0.40%
भारत सरकार	4,980.00	99.60%	4,980.00	99.60%
कुल	5,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

41.2 भारत सरकार के दिनांक 29 मार्च 2016 के पत्र सं एफ नं 7/4/2015-एसी के माध्यम से नाबार्ड को शेयर पूंजी के लिए ₹ 300 करोड़ प्राप्त हुए हैं, इसे 'कैपिटल अकाउंट - भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त' में अग्रिम के रूप में रखा गया है। नाबार्ड की प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी होने के बाद इसे शेयर पूंजी में समायोजित किया जाएगा.

41.3 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

(प्रतिशत)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
सीआरएआर	17.59	16.91
कोर सीआरएआर	16.38	15.83
पूरक सीआरएआर	1.21	1.08

41.4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर 9 प्रतिशत के समक्ष 31 मार्च 2016 की स्थिति में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.59 प्रतिशत (16.91 प्रतिशत) रहा.

41.5 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण - दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित आस्तियों के लिए ₹ 144,87 करोड़ की राशि को सीआरएआर गणना में शामिल नहीं किया गया है।

41.6 सबोर्डिनेटेड ऋण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
सबोर्डिनेटेड ऋण के रूप में ली गई राशि और टीयर II कैपिटल के रूप में बकाया	शून्य	शून्य

41.7 जोखिम भारित आस्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
तुलन पत्र मदों में	158452.06	148101.43
तुलन पत्र मदों से बाहर	32.52	83.62

41.8 पूंजी निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर

	वर्ग	2015-16		2014-15	
		% के रूप में ऋण एक्सपोजर		% के रूप में ऋण एक्सपोजर	
		पूंजी निधियां	कुल आस्तियां	पूंजी निधियां	कुल आस्तियां
I	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	32.54	2.72	34.83	2.86
II	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	लागू नहीं		लागू नहीं	
III	वर्ष के दस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	283.99	23.75	282.60	23.19
IV	दस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	लागू नहीं		लागू नहीं	

41.9 कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर: लागू नहीं

42 बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत किसी बकाए की अदायगी नहीं की जानी है।

43 आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेन्द्रण

(क) आस्ति वर्गीकरण

(₹ करोड़)

वर्गीकरण	2015-16		2014-15	
	राशि	(%)	राशि	(%)
मानक	265661.61	99.928	252589.73	99.950
उप-मानक	28.60	0.011	22.40	0.009
संदिग्ध	153.99	0.058	95.67	0.038
हानि	7.92	0.003	7.92	0.003
कुल	265852.12	100.000	252715.72	100.000

(क) पुनः संरचित खाते

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऋण को पुनः संरचित नहीं किया गया है। पिछली अवधि में रिवर्सल ऑफ सक्लिफाइड ऑन एकाउंट के तहत ₹ 11.96 करोड़ (₹ 21.96 करोड़) की राशि है।

ख) पुनः संरचना के विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)																						
क्र. सं.	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर व्यवस्था के तहत					एसएमई ऋण पुनः संरचना व्यवस्था के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मान क	उप मान क	संदि ग्ध	हा नि	कुल	मान क	उप मान क	संदि ग्ध	हानि	कुल	मान क	उप मान क	संदि ग्ध	हानि	कुल	मान क	उप मान क	संदि ग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1.	01 अप्रैल 2015 को पुनः संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या											5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
		बकाया राशि											2.10	0	0	0	2.10	2.10	0	0	0	2.10
		उसका प्रावधान											0.09	0	0	0	0.09	0.09	0.09	0	0	0.09
2.	वर्ष के दौरान नई पुनः संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उसका प्रावधान																				
3.	2015-16 में पुनः संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या											1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		बकाया राशि											0.70	0	0	0	0.70	0.70	0	0	0	0.70
		उसका प्रावधान											0.03	0	0	0	0.03	0.03	0	0	0	0.03
4.	पुनः संरचित मानक	उधारकर्ताओं की संख्या											2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
		बकाया राशि											0.44	0	0	0	0.44	0.44	0	0	0	.044

	अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम धारिता आकर्षित नहीं करते और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है.	उसका प्रावधान										0.02	0	0	0	0.02	0.02	0	0	0	0.02
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः संरचित खालों का	उधारकर्ताओं की संख्या										0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
		बकाया राशि										0	0.96	0	0	0.96	0	0.94	0	0	0.94
		उसका प्रावधान										0	0.04	0	0	0.04	0	0.04	0	0	0.04

	ग्रेड कम करना																					
6.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों को अपलिखित करना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उसका प्रावधान																				
7.	31 मार्च 2016* को पुनः संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या									1	0	0	0	1	1	0	0	0	1		
		बकाया राशि									0.70	0	0	0	0.70	0.70	0	0	0	0.70		
		उसका प्रावधान									0.03	0	0	0	0.03	0.03	0	0	0	0.03		

* पुनः संरचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम धारिता आकर्षित नहीं करते हैं को छोड़कर, यदि लागू हो

44. कारपोरेट ऋण पुनः संरचना (सीडीआर)

वर्ष के दौरान किसी भी खाते का सीडीआर नहीं किया गया।

45. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की स्थिति

(क) निवल एनपीए की स्थिति

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
निवल ऋणों और अग्रिमों से एनपीए का प्रतिशत	0.0088	0.0092

(ख) एनपीए में बदलाव

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
(अ) वर्ष के आरंभ में निवल एनपीए	23.33	19.73
(आ) जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	21.48	16.25
(इ) उप-जोड़ (अ+आ)	44.81	35.98
(ई) घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	21.48	12.65
(उ) वर्ष के अंत में निवल एनपीए (इ-ई)	23.33	23.33

46. प्रावधान में बदलाव

(क) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

(₹ करोड़)

के समक्ष प्रावधान	2015-16	2014-15
मनका आस्तियां	51.76	124.20
अनर्जक आस्तियां	64.51	26.55
निवेश (निवल)	0.00	15.41
आयकर	1128.94	992.00
कुल	1245.21	1158.16

(ख) संचल प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
खाते में अथ शेष (काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)	14.44	25.51
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण	0.00	11.07
वित्तीय वर्ष के अंत में इति शेष	14.44	14.44

(ग) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान (ऋण आस्तियां)

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
वित्तीय वर्ष के शुरू में अथ शेष	102.66	76.07
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	66.32	26.59
घटाएं: अपलिखित, अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन (1 खाता)	1.81	0.00
वित्तीय वर्ष के अंत में इति शेष	167.17	102.66

(घ) निवेशों में मूल्यहास हेतु प्रावधान

(₹ करोड़)

	विवरण	2015-16	2014-15
अ	वित्तीय वर्ष के शुरू में अथ शेष	16.00	64.52
आ	जोड़ें		
	(i) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	16.00
	(ii) वर्ष के दौरान, निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से विनियोजन, यदि कुछ हो	0.00	0.00
इ	उप-जोड़ [अ +आ (i)+आ (ii)]	16.00	80.52
ई	घटाएं		
	(i) अपलिखित / अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन	0.00	64.52
	(ii) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते में अंतरण, यदि कुछ हो	0.00	0.00
	उप-जोड़ [ई]	0.00	64.52
उ	वित्तीय वर्ष के अंत में इति शेष (इ-ई)	16.00	16.00

ड) संचल प्रावधानों से आहरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2015 के परिपत्र सं डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 79 /21-04. 048 /2014-15 के अनुसरण में बैंक ने अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान हेतु काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर से ₹ शून्य (₹11.07 करोड़) आहरित किए हैं.

47. प्रावधान आवरण अनुपात

बैंक का प्रावधान आवरण अनुपात 95.34%(93.15%) रहा.

48. तरलता

रुपया आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता पैटर्न और विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़)

क्रम सं	मद	1 वर्ष के बराबर या इससे कम	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	कुल #
1	रुपया आस्तियां	160072.00 (160764.60)	68688.55 (57672.85)	47120.78 (40682.83)	22741.16 (19025.71)	10676.96 (6630.64)	309299.45 (284776.63)

2	विदेशी मुद्रा आस्तियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल आस्तियां	160072.00 (160764.60)	68688.55 (57672.85)	47120.78 (40682.83)	22741.16 (19025.71)	10676.96 (6630.64)	309299.45 (284776.63)
3	रुपया देयताएं	138496.86 (131546.95)	53646.12 (47266.31)	39673.25 (40558.06)	27489.88 (23352.76)	49271.46 (41325.77)	308577.57 (284049.85)
4	विदेशी मुद्रा देयताएं	46.59 (46.59)	71.77 (78.22)	174.39 (168.33)	80.30 (74.24)	348.83 (359.40)	721.88 (726.78)
	कुल देयताएं	138543.45 (131593.54)	53717.89 (47344.53)	39847.64 (40726.39)	27570.18 (23427.00)	49620.29 (41685.17)	309299.45 (284776.63)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए और कुल निवेशों रु.1085.47 करोड़ (रु.1032.06 करोड़) के मूल्य में हुए हास के लिए किए गए प्रावधान को घटाने के बाद.

49. परिचालन परिणाम

	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.88	6.80
(ख)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.07	0.12
(ग)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.26	1.37
(घ)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.85	0.93
(ङ)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	0.62	0.59

50. अन्य प्रकटन

- 50.1 प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनः संरचन कंपनी को बेची गई आस्तियां : शून्य (शून्य)
- 50.2 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वाप : शून्य (शून्य)
- 50.3 ब्याज दर डेरिवेटिव्स : शून्य (शून्य)
- 50.4 क्रेडिट चूक स्वाप : शून्य (शून्य)
- 50.5 गैर सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश : शून्य (शून्य)
- 50.6 रेपो लेन-देन पर प्रकटन : शून्य (शून्य)

51. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण

(क) जमाराशियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	167258.02	160161.73
बैंक की कुल जमा राशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत	88.13%	85.90%

(ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	126193.98	114561.46
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	47.51%	45.38%

(ग) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	131217.45	115514.54
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	45.08%	43.19%

(घ) एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

	2015-16	2014-15
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	91.53	58.42

52. क्षेत्र-वार एनपीए

क्रम सं	सेक्टर	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से एनपीए का प्रतिशत	
		2015-16	2014-15
1	कृषि और अनुषंगी गतिविधियां	10.62	6.57
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े)	98.87	96.75
3	सेवाएं	0.00	0.00
4	व्यक्तिगत ऋण-स्टाफ ऋण	0.16	0.16

53. सकल एनपीए में बदलाव

(₹ करोड़)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष विशेष की 01 अप्रैल को सकल एनपीए (अथ शेष)	125.99	95.80
जोड़ें वर्ष के दौरान (नए एनपीए)	72.63	31.12
उप जोड़ (अ)	198.62	126.92
घटाएँ :-		
(i) अपग्रेडेशन	1.23	0.35
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	0.66	0.58
(iii) अपलिखित	6.22	0.00
उप-जोड़ (आ)	8.11	0.93
अगले वर्ष की 31 मार्च को सकल एनपीए (इति शेष) (अ-आ)	190.51	125.99

54. विदेश में आस्तियां, एनपीए और राजस्व: शून्य (शून्य)
55. तुलनपत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है): शून्य (शून्य)
56. शिकायतों का प्रकटन

	विवरण	संख्या
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	11
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	103
ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	112
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	02

57. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश : शून्य (शून्य)
58. बैंक द्वारा जारी निभाव पत्र : शून्य (शून्य)
59. बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय
बैंक ने वर्ष के दौरान बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय नहीं किया है.
60. व्यवसाय खंड के बारे में सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है :

- प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा सहकारी बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.
- पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, राकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.
- ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.
- अनाबंटित: इसमें स्टाफ ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से हुई आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका एवं सामान्य प्रशासनिक खर्चों के लिए किया गया व्यय शामिल हैं.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड पर सूचना

(₹ करोड़)

	प्रत्यक्ष वित्त	पुनर्वित्त	ट्रेजरी	अनाबंटित	कुल
खण्ड राजस्व	7016.62 (6186.38)	10874.92 (9253.43)	2813.80 (2219.21)	26.44 (146.68)	20731.78 (17805.70)
खण्ड परिणाम	910.71 (609.55)	2605.90 (1898.80)	1619.10 (2080.64)	-1482.96 (-1167.53)	3652.75 (3421.46)

खण्ड आस्तियों की कुल कैरिंग धनराशि	106030.43 (95320.82)	162332.12 (160754.36)	39920.65 (26438.69)	2101.72 (3294.82)	310384.92 (285808.69)
खण्ड देयताओं की कुल कैरिंग धनराशि	103261.70 (92951.87)	153332.35 (152408.75)	20830.36 (10415.80)	32960.51 (30032.27)	310384.92 (285808.69)
अन्य मदें :					
वर्ष के दौरान खण्ड आस्तियों की अधिग्रहण लागत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	41.31 (54.27)	41.31 (54.27)
परिशोधन और मूल्यहास	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1.66 (1.24)	26.12 (48.91)	27.78 (50.15)
गैर नकदी खर्च	85.32 (48.08)	18.74 (54.05)	0.00 (15.43)	266.81 (231.02)	370.87 (348.58)

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

61. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.
62. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन / पुनः व्यवस्थापन किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

व्यास एण्ड व्यास

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000590सी

ओ पी व्यास

साझेदार

सदस्यता सं.014081

मुंबई,

23 मई 2016

ए के साहू

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला

अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन

उप प्रबंध निदेशक

एच आर खान

निदेशक

अनूप कुमार दाश

निदेशक

के सईद अली

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह

(₹ हजार में)

विवरण	2015-2016	2014-2015
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ के लिए समायोजित:	3652,74,72	3421,46,31
मूल्यहास	26,12,23	48,90,87
प्रावधान और परिशोधन	7,46	11,97,42
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	66,12,10	3,64
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	51,76,00	124,20,00
पुनः संरचित ऋणों के छोड़े जाने वाले ब्याज हेतु प्रावधान	(11,95,58)	(21,96,36)
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	(20,11)	(2,04)
विविध निधियों में जमा ब्याज (इंटरेस्ट डिफ्रेंसियल फंड में जोड़/समायोजन सहित)	267,40,54	252,29,98
निवेश से आय (बढ़ाकृत आय शामिल)	(2813,80,32)	(2219,21,26)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ	1238,27,04	1617,68,56
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन:		
(चालू आस्तियों में वृद्धि) / कमी	(3605,31,37)	1775,57,35
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	1646,53,00	658,76,17
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि (स्टाफ के आवास ऋण व अन्य अग्रिमों सहित)	(13177,80,81)	(31335,57,92)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(13898,32,14)	(27283,55,84)
आयकर का भुगतान - रिफंड घटाकर (उपर्युक्त में से ₹.372.02 करोड़ का भुगतान जनजाति विकास / वित्तीय समावेशन निधि में नामे किए गए आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी विभेदक कर देयता के लिए किया गया)	(1270,42,39)	(1195,56,49)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (अ)	(15168,74,53)	(28479,12,33)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (छूट आय सहित)	2812,14,00	2217,97,27
अचल आस्तियों की खरीद	(59,87,06)	(53,12,50)
अचल आस्तियों की बिक्री	6,60,42	4,32,48
निवेश में वृद्धि /कमी	(6483,00,91)	30,56,81
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/सृजित निवल नकदी (आ)	(3724,13,55)	2199,74,06
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान	42,50,15	601,42,15

बॉन्डों की राशि	5116,00,00	(2207,70,36)
उधारों में वृद्धि / (कमी)	11108,20,30	8457,89,59
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	3332,09,39	21008,28,11
शेयर पूंजी में वृद्धि	300,00,00	300,00,00
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	19898,79,84	28159,89,49
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	1005,91,76	1880,51,22
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2314,95,67	434,44,45
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	3320,87,43	2314,95,67
1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं:	2015-2016	2014-2015
हाथ में रोकड़	3	6
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	150,54,92	2030,03,79
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियां	643,70,73	120,03,75
मार्गस्थ प्रेषण	35,07,80	531
संपार्श्विकृत उधार और ऋण वितरण दायित्व	2491,53,95	164,82,76
कुल	3320,87,43	2314,95,67

व्यास एण्ड व्यास

सनदी लेखाकार

ओ पी व्यास

साझेदार

सदस्यता सं.014081

मुंबई,

23 मई 2016

ए के साहू

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

मुंबई, 23 मई 2016

हर्ष कुमार भनवाला

अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन

उप प्रबंध निदेशक

एच आर खान

निदेशक

अनूप कुमार दाश

निदेशक

के सईद अली

मुख्य महाप्रबंधक

नाबाई और सहायक संस्थाओं (नैबकान्स, नैबकिसान, एबीएफएल, नैबफिन्स) का
समेकित तुलन पत्र, लाभ - हानि खाता
और
नकदी प्रवाह
2015-16

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

निदेशक मंडल

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (जिसे आगे "होल्टिंग बैंक" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (जिनको आगे होल्टिंग बैंक और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से "समूह" कहा गया है) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का समेकित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता की समेकित विवरणी और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरणी" कहा गया है) का सारांश शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन समेकित वित्तीय विवरणों तैयार करने की जिम्मेदारी होल्टिंग बैंक प्रबंधन पर है, जिसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, समूह का समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समूह की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव, और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उसे रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनका उपयोग करने; तर्कसम्मत और विवेकपूर्ण निर्णय करने एवं अनुमान लगाने तथा लेखा अभिलेखों की प्रभावी सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने; बिना किन्हीं गलत तथ्यों के चाहे वह चूकवश अथवा धोखाधड़ी से संबन्धित हो, होल्टिंग बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को वास्तविक एवं सही रूप से तैयार करने हेतु उपयोग किया गया है; की जिम्मेदारी पूर्वोक्त के अनुसार संबंधित समूह के प्रबंधन की है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने यह लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। यह अपेक्षा है कि इन मानकों के अनुसार हम नैतिक सिद्धांतों का अनुपालन करें और समेकित वित्तीय विवरणियों की बिना किन्हीं गलत तथ्यों की प्रस्तुति के उचित आशवासनों के साथ योजनाबद्ध तरीके से लेखा-परीक्षा करें।

लेखा-परीक्षा में राशियों और समेकित वित्तीय विवरणियों में किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। चयन की गयी प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत तथ्यों के जोखिम का आकलन भी शामिल है। जोखिम का आकलन करते समय लेखा परीक्षक होल्टिंग बैंक द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गयी समेकित वित्तीय विवरणियां, जो वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करती हैं, से संबन्धित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को ध्यान में रखता है ताकि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया डिजाइन करने हेतु वर्तमान परिस्थितियों में उचित हो, न कि होल्टिंग बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होने और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावशाली संचालन के संबंध में अपनी राय प्रकट करना है। लेखा परीक्षा में उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन के साथ समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि प्राप्त लेखा-परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में अन्य मामलों एवं निम्नलिखित अनुच्छेदों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए हैं और वे समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा संबंधी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये समेकित वित्तीय विवरणियाँ अपेक्षित जानकारी प्रदान करती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप सही और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं :

1. समूह के कार्य व्यवहार की स्थिति से संबन्धित समेकित तुलन पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति ;
2. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान समूह के लाभ से संबन्धित समेकित लाभ और हानि विवरणी; और
3. उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान समूह के नकदी प्रवाह से संबन्धित समेकित नकदी प्रवाह विवरणी .

अन्य विषय

हमने चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनका दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों में इनकी कुल आस्तियाँ रु.1495.60 करोड़, कुल राजस्व रु. 205.56 करोड़ और इसी तारीख को समाप्त वर्ष का निवल नकदी प्रवाह नेट कैश आउटफ्लो रु.2.00 करोड़ है. इसमें दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में समूह के शुद्ध लाभ (कर पश्चात) का शेयर रु. 24.71 करोड़ भी शामिल है. ये वित्तीय विवरणियाँ / वित्तीय सूचनाएँ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा दी गयी है और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय जो इन सहायक संस्थाओं से संबन्धित राशियों तथा घोषणाओं के संबंध में हैं; पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपर्युक्त के संबंध में संशोधित नहीं है, क्योंकि हम अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा-परीक्षण की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित की गयी वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचनाओं पर निर्भर हैं.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि ये समेकित वित्तीय विवरणियाँ लेखा मानकों (एस) 21 "समेकित वित्तीय विवरणियाँ" की जरूरतों के अनुसार होल्डिंग बैंक द्वारा तैयार की गयी हैं. हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं.

कृते व्यास एंड व्यास

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 000590C)

ओ पी व्यास

स्थान : मुंबई

साझेदार

(सदस्यता सं. 014081)

तारीख :

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च 2016 की स्थिति

(₹ हजार में)

क्रम. सं.	विवरण	अनुसूची	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	निधियां और देयताएं (i) पूंजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत) (ii) पूंजी अग्रिम		5,000,00,00	5,000,00,00
			3,000,000	0
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित	1	222427901	197036769
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	160740000	160700000
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	48951731	42095060
5	सरकारी योजनाएँ	4	11227627	15005762
6	माइनोंरिटी इंटरेस्ट		817924	737987
7	जमाराशियां	5	1897863374	1864542434
8	बान्ड और डिबेंचर	6	391225271	340065271
9	उधार	7	206460305	95276717
10	चालू देयताएं और प्रावधान	8	114640029	95555217
	कुल निधियां और देयताएं		3107354252	2861015217
	संपत्ति और आस्तियां			
1	नकद और बैंक शेष	9	189261172	133147908
2	निवेश	10	262857812	211024185
3	अग्रिम	11	2605923530	2460960304
4	अचल आस्तियां	12	3640627	3278325
5	अन्य आस्तियां	13	4561111	52604494
	कुल संपत्ति और आस्तियां		3107354252	2861015217
विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार वायदा और आकस्मिक देयताएं			7003541	6404599

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां		17		
		18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग है

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

व्यास ऐन्ड व्यास

सनदी लेखाकार

एफ आर एन : 000590C

ओ पी व्यास

साझेदार

एम एन : 014081

मुंबई,

तारीख : 23 मई 2016

ए के साहू

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

मुंबई, 23 मई 2016

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

एच आर खान
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

के सईद अली

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(₹ हजार में)

क्रम. सं.	विवरण	अनुसूची	2015-16	2014-15
1	आय			
	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		177895451	153335698
2	निवेश परिचालनों / जमाराशियों से आय		28121400	22310452
3	अन्य आय		2631937	3518052
	कुल आय		208648788	179164203
क्रम संख्या	व्यय	अनुसूची	2015-16	2014-15
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार	14	154398537	(₹ हजार में) 129302976
2	स्थापना और अन्य व्यय	15अ	15165542	12756886
3	संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15ब	455365	613153

4	प्रावधान	16	1286211	1207053
5	मूल्यहास		270526	498258
	कुल व्यय		171576181	144378326
6	आयकर से पूर्व लाभ		37072607	34785877
7	आयकर के लिए प्रावधान		11666225	10755640
	आस्थगित कर आस्ति समायोजन		-116525	-359219
8	कर पश्चात लाभ		25522907	24389456
	सहायक संस्थाओं के लाभांश एवं डीडीटी हेतु प्रावधान		41687	0
	कर एवं लाभांश पश्चात लाभ		25481220	24389456
	माइनॉरिटी इंटरैस्ट		29488	75374
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		25451732	24314082
	विनियोजन : यथोक्त लाभ		25451732	24314082
	जोड़ें : लाभ और हानि खाते में डाले गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण		841894	1778234
	विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ		26293626	26092316
1	निम्नलिखित में अंतरित किया गया : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि		5500000	4900000
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		10000	10000

3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि		10000	10000
4	सहकारिता विकासनिधि		0	0
5	अनुसंधान और विकास निधि		354430	202232
6	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि		2960000	639315
7	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि		106172	500000
8	प्रस्तावित लाभांश		354430	202232
9	प्रस्तावित लाभांश पर कर		0	1246
10	ग्राम्य विकास निधि		200000	0
11	जलवायु निधि		50000	0
12	प्रारक्षित निधि		17103024	19829523
	कुल		26293626	26092316

कृपया लेखा पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों हेतु अनुसूची-18 देखें

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार

ओ पी व्यास
साझेदार
एम एन : 014081
मुंबई
तारीख : 23 मई 2016

ए. के. साहू
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 23 मई 2016

हर्ष कुमार भनवाला
अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन
उप प्रबंध निदेशक

एच आर खान
निदेशक

अनूप कुमार दाश
निदेशक

के सईद अली
मुख्य महाप्रबंधक

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय/परिवर्धन/ समायोजन #	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2016 को शेष
1	प्रारक्षित निधि	128033380	(72700)	17103024	0	145063704
2	अनुसंधान और विकास निधि	522500	0	354430	354430	522500
3	प्रारक्षित पूंजी	859354	0	0	0	859354
4	निवेश उतार- चढ़ाव प्रारक्षित	6550000	0	2960000	0	9510000
5	सहकारिता विकास निधि	818216	0	0	153997	664219
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित	58850000	0	5500000	0	64350000
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	456295	0	0	26233	430062
8	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि	204104	0	0	26042	178062
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	742921	0	106172	249093	600000
10	ग्राम्य विकास निधि	0	0	200000	0	200000
11	जलवायु निधि	0	0	50000	0	50000
	कुल	197036769	(72700)	26273626	809794	222427901
	गत वर्ष	172320585	401548	26073570	1758934	197036769

इसमें पिछले वर्षों का मिलान किया गया शेष रु. 3,02,22,703/- और गत वर्ष के लेखा-परीक्षित एवं बिना लेखा-परीक्षित के अंतर का शेष रु. 4,24,76,919/- शामिल है।

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को अथ शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2016 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	144850000	10000	10000	144870000
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	15850000	10000	10000	15870000
	कुल	160700000	20000	20000	160740000
	गत वर्ष	160660000	20000	20000	160700000

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	31.03.2016 को शेष
क.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान					
1	केएफडब्ल्यू -नाबार्ड V निधि आदिवासी विकास कार्यक्रम	17974	51911	457	49316	21026
2	केएफडब्ल्यू -एनबी- IXआदिवासी विकास कार्यक्रम -महाराष्ट्र	39346	0	0	143	39203
3	केएफडब्ल्यू- यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय	35267	0	1351	33968	2650
4	केएफडब्ल्यू -एनबी- यूपीएनआरएम -वित्तीय अंशदान	0	8204	0	8204	0
5	केएफडब्ल्यू- यूपीएनआरएम -जोखिम शमन निधि	0	0	0	0	0

6	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम निधि	0	0	0	0	0
7	केएफडब्ल्यू -एनबी-इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरणाIII- महाराष्ट्र	3192	0	189	2099	1282
8	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	0	23158	260	20315	3103
9	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात	3627	42817	1680	8322	39802
10	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान	0	31484	0	31484	0
11	कृषि विकास हेतु अंतराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) प्रियदर्शिनी	0	69055	0	69055	0
12	जीआईजेड-ग्रामीण वित्तीय संस्था कार्यक्रम (आरएफआईपी)	12276	15613	0	27889	0
13	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0	10006	0	3857	6149
14	जलवायु परिवर्तन- (एएफबी) परियोजना निर्माण अनुदान	1903	1903	0	1750	2056
15	जलवायु परिवर्तन- (एएफबी) परियोजना / कार्यक्रम कार्यान्वयन खाता	34048	60110	0	26146	68012
16	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन हेतु अनुकूलन निधि	0	1144330	10667	267470	887527
ख.	अन्य निधियाँ					
1	वाटरशेड विकास निधि	10849404	0	643375	405335	11087444
2	ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	2278606	186721	0	0	2465327

3	ब्याज विभेदक निधि - (तावा)	1000	0	0	0	1000
4	आदिवासी विकास निधि	57750	0	0	0	57750
5	आदिवासी विकास निधि	7422663	3794318	498253	2947938	8767296
6	वित्तीय समावेशन निधि	20694178	6987335	1329720	4483813	24527420
7	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि	-493427	493427	0	0	0
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस् विकास सहयोग परियोजना	556177	0	0	0	556177
9	आरपीएफ तथा आरआईएफ - गैर-कृषि क्षेत्र संवर्द्धन निधि	565487	0	0	167307	398180
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेन्स इन को ऑपरेटिव्स (सी-पेक)	15591	3458	1278	0	20327
11	एम एफ डी ई एफ (बंद निधि)	0	32100	0	32100	0
	कुल	42095062	12955950	2487230	8586511	48951731
	गत वर्ष	40235056	13971375	2335457	14446828	42095060
2. नाबाई भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की तरफ से उनके बैंकर / कस्टोडियन / ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबन्धित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों / लंबित संवितरण/ उपयोग को उनकी तरफ से उनके द्वारा किए गए अंशदान और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू है) की सीमा तक रखता है. 3. (i) भुगतान किया गया आय कर ₹ 130.21 करोड़ शामिल है (ii) भुगतान किया गया आय कर ₹ 241.82 करोड़ शामिल है						

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

अ.	सरकारी अनुदान योजनाएं					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी -एनएचबी	14,440	0	0	10,598	3,842
2	शीतगृहों के लिए पूंजी सब्सिडी टीएम उत्तर पूर्व	840	0	0	0	840
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी	0	21,481	0	21,009	472

4	ग्रामीण गोदामों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी	0	0	0	0	0
5	फसल उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र जल प्रबंधन	717	0	0	0	717
6	बिहार भू-जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	772,615	0	0	0	772,615
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	215	0	17	0	232
8	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	512	0	40	0	552
9	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	30,306	50,000	0	36,823	43,483
10	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	42,945	0	0	0	42,945
11	छोटे रुमेन्थक और खरगोशों के समन्वित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	217,965	100,248	0	305,124	13,089
12	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	151,130	0	0	-71,740	222,870
13	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	50,065	0	0	196	49,869
14	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि (सब्सिडी)	186,353	381,752	0	458,750	109,355
15	कृषि विपणन, आधारभूत सुविधा, ग्रेडिंग और मानकीकरण हेतु पूंजी सब्सिडी	0	0	0	0	0
16	कृषि विपणन, आधारभूत सुविधाएं	946,754	6,980,744	0	7,416,702	510,796
17	आई एस ए एम- संवर्द्धनात्मक व्यय हेतु प्राप्त अनुदान	0	256	0	133	123
18	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना	29,872	0	0	13,200	16,672

19	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	462	0	36	0	498
20	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण -बैफ - रायबरेली, उत्तर प्रदेश	123	0	10	0	133
21	सीसीएस - सूअर पालन	32,536	0	0	-205	32,741
22	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	324,325	1,170,000	0	1,111,456	382,869
23	सीसीएस - एस & आर नर भैंस कटड़ा	126	0	0	-193	319
24	सीएसएस - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन	55,089	-54,497	0	511	81
25	सीएसएस- जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग	11,884	1,551,938	0	1,387,783	176,039
26	सीएसएस-सोलर फोटो वोल्टाइक वाटर पम्पिंग	1,155,422	0	0	96,877	1,058,545
27	पूँजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केन्द्र	26,703	87,000	0	109,186	4,517
28	सीएसएस-एमएनआरई लाइटिंग योजना	0	204,300	0	0	204,300
29	कठोर चट्टानी क्षेत्र में भूगर्भ का कृत्रिम रिचार्ज	13,374	0	0	-1,086	14,460
आ	अन्य सरकारी योजनाएँ					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	2,781,342	0	0	-53,437	2,834,779
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	1,331,770	0	0	168,953	1,162,817
3	प्रोड्यूस निधि	1,989,963	0	0	211,667	1,778,296

4	बिना लाइसेन्स वाले 23 जि.म.स. बैंकों का पुनरुद्धार	3,033,200	1,112,200	0	3,033,200	1,112,200
5	ब्याज छूट सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	804	0	0	786	18
6	चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना-2007 (एसईएफएएसयू-2007)	6,527	0	0	0	6,527
7	कच्छ सूखा निवारण परियोजना	2,164	0	0	0	2,164
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए पुनरुद्धार पैकेज	200,000	0	0	0	200,000
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनरुत्थान					
I	कार्यान्वयन लागत (आरआरआर - हथकरघा पैकेज) खाता - प्राप्त अनुदान	0	0	0	0	0
II	हानि युक्त आस्तियों पर व्यय (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)- एडब्ल्यूसीएस	12,498	0	0	12,498	0
III	पुनःपूँजीकरण सहायता खाता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)- पीडब्ल्यूसीएस	891,277	-70,000	0	590,334	230,943
IV	पुनःपूँजीकरण सहायता खाता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)- व्यक्तिगत बुनकर	306,171	-13,405	0	292,766	0
V	पुनःपूँजीकरण सहायता खाता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	353,072	469	0	146,466	207,075
VI	तकनीकी सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	0	13,718	0	13,718	0

VII	एचआरडी (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	16,720	0	0	0	16,720
VIII	ब्याज सहायता (आरआरआर - हथकरघा पैकेज)	0	0	0	0	0
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	14,948	217,119	0	218,953	13,114
	कुल	15,005,229	11,753,323	103	15,531,028	11,227,627
	गत वर्ष	8758020	19212894	128	12965813	15005229

2. नाबार्ड भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की तरफ से उनके बैंकर / कस्टोडियन कस्टडीयन / ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबन्धित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों / लंबित संवितरण/ उपयोग को उनकी तरफ से उनके द्वारा किए गए अंशदान और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू है) की सीमा तक रखता है.

समेकित अनुसूची 5 - जमाराशियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	केन्द्र सरकार	0	0
2	राज्य सरकारें	0	0
3	अन्य		
	क) चाय/रबड़/कॉफी जमाराशियां	2658060	3008498
	ख) वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	968850314	896033936
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	539913000	600000000
	घ) अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	159971000	300000000
	ड) भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि	35500000	15500000
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	189971000	50000000
	छ) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि	1000000	0
	कुल	1897863374	1864542434

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	करमुक्त बॉण्ड	50000000	0
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	291470000	290310000
3	पूँजी अभिलाभ बॉण्ड	12940	12940
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	49742331	49742331
5	नाबार्ड रूरल बॉण्ड	0	0
	कुल	391225271	340065271

अनुसूची 7 - उधार

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
	(अ) भारत में		
1	केंद्र सरकार	122524	196152
2	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन	145568	358200
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
4	अन्य :		
	(i) जमाराशि प्रमाणपत्र	55452040	0
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	127710132	28980450
	(iii) संपीठित उधार एवं ऋण वितरण दायित्वों (सीबीएलओ) के अंतर्गत उधार	0	52806650
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	15194699	5152400
	(iv) वाणिज्य बैंक	143186	515038
	(v) अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	473500	0
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां	7218746	7267827
	कुल	206460395	95276717

उपर्युक्त में से, सीबीएलओ के अंतर्गत उधार ट्रेजरी बिल्स सहित सरकारी प्रतिभूतियों के समक्ष सुरक्षित हैं .

समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएं और प्रावधान

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	उपचित ब्याज / डिस्काउन्ट	88376724	76982522
2	विविध लेनदार	9767347	5842026
3	प्रारक्षित सब्सिडी (सह-वित्त पोषण, शीतगृह)	191280	205591
4	प्रारक्षित सब्सिडी - आरआईडीएफ के अंतर्गत सीएसएमआई	5480	22706
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	16521	1277
6	पेंशन के लिए प्रावधान	1104736	599344
7	साधारण छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	2447103	3182
8	चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान - सेवानिवृत्त कर्मचारी खाता (बीएस)	1168622	1066160
9	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	17498	17944
10	मीयादी जमाराशियों पर दावा न किया गया ब्याज	61	68
11	परिपक्व जमाराशियां लेकिन दावा न किया गया	908	2287
12	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा न किया गया	33679	36314
13	आवेदन राशि प्राप्त परन्तु बॉण्ड का आबंटन लंबित	0	0
14	बॉण्ड्स प्रीमियम - करमुक्त बॉण्ड्स	11650	0
15	प्रावधान और आकस्मिकताएं		
	(क) निवेश मूल्य में हास खाता - सरकारी प्रतिभूतियां	0	0
	(ख) सरकारी प्रतिभूतियों का मोचन - एचटीएम	64810	48179
	(ग) मानक आस्तियों के लिए	10667580	10176126
	(घ) निवेशों के मूल्य में हास - इक्विटी	0	0
	(ड) अनर्जक आस्तियां	327962	74602

	(घ) अनर्जक निवेश	160000	160000
	(छ) काउंटर साइकिलकल प्रोजेक्टिंग बफर	144489	144489
	(ज) पुनः संरचित ऋणों के ब्याज घटक की छोड़ दी गई राशि	32542	152101
	(झ) अन्य आस्तियों और प्राप्तियों हेतु प्रावधान	101037	20300
	कुल	114640029	95555217

समेकित अनुसूची 9 - नकद और बैंक शेष

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016को	31.03.2015को
1	नकद	23	4421
2	में जमा राशियाँ :		
	(अ) भारत के बैंकों में		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक	1505492	20300379
	ii) अन्य बैंकों में	0	0
	(आ) अन्य		
	(क) चालू खाते में	6788643	1567464
	(ख) बैंकों में जमा	155700839	109626836
	(ग) मार्गस्थ धन प्रेषण	350780	531
	(घ) संपाश्वर्कृत उधार और ऋण वितरण जिम्मेदारियाँ	24915395	1648276
	इ) भारत से बाहर	0	0
	कुल	189261172	133147908

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ [अंकित मूल्य रु. 4828,78,30,000 (रु. 3133,97,80,000)] [बाजार मूल्य रु. 4907,77,65,515 (रु. 3166,61,61,724)]	47962458	30994870

	(ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य रु. 887,98,50,000 (रु. 5465,81,75,000)] [बाजार मूल्य रु. 836,44,44,755 (रु. 5346,42,17,463)]	8364445	53464217
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
	(क) कृषि वित्त निगम लि. [1000 (1000) -रु. 10000 प्रति इक्विटी शेयर]	10000	10000
	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि. [16000000 (16000000) -रु. 10/-प्रति इक्विटी शेयर]	480000	480000
	(ग) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [60000000 (60000000) -रु. 10/-प्रति इक्विटी शेयर]	600000	600000
	(घ) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [10,70,096 (1562500) -रु. 10/-प्रति इक्विटी शेयर]	8561	12500
	(ङ) नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि.[56,25,000 (56,25,000) रु. 10/-प्रति इक्विटी शेयर]	168750	168750
	(च) यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि. [यूसीएक्स] [16000000 (16000000) रु. 10/- के प्रति शेयर]	160000	160000
	(छ) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध सेवाएँ (इक्विटी) [49 (0) शेयर्स प्रत्येक रु. 10000]	49	0
	(ज) सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लि. (इक्विटी) [55,000 (0) शेयर्स प्रत्येक रु.10000]	97460	0
	(झ) अन्य इक्विटी निवेश		
	(i) कोल इंडिया लि. ₹42,60,305 [77,389 (17389) -रु. 10/-प्रति इक्विटी शेयर]	29529	29529
	(ii) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. रु. [17,592 (28592) -रु. 10/-प्रति इक्विटी शेयर]	1583	2573
	(iii) मैंगनीस ओर इंडिया लि. ₹43,94,625 [11,719 (11,719) -रु. 10/-प्रति इक्विटी शेयर]	4395	4395
	(iv) भारतीय स्टेट बैंक [23,98,830 (23,98,880) शेयर रु. 10/-प्रति शेयर]	375425	375424

	(v) पंजाब नेशनल बैंक [36,000 (1,50,000) - रु. 2 /-प्रति इक्विटी शेयर]	7161	29839
	(vi) लार्सेन और टूबरो लि. [13000 शेयर्स (13000) रु.2 प्रत्येक]	22522	22522
	(vii) तेल एवं प्रकृतिक गैस निगम लि. [1,24,800 शेयर्स (60,000) रु.5 प्रत्येक]	42893	26704
	(viii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. [8,58,626 शेयर्स (3,58,626) रु.10 प्रत्येक]	60234	34835
	(ix) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. [80,0000 शेयर्स (80,000) रु.2 प्रत्येक]	19913	19913
	(x) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि. [35,000 शेयर्स (35,000) रु.10 प्रत्येक]	12032	12032
	(xi) मारुति सुजुकी इंडिया लि. [10,000 शेयर्स (10,000) रु.5 प्रत्येक]	25549	25549
	(xii) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि. [70,000 शेयर्स (70,000) रु. 10 प्रत्येक]	10582	10582
4	(xiii) टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि. [10,000 शेयर्स (10,000) रु.1 प्रत्येक] डिबेंचर और बॉन्ड्स	23988	23988
	(I) रासकृष्णावि बैंक के विशेष विकास डिबेंचर	49545998	64692423
	(ii) अपरिवर्तनीय डिबेंचर	4273562	1500877
	(iii) एनटीपीसी - अपरिवर्तनीय डिबेंचर	875	875
5	अन्य		
	(क) म्युच्युअल फंड	46953532	6002909
	(ख) वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य रु. 21500,00,00,000 (रु. 1000,00,00,00,000)]	20721647	9751097
	(ग) जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य रु. 7995,00,00,00,000 (रु. 425,00,00,00,000)]	78947383	41607919
	(घ) एसईएफ - इंडियन एग्री-बिजनेस	92626	83312
	(ङ) एपीआईडीसी - वेंचर्स लाइफ फंडIII	139347	124869
	(च) बीवीएफ (बायो-टेक वेंचर निधि) -एपीआईडीसी-Vनिवेश	49835	49835
	(छ) ओमिनोवोर इंडिया कैपिटल ट्रस्ट	177340	130080
	(ज) इंडिया अपोरच्युनिटी फंड	102184	73205
	(झ) आईवी कैप वेंचर फंड	196000	120000
	(ञ) टाटा पूंजी नवोन्मेष निधि	492386	295125

	(ट) टी वी एस श्रीराम ग्रोथ फंड	200637	83437
	(ठ) गोल्डेन गुजरात ग्रोथ फंड	5000	0
	(ड) ईओएल हेतु चिन्हित निवेश	2471931	2576038
	कुल	262857812	213600223

उपर्युक्त सभी निवेश भारत में किए गए हैं.

@ कंपनी को ₹ 1/- पर मूल्यांकित किया गया है. निवेश के प्रति प्रावधान को अनुसूची- 9 में अनर्जक निवेशों के प्रति प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-35 देखें)

समेकित अनुसूची 11 - अग्रिम

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	पुनर्वित्त ऋण		
	(क) उत्पादन और विपणन ऋण	697188241	887112142
	(ख) उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	4468997	0
	(ग) अन्य निवेश ऋण		
	(i)मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	835071478	611726719
	(ii)अंतरिम वित्त	0	0
	(iii)जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	32507500	28181668
	(iv)नाबार्ड (वेयर हाउसिंग) पुनर्वित्त योजना	0	0
	(v)जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन	62405	132559
2	प्रत्यक्ष ऋण		
	(क) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	913841186	835452344
	(ख) वेयर हाउस आधारभूत सुविधा निधि के अंतर्गत ऋण	23619548	11535018
	(ग) दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	11270853	9992947
	(घ) नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	32388945	22226312
	(ड) उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) के अंतर्गत ऋण	3777682	3548625
	(च) फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ) के अंतर्गत ऋण	49485000	48274500
	(छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	205680	0

3.	अन्य ऋण :		
	(i)सहकारिता विकास निधि कार्यक्रम ऋण	8572	12857
	(ii)सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि कार्यक्रम ऋण	44379	128110
	(iii)वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम ऋण	399715	414501
	(iv) आदिवासी विकास निधि कार्यक्रम ऋण	146391	151130
	(v)केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम ऋण	987526	1272442
	(vi)कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि कार्यक्रम ऋण	0	0
	(vii)गैर-कृषि क्षेत्र संवर्धनात्मक गतिविधि कार्यक्रम ऋण	0	73616
	(viii)कृषक प्रौद्योगिकी अंतरण निधि	0	2029
	(ix) कृषीतर क्षेत्र संवर्द्धन ऋण	412686	124820
	(x) कृषि क्षेत्र संवर्द्धन	4987	17039
	सह- वित्त ऋण (प्रावधान को घटाकर)	31759	95008
	सी पी - एच सी सी डीमड अग्रिम	0	485918
	कुल	2605923530	2460960304

अनुसूची 12 - अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत		
	अथ शेष	1624360	1628333
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	118971	-3972
	उप-जोड़	1743331	1624360
	घटाएं : बेची गई / बड़े खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0	0
	इति शेष (लागत पर)	1743331	1624360
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	512019	490640
	बही मूल्य	1231312	1133720
2	परिसर		
	अथ शेष	3390933	3043584
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	241667	347349

3	उप-जोड़	3632600	3390933
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0	0
	इति शेष (लागत पर)	3632600	3390933
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	2271980	2155987
	बही मूल्य	1360620	1234946
	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	अथ शेष	617327	574143
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	23908	47928
	उप-जोड़	641234	622071
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	9283	4810
4	इति शेष (लागत पर)	631952	617262
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	582190	574322
	बही मूल्य	49762	42939
	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	अथ शेष	990177	912640
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	82824	101645
	उप-जोड़	1073001	1014285
	घटाएं : बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	34062	28386
	इति शेष (लागत पर)	1038939	985899
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	922212	852827
5	बही मूल्य	116727	133072
	वाहन		
	अथ शेष	62659	55433
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	41863	18073
	उप-जोड़	104522	73506
	घटाएं : बेची हुई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	22748	10788
	इति शेष (लागत पर)	81774	62718
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	35019	35328
	बही मूल्य	46755	27390
	चल रहे पूंजीगत कार्य (स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों की खरीद)	835451	706258
कुल		3640627	3278325

समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	उपचित ब्याज	35772803	43428617
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	26357	43052
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	36170	33875
4	स्टाफ को आवास ऋण	1404451	1547967
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	972913	904587
6	भूस्वामियों को अग्रिम	114	104
7	विविध अग्रिम	764393	588418
8	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0	0
9	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को घटाकर)	3823401	2498533
10	आस्थगित कर आस्तियां	1646437	1530623
11	भारत सरकार/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली-योग्य व्यय	172858	335805
12	प्राप्य डिस्काउंट	1051214	1513772
	कुल	45671111	52425354

समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	भुगतान किया गया ब्याज		
	क) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियों पर	57377886	52925213
	ख) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि पर	25526753	23143804
	ग) अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि पर	14516488	12719544
	घ) चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियों पर	175861	202739
	ड) सीबीएस जमाराशियों पर	736	7733
	च) जमाराशियों / उधारियों पर	13910	14724
	छ) केंद्र सरकार से ऋणों पर	10117	21458
	ज) भारतीय रिजर्व बैंक से उधार पर	0	0
	झ) बाण्डों पर	33305726	29700145
	ट) वाणिज्यिक पत्र पर	9720616	4293209
	ठ) मीयादी मुद्रा उधार पर	650857	240501

	ड) अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार पर	60	270
	ढ) जमाराशि प्रमाणपत्र पर भुगतान किए गए डिस्काउंट की लागत पर	422318	0
	ण) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार पर	259450	276995
	त) वाटरशेड विकास निधि पर	643375	571474
	थ) ग्रामीण नवोन्मेष निधि पर	0	29968
	द) वित्तीय समावेशन निधि पर	1329720	1083983
	ध) इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश पर	260	236
	न) इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान पर	0	96
	प) इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात पर	1680	123
	फ) केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपायों पर	1351	1846
	ब) केएफडब्ल्यू - नाबार्ड इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरणIII- महाराष्ट्र पर	189	456
	भ) केएफडब्ल्यू - नाबार्ड -IXआदिवासी विकास कार्यक्रम पर	0	3806
	म) केएफडब्ल्यू - नाबार्ड -V आदिवासी परियोजना	457	840
	य) वायदा प्रभार - केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम उधार पर	1196	2642
	र)गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बैंक परियोजना - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश पर	36	45
	ल)गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बैंक परियोजना - रायबरेली, उत्तर प्रदेश पर	10	12
	व)पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार)	57	71
	श) आदिवासी विकास निधि	498253	641222
	ष) सेन्टर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिक्स (सी-पेक)	1278	1406
	स) वेयर हाउस आधारभूत सुविधा निधि	1213901	879528
	ह) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	7000694	1247664
	क्ष)खाद्य प्रसंस्करण हेतु निधि	59875	0
2	त्र) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि	10667	0
	संपार्श्विकृत उधार और ऋण वितरण दायित्वों के डिस्काउंट पर	1078061	967365
3	बाण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्गम व्यय पर	354883	91663
4	पूँजी हानि- अन्य संस्थाओं के इक्विटी शेयर्स	4229	564
5	स्वैप प्रभारों पर	217587	231629
	कुल	154398537	129302976

समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	वेतन और भत्ते	7354893	7406057
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों के लिए प्रावधान / में अंशदान	4653011	2513310
3	अन्य अभिलाभ एवं भत्ते	391843	319341
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	2906	4521
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	607	500
6	किराया, दरें, बीमा, लाइटिंग आदि	361963	329559
7	यात्रा व्यय	360695	314148
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	48743	45316
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	136544	126914
10	मरम्मत	283120	197987
11	लेखापरीक्षकों के शुल्क	4442	4709
12	विधिक प्रभार	15645	19447
13	विविध व्यय	853441	805162
14	विविध आस्तियों पर व्यय	80715	84030
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	623671	530431
16	संपत्ति कर	-6697	55454
	कुल	15165542	12756886

समेकित अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	सहकारिता विकास निधि	153997	117109
2	कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	0	0
3	उत्पादक संगठन विकास निधि	26233	21471
4	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि	26042	22935

5	कृषीतर क्षेत्र संवर्धनात्मक उपायों/ गतिविधियों के लिए व्यय	0	15203
6	एफएसपीएफ के अंतर्गत गतिविधियां	249093	436372
7	जलवायु परिवर्तन	0	63
	कुल	455365	613153

समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
	प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	521336	1242827
2(क)	अनर्जक आस्तियां	757687	65758
2(ख)	अनर्जक आस्तियाँ - स्टाफ	147	364
3	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	0	160000
4	निवेश लेखा में मूल्य हास - इक्विटी	0	-5928
5	पुनःसंचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि	-119558	-219636
6	अन्य आस्तियां / प्राप्य राशियां	124378	-39219
7	बट्टे खाते डाली गई राशि	2221	2887
	कुल	1286211	1207053

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	712968	510219
	उप जोड़ "अ"	712968	510219
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	2860	0
	उप जोड़ "आ"	2860	0
	कुल (अ + आ)	715828	510219

अनुसूची 18

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और नोट

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/नाबाई) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2. समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक की अपने निवेश की लागत के अधिक्य/कमी को रिज़र्व और अधिशेष में दर्शाया गया है।

समान लेन-देनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा बैंक के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उसे उसी तरह प्रस्तुत किया गया है। मूल बैंक के वित्तीय विवरणों के अनुसार उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार सहयोगी कंपनियों से संबंधित आंकड़ों को परिवर्तित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

समेकन में उपयोग किए गए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख को तैयार किए हैं जिस दिन बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित नोटों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का अभिप्राय सूचनापरक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करने और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर रूप से समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। इस संबंध में बैंक ने ऐसे नोटों तथा नीतियों का प्रकटीकरण किया है जो काफी जरूरी प्रकटीकरण हैं और समूह तथा सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए अन्य नोटों एवं सांविधिक अनुरूपताओं को, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं है, छोड़ दिया गया है।

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को, अंतः-समूह शेषों और अंतः-समूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटा देने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को पंक्ति-दर पंक्ति आधार पर एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। अंतः-समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा लागत वसूल किए जाने तक अंतः-समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है।

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में अल्प हितधारकों रेस्ट के हिस्से की पहचान की गई और शेयर धारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर पश्चात लाभ के समक्ष इसे समायोजित किया गया। समेकित सहायक संस्थाओं की हानि में अन्य हितधारकों का हिस्सा यदि इक्विटी में उनके हिस्से से अधिक होता है तो अन्य हितधारकों से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के हित के समक्ष समायोजित किया गया है।

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अन्य हितधारकों का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है।

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएं शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात ()	
		2015-16	2014-15
नैबकिसान फायनांस लि. (जिसे पहले 'एग्री डेवलपमेंट फाइनेन्स (तमिलनाडु) लि.' (एडीएफटी) के नाम से जाना जाता था)	भारत	86.22	78.29
एग्री बिजनेस फाइनेन्स (आंध्र प्रदेश) लि. (एबीएफएल)	भारत	84.03	72.46
नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेस लि. (नैबफिन्स)	भारत	67.01	67.01
नाबार्ड कन्सल्टेंसी प्रा.लि.(नैबकान्स)	भारत	100	100

4. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की जानकारी के आधार पर हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ये भिन्नताएं ऐसे परिणामों के वर्ष में दर्शाई जाती हैं।

5. राजस्व निर्धारण

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:

- I. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.
- II. ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.
- III. विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.
- IV. किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर ₹10,000 तक के व्यय.

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बढ़ा राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

5.4 जहां नाबार्ड पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, वहां संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी आधार पर सब्सिडी जारी करने संबंधी लेखांकन किया गया है.

5.5 उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

5.6 धन संपदा कर के लिए किए गए प्रावधान धन संपदा कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार हैं.

5.7 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

- I. दंडात्मक ब्याज
- II. लागत और प्रभार
- III. अतिदेय ब्याज और ब्याज
- IV. मूलधन

- 5.8 संवितरित मीयादी ऋण से ब्याज और बैंकों से प्राप्त ब्याज को, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर गणना में लिया गया है।
- 5.9 सेवाओं से आय
- 5.9.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी (नैबकॉन्स) के लिए सौंपे गए कार्यों से आय का मुख्य स्रोत है। सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुरूपी व्यय को गणना में लिया जाता है। सौंपे गए कार्य को पूर्ण माना जाता है,
- डीपीआर परियोजना के मामले में, जब पार्टी को डाफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी जाती है।
 - बड़े कार्यों के मामले में, जिनका निष्पादन एक वर्ष से अधिक की अवधि में किया जाना है, पूरे किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और की जा चुकी सुपुर्दगियों के आधार पर आय निर्धारण किया गया है।
 - यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध ठेका हो, तो ऐसे मामले में पूरी हुई अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है।
- 5.9.2 विदेश से प्राप्त कार्यों के मामले में, निष्पादन होते ही आय को मान्य किया गया है।
- 5.9.3 प्रबंध तंत्र की राय के अनुसार, जिन कार्यों को जारी नहीं रखा जाना है उन्हें "जैसा है जहां है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है।
- 5.9.4 वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है। इस प्रकार के कार्यों पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।
- 5.9.5 करार की शर्तों के अनुसार 'पास थ्रू' और अनुप्रवर्तन एजेंसी के कार्य के संबंध में, नैबकॉन्स प्रत्येक किस्त जारी करते समय जारी की गई राशि से प्रोफेशनल शुल्क के रूप में 1.5% राशि की कटौती करने हेतु पात्र है। प्रत्येक किस्त जारी करते समय आय मान्य किया गया है।
6. अचल आस्तियां और मूल्यहास
- क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है।
- ख) भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे वाली भूमि शामिल है।
- ग) परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।
- घ) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसर पर अवलिखित मूल्य के आधार पर 10% वार्षिक की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।
- ङ) पट्टेवाली भूमि और उस पर स्थित परिसर के मूल्यहास की गणना की गई और अवलिखित मूल्य के आधार पर 5% की दर या पट्टाधारित की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रीमियम/लागत के परिशोधन से प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, की दर प्रभारित की गई है।
- च) ₹1 लाख और उससे कम राशि की अचल परिसंपत्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन आदि जिनमें से प्रत्येक की कीमत यदि ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है। सभी साफ्टवेयर जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1 लाख और उससे कम है और वे स्वतंत्र रूप से खरीदे गए हों, उन्हें लाभ हानि खाते में लिया गया है।

- छ) अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित आस्तियों की अनुमोदित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से मूल्यहास प्रभारित किया गया है:

आस्तियों के प्रकार	मूल्यहास दर
फर्नीचर और फिक्शर	20%
कम्प्यूटर और साफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- ज) मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है, चाहे आस्ति का क्रय किसी भी तारीख को किया गया हो. बिक्री वर्ष के दौरान मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है.
- झ) वर्तमान में चल रहे पूंजीगत कार्यों में पूंजी अग्रिम शामिल हैं और उन्हें अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.
- ञ) निम्नलिखित सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर निम्नानुसार मूल्यहास की गणना की गई है:

सहायक संस्थाओं का नाम	मूल्यहास की प्रणाली
नैबकिसान फाइनेंस लि.(जिसे पहले "एग्रीडेवलपमेंट फाइनेंस (तमिलनाडु) लि." (एडीएफटी) के नाम से जाना जाता था)	अनुसूची XIV के अनुसार अवलिखित मूल्य
एग्री बिजनेस फाइनेंस (आंध्र प्रदेश) लि. (एबीएफएल)	अनुसूची XIV के अनुसार अवलिखित मूल्य
नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (नैबफिन्स)	अनुसूची XIV के अनुसार सीधी रेखा विधि
नाबार्ड कन्सलटेंसी प्रा.लि.(नैबकॉन्स)	अनुसूची XIV के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

- क) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी), "बिक्री के लिए धारित" (एएफएस) और "परिपक्वता तक धारित" (एचएमटी) श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणियां" लिखा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.
- ख) जो प्रतिभूतियां मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जो प्रतिभूतियां इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आतीं उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.
- ग) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण लागत पर रखा गया है, जहां लागत अंकित मूल्य के बराबर है अथवा उससे कम. यदि लागत अंकित मूल्य से अधिक है तो, परिपक्वता के लिए शेष अवधि के दौरान के प्रीमियम को परिशोधित किया जाता है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में, जहां भी आवश्यक था, प्रावधान किया गया है. ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी/परिशोधन हेतु प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है.
- घ) "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के उन्मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है और फिर उसे प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है.

- ड) "एफएएस" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित के लिए चिन्हित किया गया है। "एफएएस" के रूप में वर्गीकृत श्रेणी वाले निवेशों के लिए निवल मूल्यहास, (यदि कोई है) का प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात एकल स्क्रिप की अंकित मूल्य को नहीं बदला जाता है।
- च) "एचएफटी" श्रेणी के अंतर्गत, निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर, स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित किया गया है। "एचएफटी" श्रेणीकृत निवेशों के लिए मूल्यहास/मूल्यवृद्धि को मान्य किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात एकल स्क्रिप की अंकित मूल्य को बदला जाता है।
- छ) सहायक संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- ज) खजाना बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण-पत्रों का मूल्यन वहन लागत पर किया गया है।
- झ) जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उनके अद्यतन लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं तो अनकोटेड शेयरों का मूल्यन ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी ₹1/- पर उनका मूल्यन किया जाता है।
- ञ) अधिग्रहण के समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी समेत निवेश के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है।
- ट) शेयर बाजार में खरीद/बिक्री किए गए शेयरों के अधिग्रहण/बिक्री के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज को पूंजीकृत किया जाता है।
- ठ) ऋण निवेश पर अदा/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना गया है और लागत/बिक्री हेतु विचार नहीं किया गया है।
- ड) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यहास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- ढ) सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- ण) निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत प्रणाली अपनाई गई है।
8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान
- क) अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- ख) अग्रिमों की पुनः संरचना/पुनः अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य और संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।
- ग) अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों से घटा कर दिखाया गया है।
- घ) निधियों से प्रदान किए गए ऋणों से संबंधित अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान के लिए संबंधित निधियों को उपलब्ध सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन प्रबंध निम्नानुसार किया जाता है:

क) वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और पुनः मूल्यांकन के पश्चात प्राप्त विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में विदेशी जमा और उधारों के पुनः मूल्यांकन पर अधिलाभ/घाटा शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है

ख) आय और व्यय मदों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया जाता है।

10. विदेशी विनिमय संविदाओं हेतु लेखांकन

क) विदेशी विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती के लिए जोखिम से बचाव करने के लिए की जाती हैं।

ख) वर्ष के अंत में विदेशी विनिमय संविदाओं का एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है। पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अधिलाभ/घाटे को लाभ हानि खाते में वायदा विनिमय संविदा खातों के पुनः मूल्यांकन पर प्राप्त अधिलाभ/घाटा शीर्ष के अंतर्गत लिया जाता है। बढ़त/कम हुई राशि को संविदा जारी रहने की अवधि तक हिसाब में लिया जाता है।

ग) विदेशी विनिमय संविदाओं के निरसन और नवीकरण पर अधिलाभ/घाटे को लाभ और हानि खाते में 'वायदा विनिमय संविदा खातों के पुनः मूल्यांकन पर अधिलाभ/घाटा' शीर्ष के अंतर्गत लिया जाता है।

11. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी समझे जाते हैं और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यथा आवश्यक बीमांकीय मूल्यांकन किया जाता है।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबहाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी जाती है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

i) परिभाषित अंशदान योजना

उन सभी पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, के लिए बैंक में भविष्य निधि योजना है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अंशदान उपचयी आधार पर स्वीकार किए जाते हैं।

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं। बैंक ने एक नियत अंशदान योजना 'एनपीएस-कारपोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो पेंशन फंड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है। निधि में अंशदान उपचयी आधार पर किए जाते हैं।

ii) परिभाषित लाभ योजना

ख) 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण करनेवाले सभी पात्र कर्मचारियों के पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इस योजना के लिए निधि बैंक प्रदान करता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं। सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए पात्र हैं। अन्य प्रदत्त दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर इकाई लागत पद्धति का प्रयोग करके बीमांकीय मूल्यन के आधार पर किया जाता है। बीमांकीय लाभ या घाटे को लाभ और हानि खाते में उपचयी आधार पर दर्शाया जाता है।

12. आय पर कर

- क) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं एवं निर्धारणों/अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण किया गया।
- ख) आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है।
- ग) अवशोषित न हुए मूल्यहास/व्यावसायिक हानियों से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।
- घ) निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधि के व्यय के रूप में की गई है।

13. खंड रिपोर्टिंग

- क) खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं।
- ख) जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, 'उसे अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय' में शामिल किया गया है।
- ग) जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/खंड को आबंटन-योग्य हैं, उन्हें उनके खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको 'अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय' में शामिल किया गया है।
- घ) खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने वाली आस्तियां और देयताएं शामिल हैं।

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

- क) प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख तक आस्तियों की धारिता राशि की क्षतिग्रस्तता के लिए जांच की जाती है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि:
 - i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान का निर्धारण किया जा सके, अथवा
 - ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि का प्रत्यावर्तन यदि कोई हो तो, किया जा सके।
- ख) क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया जाता है जिनका आकलन वास्तविक स्तर पर किया जा सके यदि,

- क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व हो,
- ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो, और
- ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो.

15.2 आकस्मिक देयता को निम्नलिखित मामलों में प्रकट किया गया:

- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी,
- ख) किसी वर्तमान दायित्व का वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और
- ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता हो.

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

15.4 प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की गई है.

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, बैंक में मांग जमा राशि और अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. निदेशक बोर्ड के निर्देश के अनुसार बैंक ने तुलन पत्र की अनुसूचियों में विभिन्न निधियों का पुनर्वर्गीकरण किया तथा अनुसूची 3, 4 और 5 को दो अनुसूचियों अर्थात् 3 और 4 में संयुक्त कर दिया और तदनुसार उसे चालू वर्ष के वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया है.
2. बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों को अलग से प्रकट करने के लिए अब तक अनुसूची 16 के भाग इ के रूप में प्रकट किए गए प्रावधानों को एक अलग अनुसूची अर्थात् अनुसूची 16 में प्रकट किया गया है और स्थापना तथा अन्य व्ययों और संवर्धनात्मक व्यय पर हुए खर्च को जो अब तक अनुसूची 16 के भाग अ और आ के रूप में हुआ करता था, उसे अनुसूची 15 के भाग अ और आ के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के पत्र सं. डीसीबीआर. आरसीबीडी.बीपीडी. सं. 4/19.51.010/2015 द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) तथा वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का विलय कर एक निधि अर्थात् वित्तीय समावेशन निधि गठित की गई है. तदनुसार पूर्व एफआईटीएफ के व्यय को एफआईएफ के व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.
4. केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू) के साथ हुए करार के अनुसार यूपीएनआरएम के अंतर्गत अभिवृद्धि/आय तथा व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है. इस निधि से दिए गए ऋण को प्रत्यक्ष ऋण की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 12 में प्रकट किया गया है. यूपीएनआरएम संबंधी उधार को 'अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार' की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 8 के तहत प्रकट किया गया है. वर्ष के दौरान ₹16.36 करोड़ की राशि को प्राप्त व्यय के रूप में खर्च किया गया है और केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम योजना के अंतर्गत दिए गए ऋणों हेतु अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.
5. अप्रयुक्त शेष पर ब्याज को प्रबंधन तंत्र द्वारा किए गए अनुमोदन/तत्संबंधी करारों के अनुसार निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया है. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निधि का नाम	2015-16 के लिए ब्याज दर	2014-15 के लिए ब्याज दर
1.	वॉटरशेड विकास निधि	6%	6%
2.	केएफडब्ल्यू - विकास कार्यक्रम इंडोजर्मेन वॉटरशेड विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान)	6%	6%
3.	केएफडब्ल्यू सहबद्ध उपाय -	6%	6%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	6%	6%
5.	जनजाति विकास निधि	6%	6%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	6%	6%
7.	केएफडब्ल्यू नाबार्ड- V आदिवासी विकास कार्यक्रम- गुजरात	6%	6%
8.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.88%	10.80%
9.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.88%	10.80%
10.	सेन्टर फॉर प्रोफेशनल एक्सलन्स इन को-ऑपरेटिवज़	7.88%	10.80%
11.	केएफडब्ल्यू नाबार्डIX- आदिवासी विकास कार्यक्रम - महाराष्ट्र	--	10.80%

6. भारत सरकार/अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों (तुलन पत्र की अनुसूची-14 देखें) से वसूली योग्य ₹ 33.58 करोड़ (₹ 24.69 करोड़) में विविध निधियों का नाम अधिशेष शामिल है. ऐसी निधियों का विवरण निम्नानुसार है.

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निधि का नाम	31-03-2016	31-03-2015
1	केएफडब्ल्यू - एनबीआईजीडब्ल्यूडीपी - (आंध्र प्रदेश)	---	0.09
2	केएफडब्ल्यू - एनबीआईजीडब्ल्यूडीपी - (राजस्थान)	5.31	2.01
3	आईएफएडी - प्रियदर्शिनी कार्यक्रम	---	6.80
4	जीआईजेड यूपीएनआरएम - तकनीकी सहयोग	---	0.20
5	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम निधि	11.44	---
6	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम-वित्तीय अंशदान	0.39	0.62
7	कार्यान्वयन लागत [हथकरघा पैकेज - आरआरआर] -	---	8.55
8	ब्याज सहायता [हथकरघा पैकेज - आरआरआर] -	---	13.63
9	तकनीकी सहायता [हथकरघा पैकेज - आरआरआर] -	---	1.37
10	आईएफएडी- एमआरसीपी	---	0.06
11	अन्य	0.15	0.25

7. पिछले वर्ष बंद हो चुकी सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) के संबंध में अंशदाताओं की बकाया राशियों में विविध लेनदारों की ₹ 32.12 करोड़ (₹35.50 करोड़) की राशि शामिल है। संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक जमा	नाबार्ड द्वारा प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया अतिरिक्त अंशदान	एनपीए के लिए प्रावधान के समक्ष आहरित	31 मार्च 2016 को अंतशेष
1	2	3	4	5 [2-(3+4)]
विविध लेनदार - एमएफडीईएफ	35.50	3.21	0.17	32.12

8. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा की गई ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियां, अल्पावधि सहकारी ग्रामीण पुनर्वित्त निधि (एसटीसीआरसी) जमाराशियां, अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि (एसटीआरआरबी) जमाराशियां और भंडारण आधारभूत सुविधा विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशियों में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक संबंधित मार्जिन बैंक को उपलब्ध होता है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार आदिवासी विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा किया गया। पिछले वर्ष, ये राशियां आदिवासी विकास निधि, वाटरशेड विकास निधि और वित्तीय समावेशन निधि में जमा की गई थीं।
9. बैंक ने कर के पश्चात लाभ में से नई निधियों का सृजन किया जैसे ₹ 20.00 करोड़ के कारपस के साथ ग्राम्य विकास निधि और ₹ 5.00 करोड़ के कारपस के साथ जलवायु निधि का सृजन किया।
10. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित लाभांश पर कर को विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित लाभांश पर कर से संबंधित पिछले वर्ष की राशि ₹ 12.46 लाख को पुनः समूहन नहीं किया गया।
11. नाबार्ड द्वारा लिए जाने वाले उधार की लागत और पुनर्वित्त की दर के बीच के अंतर को भारत सरकार से ₹ 1353.14 करोड़ (₹ 1416.37 करोड़) की मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के अंतर्गत और ₹ 17.12 करोड़ (₹ 17.11 करोड़) की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य सहायता की राशि को ब्याज और वित्तीय प्रभारों से घटाया गया और उसे उपचित ब्याज में दर्शाया गया तथा उसका प्रकटन अनुसूची 14 में किया गया है।
12. राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए, मौसमी कृषि परिचालनों के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्रभारों के रूप में भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्य अन्य प्राप्तियों में ₹ 168.43 करोड़ (₹ 162.62 करोड़) शामिल है।
13. प्रत्येक पांच वर्षों के बाद बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाती है। यह समीक्षा नवंबर 2012 से की जानी है। वर्ष के दौरान ₹ 150.00 करोड़ (₹ 135.00 करोड़) के लंबित भुगतान का प्रावधान 'वेतन और भत्ते' शीर्ष अंतर्गत किया गया है।
14. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में, ₹ 11.06 करोड़ (₹ 35.70 करोड़) के आस्थगित कर को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया। आस्थगित कर का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	124.97	117.71
2	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	37.55	33.75
	जोड़	162.52	151.46

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है।

15. कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए बैंक की कर देयता की राशि आयकर विभाग द्वारा ₹373.15 करोड़ निर्धारित की गई है। बैंक ने इस राशि का प्रावधान किया था और इस राशि का भुगतान कर दिया गया है। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की है।

16. आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के कर निर्धारणों को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः खोला। आय का पुनर्मूल्यांकन: करते हुए बैंक की आय में ₹343.21 करोड़ की राशि को जोड़ा गया। उपर्युक्त में से,

क) इसके अतिरिक्त, आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज के कारण हिसाब में लिए गए ₹132.08 करोड़ की राशि भी जोड़ दी गई जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वाटरशेड विकास निधि में जमा की गई थी।

ख) इसके अतिरिक्त, ₹ 211.13 करोड़ की राशि अन्य खाता आय में जोड़ दी गई। बैंक की राय में, इन जोड़ी गई राशियों से अतिरिक्त कर बर्हिगमन की बहुत ही कम संभावना है। बैंक ने सीआईटी-अपील में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है और कर निर्धारण अधिकारी के पास भी सुधार हेतु आवेदन किया है। अपील/ सुधार हेतु किए गए आवेदन का परिणाम लंबित है। अतः बैंक ने निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार, वाटरशेड विकास निधि शीर्ष के अंतर्गत कर और ब्याज राशि को मिलाकर ₹97.83 करोड़ की राशि को निधि के व्यय के रूप में हिसाब में लिया है।

बैंक ने गत वर्षों के करों की धन-वापसी के समायोजन के माध्यम से ₹ 254.22 करोड़ की कुल मांग में से ₹162.16 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया है और पुनः कर निर्धारण के विरुद्ध सीआईटी (ए) के साथ अपील की है। सीआईटी (ए) ने अपने 26 फरवरी 2016 के आदेश के द्वारा नाबार्ड की अपील का समर्थन किया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुनः खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है।

17. कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए पुनः कर-निर्धारण के दौरान (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः खोला गया) आरआईडीएफ के अंतर्गत विभेदक ब्याज के कारण ₹157.47 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता का निर्धारण किया गया था। बैंक ने चालू वर्ष के दौरान 'जनजाति विकास निधि' पर प्रभारित ₹27.46 करोड़ की उक्त देयता का भुगतान किया है। तथापि, बैंक ने उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी-अपील में अपील की है। वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईटी (ए) ने अपने 30 मार्च 2016 के आदेश के द्वारा नाबार्ड की अपील का समर्थन किया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुनः खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है।

18. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए करनिर्धारण को आयकर विभाग ने पुनः खोला और आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी के अंतर्गत विभेदक ब्याज पर ₹174.59 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता निर्धारित की गई। बैंक ने पिछले वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया है और उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी-अपील के पास अपील फाइल किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईटी (ए) ने अपने 30 मार्च 2016 के आदेश के द्वारा नाबार्ड की अपील का समर्थन किया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुनः खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है।

19. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए कर निर्धारण को पुनः खोला और आरआईडीएफ के विभेदक ब्याज तथा पिछले वर्षों में बैंक द्वारा भुगतान किए गए अन्य अमान्य राशियों के लिए देय ₹ 256.90 करोड़ की मांग की तथा कर निर्धारण को पुनः खोलने के विरुद्ध सीआईटी(ए) के विरुद्ध अपील फाइल की। वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईटी (ए) ने अपने 30 मार्च 2016 के आदेश के द्वारा नाबार्ड के अपील का समर्थन किया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण हो चुके कर निर्धारण को पुनः खोलने के विरुद्ध अपना फैसला दिया है।
20. कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आय के निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज के कारण ₹ 313.07 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई थी। बैंक ने पिछले वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया है। तथापि, बैंक ने उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी-अपील में अपील की है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 'जनजाति विकास निधि' के अंतर्गत ₹ 276.66 करोड़ की कर राशि को हिसाब में लिया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान सीआईटी (ए) ने 26 फरवरी 2016 के अपने आदेश में आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज पर आयकर न वसूलने के लिए हमारे अपील का समर्थन किया है।
21. कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर निर्धारण के दौरान आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी और अन्य के अंतर्गत विभेदक ब्याज के लिए ₹ 424.95 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई। बैंक ने पिछले वर्षों में उक्त देयता का भुगतान किया है। बैंक ने सीआईटी-अपील में उपर्युक्त के विरुद्ध अपील फाइल की है।
22. कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग ने आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज की राशि जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, आदिवासी विकास निधि में जमा किया गया था, में ₹ 1002.68 करोड़ की राशि को जोड़ा है। इसके अलावा, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्ययों और अन्य अमान्य किए गए व्ययों के कारण ₹ 145.90 करोड़ की राशि को बैंक की आय में जोड़ा गया है। पिछले वर्षों में बैंक ने देयता का भुगतान किया है। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के साथ उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है।
23. वर्ष के दौरान, आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आरआईडीएफ/एसटीसीआरसी के अंतर्गत हिसाब में लिए गए विभेदक ब्याज की राशियों जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार आदिवासी विकास निधि में जमा किया गया था, में ₹ 1156.05 करोड़ की राशि को जोड़ा है। इसके अलावा, संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अमान्य किए गए व्यय और अन्य अमान्य किए गए व्ययों के कारण ₹ 20.56 करोड़ की राशि को बैंक की आय में जोड़ा गया है। तथापि, बैंक ने सीआईटी-अपील के साथ उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है।
24. 'पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और लीज भूमि' और 'परिसर' - ₹ 19.58 करोड़ (₹ 29.87 करोड़) की राशि कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए भुगतान की गई जिनका हस्तांतरण अभी पूरा नहीं हुआ। तुलन-पत्र की तारीख के बाद ₹ 3.58 करोड़ के मूल्य के स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में हस्तांतरण निष्पादित किया गया।
25. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां)	40.00 (40.00)	40.22 (37.26)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी संपार्श्विक उधार (ऋण वितरण दायित्व)	4892.86 (3086.00)	4810.12 (3054.17)

26. नाबार्ड द्वारा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित सभी निवेशों का बाजार मूल्य ₹ 2537.61 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष बाजार मूल्य ₹ 3302.79 करोड़ था. इसमें से ₹ 121.05 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष उद्यम पूंजी निधि में निवेश का बाजार मूल्य ₹ 124.45 करोड़ था. तदनुसार, बाजार मूल्य से बही मूल्य की बढ़ी हुई अंतर राशि ₹ 3.40 करोड़ थी जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया.

27. अनर्जक निवेश :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	16.00	0.00
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	16.00
वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	0.00	0.00
31 मार्च 2016 को अंतिम शेष	16.00	16.00
कुल प्रावधान	16.00	16.00

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के जुलाई 2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में यूनिवर्सल कर्मांडिटी एक्सचेंज (यूसीएक्स) को पण्य विनिमय में परिचालन करने पर रोक लगाने के कारण यूनिवर्सल कर्मांडिटी एक्सचेंज (यूसीएक्स) में किए गए ₹ 16.00 करोड़ के निवेश को अनर्जक निवेश माना गया. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इस कंपनी में किए गए निवेश का मूल्य ₹ 1/- माना गया है.

33. लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक आकस्मिक देयताओं में निम्नानुसार उतार-चढ़ाव रहे.

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.29	0.00
वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	0.00	0.00
अंतिम शेष	0.29	0.00

28. लाभ और हानि खाते में शामिल पूर्व अवधि मर्दे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1.	आय	0.01	0.09
2.	राजस्व व्यय	0.02	-0.04
3.	सेवानिवृत्ति पश्चात् के चिकित्सा लाभ	0.00	0.00
4.	निधि व्यय	0.00	0.00
कुल		-0.01	0.05

29. व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक का मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

- i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण: ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिया गया ऋण, सह वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण और सहकारी बैंकों को दिए गए अन्य सीधे ऋण इस खंड में शामिल हैं.
- ii) पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, रासकृयावि बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को संवितरित ऋणों के समक्ष प्रदत्त पुनर्वित्त शामिल है.
- iii) ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश शामिल है.
- iv) अनाबंटित : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए किए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड से संबंधित सूचना

(₹ करोड़ में)

	प्रत्यक्ष वित्त	पुनर्वित्त	ट्रेजरी	अनाबंटित	जोड़
खंड राजस्व	7087.17 (6323.87)	10894.96 (9253.43)	2813.80 (2219.21)	68.95 (119.92)	20864.88 (17916.43)
खंड परिणाम	888.59 (709.21)	1582.79 (1898.80)	2680.89 (2080.64)	-1445.01 (-1210.06)	3707.26 (3478.59)
खंड आस्तियों की कुल आवर्ती राशि	106434.98 (96397.67)	162734.93 (160754.36)	39740.50 (26302.81)	1825.01 (2646.68)	310735.42 (286101.52)
खंड देयताओं की कुल आवर्ती राशि	102683.19 (93103.87)	158998.38 (152408.75)	16269.13 (10415.80)	32784.73 (30173.10)	310735.42 (286101.52)
अन्य मदें :					
वर्ष के दौरान खंड आस्तियों के अधिग्रहण की लागत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	51.18 (55.47)	51.18 (55.47)
परिशोधन और मूल्यहास	0.79 (0.68)	0.00 (0.00)	1.66 (1.24)	26.26 (49.15)	28.72 (51.07)
गैर नकदी व्यय	107.20 (54.74)	18.75 (54.05)	0.00 (15.43)	250.09 (231.20)	376.04 (355.42)

(c) चूँकि बैंक के परिचालन भारत के भीतर ही होता है अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई द्वितीय खंड नहीं है.

30. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.

31. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां, पुनः समूहित/ व्यवस्थित किया गया.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

व्यास एण्ड व्यास

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण सं.000590सी

ओ पी व्यास

साझेदार

सदस्यता सं.014081

मुंबई,

23 मई 2016

ए के साहू

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

हर्ष कुमार भनवाला

अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन

उप प्रबंध निदेशक

एच आर खान

निदेशक

अनूप कुमार दाश

निदेशक

के सईद अली

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ हजार में)

विवरण	2015-16	2014-15
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ के लिए समायोजन	37,072,607	34,785,877
मूल्यहास	270,526,246	498,258
प्रावधान और परिशोधन	126,599	-42,259
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	757,834	66,122
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	521,336	1,242,827
पुनःसंचित ऋणों के छोड़े जाने वाले ब्याज हेतु प्रावधान	-119,558	-219,636
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ हानि	-2,034	-199
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज अंतराल निधि में जुड़ाव/ समायोजन सहित)	2,487,334	2,522,998

निवेश से आय (छूट आय सहित)	-28,121,400	-22,310,452
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	283,248,964	16,543,535
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन :		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	19,873,364	4,346,609
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	8,587,307	-6,844,283
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	-146,122,838	-331,932,569
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी	165,586,797	-317,886,708
आयकर का भुगतान - धन वापसी को घटाकर	-12,950,974	-12,063,788
(उपर्युक्त में से जनजाति विकास/ वित्तीय समावेशन निधि में नामे किए गए आरआईडीएफ/ एसटीसीआरसी विभेदक ब्याज पर कर देयता के लिए ₹372.03 करोड़ भुगतान किया गया)		
परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद प्रवाह (अ)	152,635,823	-329,950,496
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	28,104,769	22,298,053
अचल आस्तियों की खरीद	-270,952,607	-544,354
अचल आस्तियों की बिक्री	66,094	43,983
निवेश में वृद्धि/ कमी	-97,890,996	44,345,823
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/सृजित निवल नकदी (आ)	-340,672,740	66,143,506
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	611,203	6,014,610
बाण्डों से प्राप्त राशि	51,160,000	-22,077,036
उधारों में वृद्धि/ (कमी)	111,183,677	85,063,782
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	33,320,939	210,082,811
लाभांश पर कर	-1,199,640	-1,020
शेयर पूंजी में वृद्धि	3,000,000	3,000,000
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	198,076,179	282,083,147
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	10,039,262	18,276,157
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	23,521,071	5,244,914

वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष	33,560,333	23,521,071
--	------------	------------

1. वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं :	2015-16	2014-2015
हाथ में रोकड़	23	4,421
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां	1,505,492	20,300,379
भारत में अन्य बैंकों में शेष राशियां	6,788,643	1,567,464
मार्गस्थ प्रेषण	350,780	531
संपाश्वर्कृत उधार और ऋण वितरण दायित्व	24,915,395	1,648,276
कुल	33,560,333	23,521,071

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

व्याए एण्ड व्यास

सनदी लेखाकार

ओ पी व्यास

साझेदार

एम नं. 014081

मुंबई,

तारीख : 23 मई 2016

ए के साहू

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

मुंबई

23 मई 2016

हर्ष कुमार भनवाला

अध्यक्ष

आर अमलोरपवनाथन

उप प्रबंध निदेशक

एच आर खान

निदेशक

अनूप कुमार दाश

निदेशक

के सईद अली

मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 24th June 2016

No. DBR.IBD.No. 16138/23.13.077/2015-16—In pursuance of sub-section (2) of Section 36 (A) of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the KBC Bank N. V. has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

Mumbai-400051, the 13th July 2016

No. DCBR.CO.No.LC- 06/08.01.205/2016-17—In pursuance of Section 36 A (2) of B R Act, 1949 (AACS) Reserve bank of India hereby notifies that Shri Yugprabhav Sahakari Bank Ltd., Vadodara (Gujarat) has ceased to be a co-operative bank within the meaning of this Act, and thereupon all the provisions of this Act applicable to such co-operative bank shall cease to apply to it, except as respects things done or omitted to be done or omitted to be done before such notice.

SUMA VARMA
Principal Chief General Manager

NABARD
Annual Accounts
2015-16

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Board of Directors of

National Bank for Agriculture and Rural Development

Report On the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of National Bank for Agriculture and Rural Development (the Bank), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 11 Regional Offices and 1 Training Centre visited by us for the purposes of audit and the same including Head Office account for 71.41% of advances, 99.74% of deposits and term money borrowings, 86.85% of interest income and 99.77% of interest expenses. These Offices and Training Centre have been selected in consultation with the Bank. We have not visited balance offices of the Bank i.e. 19 Regional Offices and 2 Training Centres and have reviewed their returns at the Head Office.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the bank. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the financial statements that give a true and fair view

in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Bank has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

1. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us;
 - a. the Balance Sheet, read with the notes thereon, containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2016, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the period ended on that date; and
 - c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up as per Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984.

As required by the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, we report that:

- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit.
- b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the regional offices and training centres not visited by us.

In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards.

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
(Firm Registration No 000590C)

O.P.Vyas
Partner
(Membership No. 014081)
Place : Mumbai
Date : 23 May 2016

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2016

(₹ in thousands)

Sr.No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	i) Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		5000,00,00	5000,00,00
	ii) Advance towards Share Capital (Refer Note B-41.2 of Schedule 18)		300,00,00	0
	Total		5300,00,00	5000,00,00
2	Reserve Fund and other Reserves	1	22126,00,69	19600,98,97
3	National Rural Credit Funds	2	16074,00,00	16070,00,00
4	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	4895,17,31	4209,50,61
5	Government Schemes	4	1122,76,27	1500,52,28
6	Deposits	5	189786,33,74	186454,24,34
7	Bonds and Debentures	6	39123,49,36	34007,49,36
8	Borrowings	7	20584,37,09	9476,16,79
9	Current Liabilities and Provisions	8	11372,77,54	9729,45,53
	Total		310384,92,00	286048,37,88
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		700,35,41	640,45,99

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2016

(₹ in thousands)

Sr. No	PROPERTY AND ASSETS	SCHEDULE	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Cash and Bank Balances	9	18547,87,43	13125,95,67
2	Investments	10	26465,92,80	21495,89,83
3	Advances	11	260493,44,45	245899,49,33
4	Fixed Assets	12	352,53,93	325,19,37
5	Other Assets	13	4525,13,39	5201,83,68
	Total		310384,92,00	286048,37,88
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		700,35,41	640,45,99
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

As per our attached report of even date

Vyas & Vyas

Chartered Accountants

FRN . 000590C

O P Vyas

Partner

M No. 014081

Mumbai

Date : 23-May-16

A K Sahoo

Chief General Manager

Accounts Department

Mumbai : 23 May 2016

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

H R Khan
Director

Anup Kumar Dash
Director

K Sayeed Ali
Chief General Manager

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

(₹ in thousands)

Sr.No.	INCOME	SCHEDULE	2015-16	2014-15
1	Interest received on Loans and Advances		17711,70,59	15267,30,41
2	Income from Investment Operations / Deposits		2812,14,00	2217,97,27
3	Other Income (Refer Note B-11 of Schedule 18)		206,27,32	319,18,58
	Total "A"		20730,11,91	17804,46,26

Sr.No.	EXPENDITURE	SCHEDULE	2015-16	2014-15
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B-10 of Schedule-18)	14	15438,61,32	12928,96,33
2	Establishment and Other Expenses	15 A	1461,10,00	1229,68,87
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	45,53,65	61,19,18
4	Provisions	16	105,99,99	114,24,70
5	Depreciation		26,12,23	48,90,87
	Total "B"		17077,37,19	14382,99,95
6	Profit before Tax (A - B)		3652,74,72	3421,46,31
7	Provision for			
	a) Income Tax		1140,00,00	1053,90,14
	b) Deferred Tax -(Asset)		-11,06,00	-35,70,00
	(Refer Note B-13 of Schedule 18)			
8	Profit after Tax		2523,80,72	24,03,26,17
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT

(₹ in thousands)

Sr.No.	APPROPRIATIONS / WITHDRAWALS	2015-16	2014-15
1	Profit for the year brought down	2523,80,72	2403,26,17
2	Add:		
	Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c		
a)	Co-operative Development Fund (Refer Schedule 1)	15,39,97	11,71,09
b)	Research and Development Fund (Refer Schedule 1)	35,44,30	20,22,32
c)	Producers Organisation Development Fund (Refer Schedule 1)	2,62,33	2,14,71
d)	Investment Fluctuation Reserve (Refer Schedule 1)	0	95,63,15
e)	Rural Infrastructure Promotion Fund (Refer Schedule 1)	2,60,42	2,29,35
f)	Farm Sector Promotion Fund (Refer Schedule 1)	24,90,93	43,63,72
2.1	Withdrawals of Funds which have been closed		
i)	mFDEF(Refer Note B-7 of Schedule 18)	3,21,00	2,18,00
3	Profit available for Appropriation	2607,99,67	2581,08,51
	Less: Transferred to:		
a)	Special Reserves u/s 36(1) (viii) of IT Act, 1961	550,00,00	490,00,00
b)	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund (Refer Schedule 2)	1,00,00	1,00,00
c)	National Rural Credit (Stabilisation) Fund (Refer Schedule 2)	1,00,00	1,00,00
d)	Research and Development Fund (Refer Schedule 1)	35,44,30	20,22,32
e)	Investment Fluctuation Reserve (Refer Schedule 1)	296,00,00	63,93,15
f)	Farm Sector Promotion Fund (Refer Schedule 1)	10,61,72	50,00,00
g)	Gramya Vikas Nidhi (Refer Schedule 1& Refer Note B-9 of Schedule 18)	20,00,00	0
h)	Climate Fund (Refer Schedule 1& Refer Note B-9 of Schedule 18))	5,00,00	0
i)	Reserve Fund	1688,93,65	1954,93,04
	Total	2607,99,67	2581,08,51

Refer Schedule 18 for Significant Accounting Policies and Notes on Accounts.

As per our attached report of even date

Vyas & Vyas

Chartered Accountants

O P Vyas

Partner

Mumbai

Date : 23-May-16

A K Sahoo

Chief General Manager

Accounts Department

Mumbai : 23 May 2016

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

H R Khan
Director

Anup Kumar Dash
Director

K Sayeed Ali
Chief General Manager

SCHEDULES TO BALANCE SHEET

Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Exp./Add./ Adjust. during the year	Transferred From P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2016
1	Reserve Fund	12714,03,08	-	1688,93,65	-	14402,96,73
2	Research and Development Fund	50,00,00	-	35,44,30	35,44,30	50,00,00
3	Capital Reserve	74,80,53	-	-	-	74,80,53
4	Investment Fluctuation Reserve	655,00,00	-	296,00,00	-	951,00,00
5	Co-operative Development Fund	81,82,16	-	-	15,39,97	66,42,19
6	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	5885,00,00	-	550,00,00	-	6435,00,00
7	Producers' Organizations Development Fund	45,62,95	-	-	2,62,33	43,00,62
8	Rural Infrastructure Promotion Fund	20,41,04	-	-	2,60,42	17,80,62
9	Farm Sector Promotion Fund	74,29,21	-	10,61,72	24,90,93	60,00,00
10	Gramya Vikas Nidhi Refer (Refer Note B-9 of Schedule 18)	-	-	20,00,00	-	20,00,00
11	Climate Fund (Refer Note B-9 of Schedule 18)	-	-	5,00,00	-	5,00,00
	Total	19600,98,97	-	2605,99,67	80,97,95	22126,00,69
	Previous year	17156,54,80	41,00,00	2579,08,51	175,64,34	19600,98,97

Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2016
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14485,00,00	1,00,00	1,00,00	14487,00,00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1585,00,00	1,00,00	1,00,00	1587,00,00
	Total	16070,00,00	2,00,00	2,00,00	16074,00,00
	Previous year	16066,00,00	2,00,00	2,00,00	16070,00,00

Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Additions / Adjustments during the year	Interest Credited	Expenditure / Disbursements during the year	Balance as on 31.03.2016
A	Grants from International Agencies					
1	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme (Refer Note B-5 of schedule 18)	1,79,73	5,19,11	4,57	4,93,16	2,10,25
2	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme - Maharashtra	3,93,46	-	-	1,43	3,92,03
3	KfW UPNRM - Accompanying Measures (Refer Note B-5 of schedule 18)	3,52,67	-	13,51	3,39,68	26,50
4	KfW NB UPNRM - Financial Contribution	-	82,04	-	82,04	-
5	KfW UPNRM - Risk Mitigation Fund	-	-	-	-	-
6	KfW UPNRM Fund	-	-	-	-	-
7	KfW - NB - Indo German Watershed Development Programme - Phase III – Maharashtra (Refer Note B-5 of schedule 18)	31,92	-	1,89	20,99	12,82
8	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh (Refer Note B-5 of schedule 18)	-	2,31,58	2,60	2,03,15	31,03
9	Indo German Watershed Development Programme – Gujarat (Refer Note B-5 of schedule 18)	36,27	4,28,17	16,80	83,22	3,98,02
10	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	-	3,14,84	-	3,14,84	-
11	International Fund for Agriculture Development (IFAD) Priyadarshini	-	6,90,55	-	6,90,55	-
12	GIZ Rural Financial Institutions Program (RFIP)	1,22,76	1,56,13	-	2,78,89	-
13	GIZ UPNRM Technical Collaboration	-	1,00,06	-	38,57	61,49
14	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	19,03	19,03		17,50	20,56
15	Climate Change - (AFB) - Project / Programme Implementation a/c	3,40,48	6,01,10	-	2,61,46	6,80,12
16	National Adaptation Fund for Climate Change a/c (Refer Note B-5 of schedule 18)	-	114,43,30	1,06,67	26,74,70	88,75,27

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Additions / Adjustments during the year	Interest Credited	Expenditure / Disbursements during the year	Balance as on 31.03.2016
B	Other Funds					
1	Watershed Development Fund (Refer Note B-5 of schedule 18)	1084,94,05	-	64,33,75	40,53,35	1108,74,45
2	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	227,86,06	18,67,21	-	-	246,53,27
3	Interest Differential Fund - (Tawa)	10,00	-	-	-	10,00
4	Adivasi Development Fund	5,77,50	-	-	-	5,77,50
5	Tribal Development Fund(i) (Refer Note B-5 of schedule 18)	742,26,63	379,43,19	49,82,53	294,79,38	876,72,97
6	Financial Inclusion Fund(ii)(Refer Note B-5 of schedule 18)	2069,41,76	698,73,35	132,97,20	448,38,13	2452,74,18
7	Financial Inclusion Technology Fund	(49,34,27)	49,34,27	-	-	-
8	National Bank - Swiss Development Coop. Project	55,61,77	-	-	-	55,61,77
9	RPF & RIF - Off-Farm Sector Promotion Fund	56,54,88	-		16,73,07	39,81,81
10	Centre for Professional Excellence in Co-operatives - (C-PEC)(Refer Note B-5 of schedule 18)	155,91	34,58	12,78	-	2,03,27
11	MFDEF (Closed fund) (Refer Note B-7 of schedule 18)		3,21,00		3,21,00	-
	Total	4209,50,61	1295,59,51	248,72,30	858,65,11	4895,17,31
	Previous year	4023,50,56	1397,13,75	233,54,58	1444,68,28	4209,50,61

1. Refer Note B-1 of Schedule 18

2. NABARD is acting as banker/custodian/trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/ utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances , wherever applicable.

3. (i) includes ₹ 130.21 crore being the income tax paid

(ii) includes ₹ 241.82 crore being the income tax paid

Schedule 4 - Government Schemes

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Additions / Adjustments during the year	Interest Credited	Expenditure / Disbursements during the year	Balance as on 31.03.2016
A	Government Subsidy Schemes					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	1,44,40	-	-	1,05,98	38,42
2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	8,40	-	-	-	8,40
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	-	2,14,81	-	2,10,09	4,72
4	On-farm Water Management for Crop Production	7,17	-	-	-	7,17
5	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	77,26,15	-	-	-	77,26,15
6	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh(Refer Note B-5 of schedule 18))	2,15	-	17	-	2,32
7	Cattle Development Programme – Bihar(Refer Note B-5 of schedule 18)	5,12	-	40	-	5,52
8	National Project on Organic Farming	3,03,06	5,00,00	-	3,68,23	4,34,83
9	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	4,29,45	-	-	-	4,29,45
10	Centrally Sponsored Scheme on Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits	21,79,65	10,02,48	-	30,51,24	1,30,89
11	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	15,11,30	-	-	(7,17,40)	22,28,70
12	Poultry Venture Capital Fund	5,00,65	-	-	1,96	4,98,69
13	Poultry Venture Capital Fund (Subsidy)	18,63,53	38,17,52	-	45,87,50	10,93,55
14	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	94,67,54	698,07,44	-	741,67,02	51,07,96
15	ISAM - Grant Recd for Promotional Expenditure a/c	-	2,56	-	1,33	1,23
16	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	2,98,72	-	-	1,32,00	1,66,72

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Additions / Adjustments during the year	Interest Credited	Expenditure / Disbursements during the year	Balance as on 31.03.2016
17	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur Uttar Pradesh(Refer Note B-5 of schedule 18)	4,62	-	36	-	4,98
18	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareli, Uttar Pradesh(Refer Note B-5 of schedule 18)	1,23	-	10	-	1,33
19	CSS on Pig Development	3,25,36	-	-	(2,05)	3,27,41
20	Dairy Entrepreneurship Development Scheme	32,43,24	117,00,00	-	111,14,55	38,28,69
21	CCS - S & R Male Buffalo Calves	1,26	-	-	(1,93)	3,19
22	CSS for Solar Mission	5,50,89	(5,44,97)	-	5,11	81
23	CSS - JNNM - Solar Lighting a/c	1,18,84	155,19,38	-	138,77,83	17,60,39
24	CSS - Solar Photovoltaic Water Pumping	115,54,22	-	-	9,68,77	105,85,45
25	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinic Agri Business Centres	2,67,03	8,70,00	-	10,91,86	45,17
26	CSS MNRE Lighting Scheme 2016 a/c	-	20,43,00	-	-	20,43,00
27	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	1,33,74	-	-	(10,86)	1,44,60
B	Other Government Schemes					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR) 2008	278,13,42	-	-	(5,34,37)	283,47,79
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	133,17,70	-	-	16,89,53	116,28,17
3	PRODUCE FUND	198,99,63	-	-	21,16,67	177,82,96
4	Revival of 23 unlicensed DCCBs	303,32,00	111,22,00	-	303,32,00	111,22,00
5	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	8,04	-	-	7,86	18
6	Scheme for providing Financial Assistance to Sugar Undertakings - 2007 (SEFASU - 2007)	65,27	-	-	-	65,27
7	Kutch Drought Proofing Project	21,64	-	-		21,64
8	Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)	20,00,00	-	-	-	20,00,00

9	Revival Reform and Restructure of Handloom Sector					
I	Implementation Cost [RRR - Handloom Package] a/c	-	-	-	-	-
Ii	Expenditure on Loss Asset [RRR - Handloom Package] a/c	1,24,98	-	-	1,24,98	-
Iii	Recap Assistt [RRR - Handloom Package] to AWCS a/c	89,12,77	(7,00,00)	-	59,03,34	23,09,43
iv	Recap Assist [RRR - Handloom Package] to PWCS a/c	30,61,71	(1,34,05)	-	29,27,66	-
v	Recap Assist [RRR - Handloom Package] to Individual weaver a/c	35,30,72	4,69	-	14,64,66	20,70,75
vi	Technical Assistance [RRR - Handloom Package]	-	1,37,18	-	1,37,18	-
vii	HRD [RRR - Handloom Package]	1,67,20	-	-	-	1,67,20
viii	Interest Subvention [RRR - Handloom Package]	-	-	-	-	-
10	Comprehensive Handloom Package	1,49,48	21,71,19	-	21,89,53	1,31,14
	Total	1500,52,28	1175,33,23	1,03	1553,10,27	1122,76,27
	Previous year	875,80,20	1921,28,93	1,28	1296,58,13	1500,52,28

1. Refer Note B-1 of Schedule 18

2. NABARD is acting as banker/custodian/trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/ utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable.

Schedule 5 – Deposits

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Central Government	0	0
2	State Governments	0	0
3	Others		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	265,80,60	300,84,98
	b) Commercial Banks (Deposits under RIDF)	96885,03,14	89603,39,36
	c) Short Term Cooperative Rural Credit Fund	53991,30,00	60000,00,00
	d) ST RRB Credit Refinance Fund	15997,10,00	30000,00,00
	e) Warehouse Infrastructure Fund	3550,00,00	1550,00,00
	f) Long Term Rural Credit Fund	18997,10,00	5000,00,00
	g) Fund for Food Processing Units	100,00,00	0
	Total	189786,33,74	186454,24,34

Schedule 6 - Bonds and Debentures

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Tax Free Bonds	5000,00,00	0
2	Non Priority Sector Bonds	29147,00,00	29031,00,00
3	Capital Gains Bonds	1,29,40	1,29,40
4	Bhavishya Nirman Bonds	4975,19,96	4975,19,96
5	NABARD Rural Bond	0	0
	Total	39123,49,36	34007,49,36

Schedule 7 - Borrowings

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
	(A) In India		
1	Central Government	12,25,24	19,61,52
2	JNN Solar Mission	14,55,68	35,82,00
3	Reserve Bank of India	0	0
4	Others :		
	(i) Certificate of Deposits	5545,20,40	0
	(ii) Commercial Paper	12771,01,32	2898,04,50
	(iii) Borrowing under Collateralised Borrowing Lending Obligation	0	5280,66,50
	(iv) Term Money Borrowings	1519,46,99	515,24,00
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies	721,87,46	726,78,27
	Total	20584,37,09	9476,16,79

Out of the above, borrowings under CBLO are secured against Government Securities including Treasury Bills

Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Interest / Discount Accrued	8838,54,15	7698,97,07
2	Sundry Creditors *	928,11,91	540,22,16
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage)	14,38,95	13,80,41
4	Subsidy Reserve - CSAMI under RIDF	54,80	2,27,06
5	Provision for Gratuity (Refer Note B-36 of Schedule 18)	1,51,34	-
6	Provision for Pension (Refer Note B-36 of Schedule 18)	110,37,36	59,93,44
7	Provision for Encashment of Ordinary Leave (Refer Note B-36 of Schedule 18 & Refer Note B-25 of Schedule 18)	244,26,47	239,68,97
8	Provision for Post-Retirement Medical Benefit (Refer Note B-36 of Schedule 18)	116,86,22	106,61,60
9	Unclaimed Interest on Bonds	1,74,98	1,79,44
10	Unclaimed Interest on Term Deposits	61	68
11	Term Deposits Matured but not claimed	9,08	22,87
12	Bonds matured but not claimed	3,36,79	363,14
13	Bond Premium a/c - Tax Free Bonds	1,16,50	-
14	Provisions and Contingencies		
(a)	Depreciation in Value of Investment a/c - G. Sec.	-	-
(b)	Amortisation of G. Sec. - HTM	6,48,10	4,81,79
(c)	For Standard Assets	1063,00,00	1011,24,00
(d)	Depreciation in value of investments - equity	-	-
(e)	Non-performing assets	-	-
(f)	Non-performing Investments	16,00,00	16,00,00
(g)	Countercyclical Provisioning Buffer	14,44,89	14,44,89
(h)	Sacrifice in interest element of restructured loans (Refer Note B-43 (b) of Schedule 18)	3,25,42	15,21,01
(i)	Provision for Other Assets & Receivables	8,59,97	57,00
	Total	11372,77,54	9729,45,53

* included an amount of ₹ 32.12 crore towards mFDEF(refer Note B- 7 of Schedule 18)

Schedule 9 - Cash and Bank Balances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Cash in hand	3	6
2	Balances with :		
	A) Banks in India		
	i) Reserve Bank of India	150,54,92	2030,03,79
	ii) Others Banks	0	0
	B) Others		
	(I) Other Banks in India		
	a) in Current Account	643,70,73	120,03,75
	b) Deposit with Banks	15227,00,00	10811,00,00
	c) Remittances in Transit	35,07,80	5,31
	d) Collateralised Borrowing and Lending Obligations	2491,53,95	164,82,76
	(C) Outside India	0	0
	Total	18547,87,43	13125,95,67

Schedule 10 – Investments

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Government Securities		
	a) Securities of Central Government & State Govt	4796,24,58	3099,48,70
	[Face Value ₹ 4828,78,30,000 (₹ 3133,97,80,000)]		
	[Market Value ₹ 4907,77,65,515 (₹ 3166,61,16,724)]		
	b) Treasury Bills	836,44,45	5346,42,17
	[Face Value ₹ 887,98,50,000 (₹ 5465,81,75,000)]		
	[Market Value ₹ 836,44,44,755 (₹ 5346,42,17,463)]		
2	Other Approved Securities	-	-
3	Equity Shares in :		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd.	1,00,00	1,00,00
	[1,000 (1,000) - Equity shares of ₹10,000 each]		
(b)	Small Industries Development Bank of India	48,00,00	48,00,00
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	60,00,00	60,00,00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	85,61	1,25,00
	[10,70,096 (15,62,500) - Equity shares of ₹10 each]		
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd.	16,87,50	16,87,50
	[56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(f)	Universal Commodity Exchange Ltd [UCX] @	16,00,00	16,00,00
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) Shares of ₹10 each]		

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
(g)	Indian Financial Technology and Allied Services [Equity] [49 (0) Shares of ₹1000 each]	49	-
(h)	CSC e-Governance Services India Ltd Equity [55,000 (0) Shares of ₹1000 each]	9,74,60	-
(i)	Other Equity Investments		
(i)	Coal India Ltd. [77,389 (77,389) - Equity shares of ₹10 each]	2,95,29	2,95,29
(ii)	Power Grid Corporation of India Ltd. [17,592 (28,592) - Equity shares of ₹10 each]	15,83	25,73
(iii)	MOIL Ltd. [11,719 (11,719) -Equity shares of ₹10 each]	43,95	43,95
(iv)	State Bank of India [23,98,880 shares of ₹1 each (2,39,888 share of ₹10 each)]	37,54,25	37,54,24
(v)	Punjab National Bank [36,000 (1,50,000) shares of ₹2 each]	71,61	2,98,39
(vi)	Larsen & Toubro Limited [13,000 shares (13,000) of ₹2 each]	2,25,22	2,25,22
(vii)	Oil and Natural Gas Corporation Ltd. [1,24,800 shares (60,000) of ₹5 each]	4,28,93	2,67,04
(viii)	Steel Authority of India Ltd. [8,58,626 shares (3,58,626) of ₹10 each]	6,02,34	3,48,35
(ix)	Bharat Heavy Electricals Ltd. [80,000 shares (80,000) of ₹2 each]	1,99,13	1,99,13
(x)	Indian Oil Corporation Ltd. [35,000 shares (35,000) of ₹10 each]	1,20,32	1,20,32
(xi)	Maruti Suzuki India Ltd. [10,000 shares (10,000) of ₹5 each]	2,55,49	2,55,49
(xii)	NTPC Ltd. [70,000 shares (70,000) of ₹10 each]	1,05,82	1,05,82
(xiii)	Tata Consultancy Services Ltd. [10,000 shares (10,000) of ₹1 each]	2,39,88	2,39,88
4	Debentures and Bonds		
(i)	Special Dev Debentures of SCARDBs (Refer Note B-24 of Schedule 18)	4954,59,97	6469,24,23
(ii)	Non-Convertible Debentures	427,44,37	150,17,52
5	Shareholding in subsidiaries and Joint Venture		
(i)	NABARD Financial Services Ltd, Karnataka [10,20,06,300 (10,20,06,300) - Equity shares of ₹10 each]	102,00,63	102,00,63
(ii)	Agri - Business Finance [Andhara Pradesh] Ltd. [2,63,22,000 (1,31,61,000) - Equity shares of ₹10 each]	26,38,91	13,22,81

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
(iii)	NAB KISAN (formerly known as Agriculture Development Financial (TN) Ltd) [46,66,67,000 (1,55,56,700) - Equity shares of ₹10 each]	46,75,16	15,64,16
(iv)	NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd. [50,00,000 (50,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	5,00,00	5,00,00
6	Others		
(a)	Mutual Fund	4695,35,32	600,29,09
(b)	Commercial Paper [Face Value ₹2150,00,00,000 (₹1000,00,00,000)]	2072,16,47	975,10,97
(c)	Certificate of Deposit [Face Value ₹ 7995,00,00,000 (₹4250,00,00,000)]	7894,73,82	4160,79,19
(d)	SEAF - Indian Agri- Business	9,26,26	8,33,12
(e)	APIDC - Venturies Life Fund III	13,93,47	12,48,69
(f)	BVF (Bio-Tech Venture Fund) - APIDC-V Investment	4,98,35	4,98,35
(g)	Ominovore India Capital Trust	17,73,40	13,00,80
(h)	India Oppurtunities	10,21,84	7,32,05
(i)	IvyCap Ventures Fund	19,60,00	12,00,00
(j)	Tata Capital Innovation Fund	49,23,86	29,51,25
(k)	TVS Shriram Growth Fund IB	20,06,37	8,34,37
(l)	Golden Gujarat	50,00	-
(m)	Investment Earmarked towards EOL(Refer Note B-25 of Schedule 18)	247,19,31	257,60,38
	Total	26465,92,80	21495,89,83

All the above investments are made in India

@ The company is valued at Rs.1/-. The provision against the investment is shown under the head Provision against Non Performing Investments Schedule -9 (Refer Note B-35 of Schedule 18)

Schedule 11 – Advances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Refinance Loans		
(a)	Production & Marketing Credit	69718,82,41	88711,21,42
(b)	Conversion Loans for Production Credit	446,89,97	-
(c)	Other Investment Credit		
(i)	Medium Term and Long Term Project Loans (Refer Note B -24 of Schedule 18)	84468,94,25	61916,86,41
(ii)	Interim Finance	-	-
(iii)	Direct refinance to DCCBs	3250,75,00	2818,16,68
(iv)	JNN Solar Mission	6,24,05	13,25,59
2	Direct Loans		

(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	91384,11,85	83545,23,44
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	2361,95,48	1153,50,18
(c)	Long Term Non-Project Loans	66,38,22	58,56,55
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	3238,89,45	2222,63,12
(e)	Loans to Producers' Organisation Development (Net of provision)	377,76,82	354,86,25
(f)	Credit Facility to Federations[CFF]	4948,50,00	4827,45,00
(g)	Food Processing Fund [2014-15]	20,56,80	-
(h)	Other Loans:		
(i)	Co-operative Development Fund Programme Loans	85,72	1,28,57
(ii)	Micro Finance Development Equity Fund Programme Loans (Net of Provision)	4,43,79	12,81,10
(iii)	Watershed Development Fund Programme Loans	39,97,15	41,45,01
(iv)	Tribal Development Fund Programme Loans (Net of provision)	14,63,91	15,11,30
(v)	KfW UPNRM Loans (Net of provision)	98,75,26	127,24,42
(vi)	NFS Promotional Activities Programme Loans (Net of provision)	-	7,36,16
(vii)	Farmers Technology Transfer Fund	-	20,29
(ix)	Off Farm Sector Promotion Activities Programme Loans (net of provision)	41,26,86	12,48,20
(x)	Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	49,87	1,70,39
(i)	Co-Finance Loans (Net of provision)	3,17,59	9,50,08
(j)	CP - HCC Deemed Advance (Net of Provision)	-	48,59,18
	Total	260493,44,45	245899,49,33

Schedule 12 - Fixed Assets

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	LAND : Freehold & Leasehold (Refer Note B-23 of Schedule 18)		
	Opening Balance	162,43,60	162,83,32
	Additions/adjustments during the year	6,15,01	-39,72
	Sub-Total	168,58,61	162,43,60
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	168,58,61	162,43,60
	Less: Amortisation of Lease Premia	51,20,19	49,06,40
	Book Value	117,38,42	113,37,20
2	PREMISES (Refer Note B-23 of Schedule 18)		
	Opening Balance	339,09,33	304,35,84
	Additions/adjustments during the year	22,03,04	34,73,49
	Sub-Total	361,12,37	339,09,33
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	361,12,37	339,09,33
	Less: Depreciation to date	227,19,80	215,59,87

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
3	Book Value	133,92,57	123,49,46
	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	61,06,62	56,79,08
	Additions/adjustments during the year	2,09,02	4,72,65
	Sub-Total	63,15,64	61,51,73
	Less: Cost of assets sold/written off	92,69	45,11
	Closing Balance (at cost)	62,22,95	61,06,62
	Less: Depreciation to date	57,96,33	57,26,12
4	Book Value	4,26,62	3,80,50
	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	95,21,88	88,71,46
	Additions/adjustments during the year	6,85,58	9,29,90
	Sub-Total	102,07,46	98,01,36
	Less: Cost of assets sold/written off	3,40,24	2,79,48
	Closing Balance (at cost)	98,67,22	95,21,88
	Less: Depreciation to date	89,91,75	84,04,56
5	Book Value	8,75,47	11,17,32
	VEHICLES		
	Opening Balance	6,21,71	5,49,45
	Additions/adjustments during the year	4,18,04	1,80,14
	Sub-Total	10,39,75	7,29,59
	Less: Cost of assets sold/written off	2,27,48	1,07,88
	Closing Balance (at cost)	8,12,27	6,21,71
	Less: Depreciation to date	3,45,93	3,49,39
6	Book Value	4,66,34	2,72,32
	Capital Work in Progress [Purchase of Staff Quarters & Office Premises] (Refer Note A - 4 (i) of Schedule 18)	83,54,51	70,62,57
	Total	352,53,93	325,19,37

Schedule 13 - Other Assets

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Accrued Interest	3578,03,26	4343,28,05
2	Deposits with Landlords	1,16,10	1,18,51
3	Deposits with Government Departments and Other Institutions	3,61,62	3,38,68
4	Housing loan to staff	140,44,51	1,54,79,67
5	Other Advances to staff	96,45,24	89,52,67
6	Advances to Landlords	1,14	1,04

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
7	Sundry Advances	38,25,15	21,42,04
8	Provision for Gratuity (Refer Note B-36 of Schedule 18)	-	-
9	Advance Tax (Net of Provision for Income Tax)	382,23,63	251,81,23
10	Deferred Tax Assets (Refer Note B-13 of Schedule 18)	162,52,02	151,46,02
11	Expenditure recoverable from Government of India/International Agencies. (Refer Note B-6 of Schedule 18)	17,28,58	33,58,05
12	Discount Receivable	105,12,14	151,37,72
	Total	4525,13,39	5201,83,68

Schedule 14 - Interest and Financial Charges

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Interest Paid on		
(a)	Deposits under RIDF	5737,78,85	5292,52,13
(b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund (Refer Note B-10 of Schedule 18)	2552,67,53	2314,38,04
(c)	ST RRB Credit Refinance Fund (Refer Note B-10 of Schedule 18)	1451,64,88	1271,95,44
(d)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	17,58,61	20,27,39
(e)	CBS Deposits	7,36	77,33
(f)	Loans from Central Government	1,01,17	2,14,58
(g)	Borrowings from Reserve Bank of India	-	-
(h)	Bonds (Refer Note B-10 of Schedule 18)	3330,72,32	2970,15,27
(j)	Commercial Paper	972,06,16	429,32,09
(j)	Term Money Borrowings	65,08,57	24,05,01
(k)	Borrowing against ST Deposit	60	2,70
(l)	Discount Cost Paid on Certificate of Deposits	42,23,18	-
(m)	Corporate Borrowings from Banks and FIs in India	-	-
(n)	Borrowings from International Agencies	25,94,50	27,69,95
(o)	Watershed Development Fund	64,33,75	57,14,75
(p)	Rural Innovation Fund	0	2,99,68
(q)	Financial Inclusion Fund	132,97,20	108,39,83
(r)	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	2,60	2,36
(s)	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	-	96
(t)	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	16,80	1,23
(u)	KfW UPNRM - Accompanying measures	13,51	18,47
(v)	KfW - NB Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra	1,89	4,56
(w)	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme	-	38,06

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
(x)	KFW NB V - Adivasi Project	4,57	8,39
(y)	Commitment Charges -KfW UPNRM Borrowings	11,96	26,42
(z)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Sultanpur, Uttar Pradesh	36	45
(aa)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project -Rae Bareli, Uttar Pradesh	10	12
(ab)	Cattle Development Programme (UP & Bihar)	57	71
(ac)	TDF Wadi [West Bengal]	49,82,53	64,12,22
(ad)	Centre for Professional Excellence in Co-operatives (C - PEC)	12,78	14,06
(ae)	Warehouse Infrastructure Fund	121,39,01	87,95,28
(af)	Long Term Rural Credit Fund	700,06,94	124,76,64
(ag)	Fund for Food Processing Units	5,98,75	-
(ah)	National Adaptation Fund for Climate Change	1,06,67	-
2	Discount on Collateralised Borrowing and Lending Obligations	107,80,61	96,73,65
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	35,48,83	9,16,63
4	Capital Loss - Equity Shares of Other Institutions	42,29	5,64
5	Swap Charges	21,75,87	23,16,29
	Total	15438,61,32	12928,96,33

Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-12 of Schedule 18)	715,26,42	725,84,75
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	463,66,78	250,28,44
3	Other Perquisites & Allowances	35,60,69	29,53,45
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	22,66	39,95
5	Directors' & Committee Members' Fees	2,37	2,75
6	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	34,83,74	31,81,58
7	Travelling Expenses	32,20,14	28,00,71
8	Printing & Stationery	4,24,88	3,94,40
9	Postage, Telegrams & Telephones	12,98,49	12,25,70
10	Repairs	27,92,55	19,44,75
11	Auditors' Fees	31,04	34,99
12	Legal Charges	99,92	1,59,83
13	Miscellaneous Expenses	63,06,27	59,36,70
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	8,07,15	8,32,06
15	Expenditure on Study & Training [Including ₹13,23,77,118.71 (₹19,48,20,487.32) pertaining to establishment expenses of Training Establishments]	62,33,87	52,94,28
16	Wealth Tax	(66,97)	5,54,54
	Total	1461,10,00	1229,68,87

Schedule 15 B - Expenditure on promotional activities

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
(i)	Cooperative Development Fund	15,39,97	11,71,09
(ii)	Producers' Organization Development Fund	2,62,33	2,14,71
(iii)	Rural Infrastructure Promotion Fund	2,60,42	2,29,35
(iv)	Exp. for NFS Promotional Measures/Activities	-	1,39,68
(v)	Expenditure under Farm Sector Promotion Fund	24,90,93	43,63,72
(vi)	Expenditure under Climate Change Programme	-	63
	Total	45,53,65	61,19,18

Schedule 16- Provisions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
	Provisions for :		
1	Standard Assets	51,76,00	124,20,00
2 (a)	Non Performing Assets	66,10,64	-
2 (b)	Non Performing Assets - staff	1,47	3,64
3	Provision for Non performing investments	-	16,00,00
4	Depreciation in Value of Investment Account - Equity	-	(59,28)
5	Sacrifice in interest element of restructured Accounts (Refer Note B-43 (b) of Schedule 18)	(11,95,58)	(219636)
6	Other Assets / Receivable	7,46	(3,43,30)
	Total	105,99,99	11,42,470

Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	71,29,68	51,02,19
	Sub Total "A"	71,29,68	51,02,19
2	Contingent Liabilities		
(i)	Claims against the Bank not acknowledged as debt.	0	0
	Sub Total "B"	0	0
	Total (A + B)	71,29,68	51,02,19

Schedule 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Bank/NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Use of Estimates:

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge, the actual results could differ for these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

3. Revenue recognition:

3.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

- i) Interest on non-performing assets identified as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- iii) Service Charges on loans given out of various Funds.
- iv) Expenses not exceeding ₹10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.

3.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Papers. Issue expenses relating to floatation of bonds are recognized as expenditure in the year of issue of Bonds.

3.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.

3.4 i) Income from Venture Capital funds is accounted on realization basis.

ii) Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.

3.5 Provision for Wealth Tax is made, in accordance with the provisions of Wealth Tax Act, 1957.

3.6 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:

- i) penal interest
- ii) cost & charges
- iii) overdue interest and interest
- iv) Principal

4. Fixed Assets and Depreciation

- a) Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.
- b) Land includes freehold and leasehold land.
- c) Premises include value of land, where segregated values are not readily available.
- d) Depreciation on premises situated on freehold land is charged at 10% p.a., on written down value basis.

- e) Depreciation on leasehold land and premises situated thereon is computed and charged at 5% on written down value basis or the amount derived by amortizing the premium/cost over the remaining period of leasehold land, on straight-line basis, whichever is higher.
- f) Fixed Assets costing ₹1 lakh and less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more than ₹ 10,000. All software costing ₹1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.
- g) Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

- h) Depreciation is charged for the full year, irrespective of the date of purchase of asset. No depreciation is charged in the year of sale.
- i) Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.

5. Investments

- a) In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”).
- b) Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as “HFT”. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as “HTM”. Securities which are not to be classified in the above categories are classified as “AFS”.
- c) Investments classified under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category “HTM” is made, wherever necessary. Provision for diminution/ amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.
- d) Profit on redemption of investment categorized under “HTM” is recognized in Profit & Loss A/c and then transferred to Reserve A/c.
- e) Investments under “AFS” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Primary Dealers Association of India (PDAI), jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as “AFS” and appreciation is ignored. The book value of the individual scrip are not changed after the revaluation.
- f) Investments under “HFT” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Primary Dealers Association of India (PDAI), jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Depreciation/appreciation is recognized in the category for investments classified as “HFT”. The book value of the individual scrip are changed after the revaluation.
- g) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.
- h) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.
- i) Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Accounts of the investee companies are available, or at ₹1/- per Company as per RBI guideline.
- j) Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.
- k) Brokerage, paid on acquisition/disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.
- l) Broken period interest paid/received on debt investment is treated as interest expenses/ income and is excluded for cost/ sale consideration.
- m) Transfer of a security between the categories is accounted for, at lower of the acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer, is fully provided for.

- n) Amortization/Gain/Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.
- o) Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.

6. Advances and Provisions thereon

- a) Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.
- b) In case of restructuring/rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.
- c) Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.
- d) Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the respective funds to the extent available.

7. Foreign Currency Transactions

As per Accounting Standard (AS-11) (Revised 2003) on Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates issued by the Institute of Chartered Accountants of India; following accounting treatment is given to foreign exchange transactions:

- a) Assets and liabilities in foreign currency, are revalued at the exchange rate notified by Reserve Bank of India (using FEDAI rates till last year) as at the close of the year and disclosed as a contra item in the Balance Sheet (as off Balance Sheet item). The liability towards foreign currency borrowings is fully hedged and stated in the Balance Sheet at the contracted value (as off balance sheet item) .
- b) Income and Expenditure items are translated at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

8. Accounting for Foreign Exchange Contracts

- a) Foreign Exchange Contracts are to hedge the repayment of foreign currency borrowings.
- b) The foreign exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the year end. The resultant gain/loss on revaluation is recognised in the Profit & Loss Account under the head Gains/Loss on revaluation of Forward Exchange Contract Account. Premium/ discount are accounted over the life of the contract.
- c) The Profit / Loss on cancellation and renewal of foreign exchange contracts are recognised in Profit and Loss Account under the head 'Profit / Loss on Foreign Currency Loan Account'.

9. Employee Benefits

All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provisions for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, are carried out at each balance sheet date.

a) Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

b) Post Retirement Benefits:

i) Defined Contribution Plan

The Bank has a Provident Fund Scheme in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is managed by RBI. Contribution is recognized on accrual basis.

The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the "NPS- Corporate Sector Model", a defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.

ii) Defined Benefit Plan

- a. Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

- b. Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.
- iii) Other Long Term benefits

All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences. All the eligible employees are also eligible for post-retirement medical benefits. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.
- 10. Taxes on Income
 - a) Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments/appeals.
 - b) Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.
 - c) Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.
 - d) Tax paid/provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.
- 11. Segment Reporting
 - a) Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with / allocable to the segment.
 - b) Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank income".
 - c) Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".
 - d) Segment Assets and Liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Assets and Liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.
- 12. Impairment of Assets
 - a) As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:
 - i) the provision for impairment loss, if any, required; or
 - ii) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.
 - b) Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.
- 13. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
 - 13.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:
 - a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;
 - b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
 - c) the amount of the obligation can be reliably estimated.
 - 13.2 Contingent liability is disclosed in the case of:
 - a) a possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,
 - b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and
 - c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.
 - 13.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.
 - 13.4 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

14. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand, demand deposits with banks and other short-term investments with an original maturity of three months or less.

B. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. In accordance with the direction of the Board of Directors, the bank had carried out reclassification of various funds in the Schedules of the Balance Sheet and combined the Schedules 3,4 & 5 last year into two schedules viz; 3 & 4 and accordingly presented the same in the current year's financial statements.
2. With a view to separately disclose the provisions made by the bank, the provisions hitherto disclosed as part C of Schedule 16 last year has been disclosed in a separate Schedule viz; Schedule 16 and the Establishment & Other Expenses and Expenditure on Promotional Expenditure hitherto forming Part A and B of Schedule 16 has been presented as Part A and B of Schedule 15.
3. In accordance with the instruction issued by Reserve Bank of India vide letter No. DCBR.RCBD.BPD.No.4/19.51.010/2015-16 dated 15 October 2015, the Financial Inclusion Technology Fund (FITF) and Financial Inclusion Fund (FIF) have been merged to form a single fund viz; Financial Inclusion Fund. Accordingly the expenditure of erstwhile FITF are accounted as the expenditure of FIF.
4. In terms of the agreement with Kreditanstalt Fur Wiederaufbau -German Development Bank (KfW), accretion/income and expenditure under UPNRM have been charged to the fund. The loans granted out of this fund have been classified as direct loans and disclosed under Schedule 12. The borrowing related to the UPNRM are classified as borrowing from international agencies and disclosed under Schedule 8.

During the year, a sum of ₹ 16.36 crore is required towards NPA for loans granted under KfW UPNRM Scheme and the same has been charged to Profit & Loss Account.

5. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements/as approved by the management. The details of rate of interest for respective funds are as under:

Sr No	Name of the Fund	Rate of Interest for 2015-16	Rate of Interest for 2014-15
1.	Watershed Development Fund	6%	6%
2.	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra)	6%	6%
3.	KfW Accompanying Measures	6%	6%
4.	National Adaptation Fund for Climate change	6%	6%
5.	Tribal Development Fund	6%	6%
6.	Financial Inclusion Fund	6%	6%
7	KfW NB- V Adivasi Development Programme- Gujarat	6%	6%
8.	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	7.88%	10.80%
9	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	7.88%	10.80%
10	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	7.88%	10.80%
11	KfW NB- IX- Adivasi Development Programme- Maharashtra	--	10.80%

6. Recoverable from Government of India/International Agencies (Refer Schedule-13 of Balance Sheet) includes ₹17.29 crore (₹33.58 crore) being debit balance of various funds. The details of such funds are as under:

(₹ crore)

Sr No.	Name of the Fund	31-03-2016	31-03-2015
1	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh)	---	0.09
2	KfW- NB IGWDP (Rajasthan)	5.31	2.01

3	IFAD- Priyadarshni Programme	---	6.80
4	GIZ UPNRM- Technical Collaboration	---	0.20
5	KfW UPNRM Fund	11.44	---
6	KfW UPNRM- Financial Contribution	0.39	0.62
7	Implementation Cost [RRR - Handloom Package]	---	8.55
8	Interest Subvention [RRR - Handloom Package]	---	13.63
9	Technical Assistance [RRR - Handloom Package]	---	1.37
10	IFAD-MRCP	0.06	0.06
11	Others	0.09	0.25

7. Sundry creditors includes ₹32.12 crore (₹35.50 crore) being amounts outstanding to contributors in respect of Micro Finance Development and Equity Fund (MFDEF), which was closed in the earlier year. Details of the same is as under:

(₹ crore)

Particulars	Opening Balance as on 01 April 2015	Excess contribution by NABARD Transferred to Reserve Fund	Withdrawn towards provision for NPA	Closing Balance as on 31 March 2016
1	2	3	4	5 [2-(3+4)]
Sundry Creditors- mFDEF	35.50	3.21	0.17	32.12

8. Pursuant to the directions of RBI, the relative margin available to the Bank in excess of 0.5 percent in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Short Term Co-operative Rural Credit Refinance Fund (STCRC) deposits, Short Term RRB Credit Refinance Fund (STRRB) deposits and Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits, placed by the Commercial Banks is credited to Tribal Development Fund and Financial Inclusion Fund. Previous year, the amounts were credited to Tribal Development Fund, Watershed Development Fund and Financial Inclusion Fund.
9. The Bank has created two new funds out of its post tax profits viz; GramyaVikas Nidhi and Climate Fund with a corpus of ₹20.00 crore and ₹5.00 crore respectively.
10. Subvention received/receivable from Government of India (GOI) under Seasonal Agricultural Operations (SAO) amounting to ₹1353.14 crore (₹1416.37 crore) and ₹17.12 crore (₹17.11 crore) under National Rural Livelihood Mission (NRLM), being the difference between the cost of borrowing by NABARD and the refinance rate, has been reduced from interest and financial charges and shown as accrued interest and disclosed under Schedule 14.
11. Other receipts includes ₹168.43 crore (₹162.62 crore) received/receivable from GOI towards administration charges on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural Operations and under NRLM scheme.
12. The salaries and allowances of the employees of the Bank are reviewed every five years. The review is due from 01 November 2012. Pending such settlement an amount of ₹150.00 crore (₹135.00 crore) has been provided under the head “Salary and Allowances” during the year.
13. The Bank, during the year, in accordance with AS 22 “Accounting for taxes on Income”, recognized in the Profit and Loss Account the deferred tax of ₹11.06 crore (₹35.70 crore). The details of the deferred tax are as under:

(₹ crore)

Sr. No.	Deferred Tax Assets	31 March 2016	31 March 2015
1	Provision allowable on payment basis	124.97	117.71
2	Depreciation on Fixed Assets	37.55	33.75
	Total	162.52	151.46

Provision for Deferred Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

14. The tax liability of the Bank for the Assessment Year 2002-03 amounting to ₹373.15 crore was assessed by the Income Tax Department. The Bank has provided and paid the said liability. However, the Bank has filed an appeal against the order of the CIT Appeals with the Income Tax Appellate Tribunal.
15. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year 2006-07, during the FY 2011-12. An amount of ₹ 343.21 crore has been added to the income of the bank during the reassessment of the income. Out of the above,
 - (a) An addition of ₹ 132.08 crore has been made on account of differential interest accounted under the RIDF which was credited to Watershed Development Fund in terms of the RBI directions.
 - (b) Further, an amount of ₹211.13 crore has been added to the income on other accounts. In the opinion of the management, in respect of these additions, there is remote possibility of any tax outflow. The Bank has filed an appeal against the above order with CIT-Appeals and also a rectification application with Assessing Officer. Pending the outcome of the appeal/rectification application, the bank had accounted the tax including interest amounting to ₹97.83 crore under the head Watershed Development Fund as an expenditure of the fund, in accordance with the resolution of the Board.

The bank has paid an amount of ₹162.16 crore out of the total demand of ₹254.22 crore by way of adjustment of refund of taxes of previous years and preferred an appeal with CIT (A) against the re-opening of the assessment. The CIT (A) vide his order dated 26 February 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.
16. During the Reassessment of the income for the Assessment Year 2007-08 (reopened during 2011-12) an additional tax liability of ₹157.47 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF. The Bank has paid the said liability wherein Rs.27.46 crore has been charged to Tribal Development Fund during the current year. However, the Bank had filed an appeal against the above order with CIT- Appeals. During the year 2015-16, the CIT (A) vide his order dated 30 March 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.
17. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year 2008-09 during the Financial Year 2012-13 and additional tax liability of ₹174.59 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC. The Bank has paid said liability in prior years and preferred an appeal against the above order with CIT- Appeals. During the year 2015-16, the CIT (A) vide his order dated 30 March 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.
18. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year 2009-10 during the Financial Year 2012-13 and raised a demand of ₹256.90 crore due to RIDF differential interest and other disallowances which has been paid by the bank in prior years and preferred an appeal with CIT(A) against the re-opening of the assessment. During the year 2015-16, the CIT (A) vide his order dated 30 March 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.
19. During the Assessment of the income for the Assessment Year 2010-11 a tax liability of ₹313.07 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC and others. The Bank has paid the liability in prior years. The Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals. The tax amount of ₹276.66 crore was accounted under Tribal Development Fund during FY 2012-13. During the year 2015-16, CIT (A) vide his order dated 26 February 2016 upheld our appeal for non-levy of income tax on differential interest accounted under the RIDF/STCRC.
20. During the Assessment of the income for the Assessment Year 2011-12 a tax liability of ₹424.95 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC and others. The Bank has paid the liability in prior years. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals.
21. The Income Tax Department, for the Assessment year 2012-13, has made an addition of ₹1002.68 crore on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC which was credited to Tribal Development Fund in terms of the RBI directions. Further, an amount of ₹145.90 crore has been added to the income of the Bank on account of disallowance of expenditure on promotional activities and other disallowances. The Bank has paid the liability in prior years. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals.
22. During the year, the Income Tax Department, for the Assessment year 2013-14, has made an addition of ₹1156.05 crore on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC which was credited to Tribal Development Fund in terms of the RBI directions. Further, an amount of ₹20.56 crore has been added to the income of the Bank on account of disallowance of expenditure on promotional activities and other disallowances. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals.

23. Free hold land and Lease Land and Premises include - ₹19.58 crore (₹29.87 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed. Subsequent to the date of the Balance Sheet, conveyance in respect of Staff Quarters valuing to ₹3.58 crore have been executed.
24. Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:
- Classified as Investments and shown in Schedule – 10 under the head 'Debenture and Bonds'.
 - Interest earned on the same is shown as a part of 'Interest received on Loans and Advances' in the Profit and Loss Account, treating them as 'Deemed Advances'.
 - 'Deemed Advances' for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.
25. Pursuant to the directives of RBI, Investments over and above the provision amount towards Encashment of Ordinary Leave which has been hitherto classified as Other Assets has since been shifted to Investments (AFS category) and provisions separately.
26. As on the date of the financial statements, out of the disbursement extended to various State Governments under RIDF, ₹ 631.16crore (₹492.00 crore) pertains to non-starter projects. Pending receipt of the proposal from State Government for adjustment of the amount with the respective/ other projects, the amount has been classified as disbursement from the fund.
27. In terms of Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance notification dated 18 February 2016, NABARD was allowed to raise tax free bonds having benefits under section10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act 1961 amounting to ₹5,000 crore before 31 March 2016. This was the debut tax free bonds issuances of NABARD. ₹1,500 crore repayable in 10 year tenure was mobilized through Private Placement and ₹3,500 crore repayable in 10 & 15 year tenure through public issue. The tax free bonds are in the nature of secured, redeemable and non-convertible bonds. These bonds are secured against pari passu charge on property situated in Mumbai and also first charge on specified book debts of NABARD. The interest charge to revenue pertaining to these bonds for the current year is ₹ 31.78 crore.
- The details of the debenture Trustee is as under:
- Axis Trustee Services Limited,
Axis House, Second Floor
Wadia International Centre
Pandurang Budhkar Marg
Worli, Mumbai -400 025
Telephone: 022 24255215/5216
28. During the year 2015-16, an amount of ₹ 75 crore under Government Securities was shifted from HFT category to AFS with the permission of Investment Committee.
29. In terms of RBI Circular RBI/2015-16/104DBR.No.FID.FIC.3/01.02.00/2015-16 dated 01 July 2015 relating to Prudential Guidelines on Investment in Venture Capital Fund, an amount of ₹10.58 crore made in the units of VCF was shifted from HTM category, on completion of 3 years, to AFS category
30. Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(₹crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	40.00 (40.00)	40.22 (37.26)
Pledged for Business Segment (Collateralised Borrowing and Lending Obligation)	4892.86 (3086.00)	4810.12 (3054.17)

31. The market value of all investments held by NABARD under Held to Maturity (HTM) category was ₹3302.79 crore against the book value of ₹2537.61 crore. Out of this, the market value of investment in Venture Capital Fund was ₹124.45 crore against the book value of ₹121.05 crore. Accordingly, the excess of book value over market value was ₹3.40 crore for which no provision was made as per RBI guidelines.

32. Disclosure on risk exposure in Derivatives

The Bank does not trade in derivatives. However, it has hedged its liability towards borrowings from KfW Germany to the extent of 99.19 million Euro(94.88 million Euro) and interest thereon for the entire loan period. Consequent

upon hedging of foreign currency borrowings the same is shown at contracted value as per the Swap agreement. The Bank does not have any open exposure in foreign currency.

The value of outstanding principal amount of hedge contract at the year-end exchange rate stood at ₹700.35 crore (₹640.46 crore) and the value of outstanding principal liability in the books of account stood at contracted value i.e. ₹721.87 crore (₹726.78 crore). The quantitative disclosure in this regard is as under:

(₹crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal amount)		
	A) For Hedging	700.35 (640.46)	NA
	B) For Trading	NA	NA
2	Marked to Market Positions [1]		
	a) Asset (+)	N.A (N.A)	NA
	b) Liability (–)	21.52 (86.32)	NA
3	Credit Exposure [2]	45.26 (-243.79)	NA
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	0.04@ (26.83)	NA
	b) on trading derivatives	NA	NA
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	NA	NA
	b) on trading	NA	NA

@ If MIFOR rates decrease by 100 bps across tenure MTM gain will increase by ₹3.81lakh (₹26.86 crore).

33 Exposures where the FI had exceeded prudential exposure limits during the year: NIL (NIL)

34 Issuer categories in respect of investments made in Debt Securities

(₹crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Investment made through private placement	'Below investment grade' Securities held	'Unrated' Securities held	'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	788.14 (291.40)	788.14 (291.40)	–	–	1.17 (241.31)
2	FIs	1711.47 (833.87)	1711.47 (833.87)	–	–	300.00 (733.79)
3	Banks	7894.74 (4160.79)	7894.74 (4160.79)	–	–	7894.74 (4160.79)

Sr. No.	Issuer	Amount	Investment made through private placement	'Below investment grade' Securities held	'Unrated' Securities held	'Unlisted' Securities
4	Provision held for Depreciation	—	—	—	—	—
	Total (1 to 3 minus 4)	10394.35 (5286.06)	10394.35 (5286.06)	—	—	8195.91 (5135.89)

35 Non performing investments:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance as at the beginning of financial year	16.00	0.00
Addition during the year	0.00	16.00
Reduction during the above period	0.00	0.00
Closing balance as on 31 March 2016	16.00	16.00
Total Provision held	16.00	16.00

Investment of ₹ 16.00 crore in Universal Commodity Exchange Limited (UCX) is treated as an Non Performing Investment as the company was barred from operating as a Commodity Exchange following Forward Markets Commission (FMC) directive in July 2014. As per the RBI guidelines the investment in the company is valued at ₹ 1/-.

36 Disclosure required under AS 15 (Revised) on "Employee Benefits" is as under:

36.1 Defined Benefit Plans

Employees Retirement Benefit plans of the bank include Pension, Gratuity, Leave Encashment and Post-retirement Medical Benefits, which are defined benefit plans. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of services as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

36.1.1 Pension

a. Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	2411.55	2071.33
Current Service Cost	39.71	35.14
Interest Cost	207.39	186.42
Actuarial gain/loss	370.77	201.96
Benefits paid	-117.49	-83.30
Present value of defined benefits obligations at the year end	2911.93	2411.55

b. Amount recognised in the Balance Sheet as on 31 March 2016 and previous year from 2011-12 to 2014-15:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Present value of defined benefits obligations as at the year end	2911.93	2411.55	2071.33	1847.53	1556.87
Fair value of plan assets as at the year end @	2801.56	2351.61	2056.07	1832.69	1311.25
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	110.37	59.94	15.26	14.84	245.63

@ Includes the Bank's contribution of ₹ 427.04 crore (₹444.11 crore) towards PF for pension optees available with RBI. The confirmation of the balance is awaited from RBI.

c. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Current Service Cost	39.71	35.14
Interest Cost	207.39	186.42
Net Actuarial gain/loss	349.18	194.77
Expected return on Plan Assets	-154.70	-156.64
Expense recognized in the statement of Profit and Loss	441.58	259.69

d. Actuarial assumptions:

Particulars	2015-16	2014-15
Mortality Table (LIC)	2006-08 (Ultimate)	2006-08 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	8.00%	8.60%
Salary growth (per annum)	5.50%	5.50%
Withdrawal rate	1.00%	1.00%

36.1.2 Gratuity

a. Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	285.34	274.62
Current Service Cost	21.64	20.76
Interest Cost	24.53	24.71
Actuarial gain/ loss	-5.56	-7.31
Benefits paid	-22.93	-27.44
Present value of defined benefits obligations at the year end	303.02	285.34

Particulars	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Present value of defined benefits obligations as at the year end	303.02	285.34	274.62	260.93	239.68
Fair value of plan assets as at the year end	301.51	303.01	288.49	261.90	260.82
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	1.51	-17.67	-13.87	-0.97	-21.14

c. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Current Service Cost	21.64	20.76
Interest Cost	24.53	24.71
Net Actuarial gain/loss	2.87	-18.85
Expected return on Plan Assets	-27.36	-26.97
Expense recognized in the statement of Profit and Loss	21.68	-0.35

d. Actuarial assumptions:

Particulars	2015-16	2014-15
Mortality Table (LIC)	2006-08 (Ultimate)	2006-08 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	8.00%	8.60%
Salary growth (per annum)	7.00%	7.00%
Withdrawal rate	1.00%	1.00%

36.1.3 Encashment of Ordinary Leave

a. Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	239.69	225.88
Current Service Cost	4.41	8.40
Interest Cost	20.61	20.33
Actuarial gain/loss	12.83	-5.60
Benefits paid	-12.09	-9.32
Present value of defined benefits obligations at the year end	265.45	239.69

b. Amount recognized in the Balance Sheet as on 31 March 2016 and P.Y. from 2011-12 to 2014-15.

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Present value of defined benefits obligations as at the year end	265.45	239.69	225.88	197.26	153.03
Funds earmarked by the Bank	263.37\$	257.61\$	219.28\$	184.06\$	137.14\$
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	2.08	-17.92	6.60	13.20	15.89

\$ Represents the amount invested with Insurance companies towards the liability for Leave Encashment.

c. As directed by Reserve Bank of India, the investments earmarked towards Encashment of Ordinary Leave has been treated as AFS category with effect from 31 March 2016

d. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Current Service Cost	4.40	8.40
Interest Cost	20.61	20.33
Net Actuarial gain/loss	16.68	-10.75
Expected return on Plan Assets	-16.48	-31.40
Expense recognized in the statement of Profit and Loss	25.21	-13.42

d. Actuarial assumptions:

Particulars	2015-16	2014-15
Mortality Table (LIC)	2006-08 (Ultimate)	2006-08 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	8.00%	8.60%
Salary growth (per annum)	7.00%	7.00%
Withdrawal rate	1.00%	1.00%

36.1.4 Post-Retirement Medical Benefits

The present value of defined benefit obligation in respect of post-retirement medical benefits accounted in Profit and Loss Account is ₹18.76 crore (₹ 20.27 crore).

36.1.5 The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account NABARD related factors, inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market.

36.1.6 The aforesaid liabilities include liabilities of employees deputed to subsidiaries.

36.1.7 Amortisation of Post-retirement benefits

The entire liability towards post-retirement benefits are charged to Profit and Loss account and are not amortised.

36.1.8 Investment under Plan Assets of Pension, Gratuity & Leave Encashment Fund as on 31st March 2016

Particulars	Pension	Gratuity	Encashment of OL
	% of Plan Assets	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	27.23	---	---
State Govt. Securities	19.39	---	---
Insurer Managed Funds	---	100.00	100.00
Others	53.38	---	---
Total	100.00	100.00	100.00

36.2 Defined Contribution Plan:

The bank contributes its share to Provident Fund with RBI. As per the terms the contribution is a defined contribution plan. During the year the bank has contributed ₹17.68 crore (₹18.59 crore) with RBI.

As per the New Pension scheme for the employee's w.e.f.01 January 2012, the contribution by the bank is a defined contribution. During the year the bank has contributed ₹0.26 crore (₹0.05 crore) to the said scheme.

37 In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring any provision.

38 The movement in Contingent Liability as required in AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" is as under:

(₹crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance	0.00	0.00
Addition during the year	0.00	0.00
Deletion during the year	0.00	0.00
Closing Balance	0.00	0.00

39 Related Party Transactions

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 "Related Party Transactions", the details of the transactions with other state controlled enterprises are not given.

List of Related Parties:

a) Companies where entity has control:

Sr. No.	Companies
1.	Nabard Financial Services Ltd.
2.	Agri Business Finance (AP) Ltd.
3.	NABKISAN Finance Ltd. [Formerly known as Agri Development Finance (Tamil Nadu) Ltd.]
4.	Nabard Consultancy Services Pvt. Ltd.

a. Key Management Personnel:

Name of the party	Designation
Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Chairman
Shri Harishkumar Rasiklal Dave	Deputy Managing Director
Shri R Amalorpavanathan	Deputy Managing Director

b. Transactions with Key Management Personnel:

(₹ crore)

Name of the Party	Nature of Relationship	Nature of Transaction	Amount of transaction during the year	Outstanding
Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Key Management Personnel—Chairman	Remuneration including perquisites	0.30(0.22)	0.00
Shri Harishkumar Rasiklal Dave	Key Management Personnel—Deputy Managing Director	Remuneration including perquisites	0.27(0.12)	0.00
Shri R Amalorpavanathan	Key Management Personnel—Deputy Managing Director	Remuneration including perquisites	0.25(0.12)	0.00

No amounts, in respect of the related parties have been written off/back, or provided for during the year.

Related party relationships have been identified by the management and relied upon by the auditors.

40 Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1.	Income	0.00	0.09
2.	Revenue Expenditure	0.00	-0.04
Total		0.00	0.05

41 Capital

41.1 Pattern of Capital contribution as on the date of the Balance Sheet:

The shareholding of Government of India and RBI in the Paid up capital of NABARD as on 31 March 2016 was at 99.60%: 0.40% as per details given below.

(₹ crore)

Contributor	31 March 2016		31 March 2015	
Reserve Bank of India	20.00	0.40%	20.00	0.40%
Government of India	4,980.00	99.60%	4,980.00	99.60%
Total	5,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

41.2 NABARD has received an amount of ₹300 crore from Government of India (vide their letter No. F.No.7/4/2015-AC dated 29 March 2016 towards Share Capital and the same has been kept as Advance towards Capital a/c – Received from GOI / RBI pending adjustment of the same against Share Capital after enhancement of Authorized Capital of NABARD.

41.3 Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR)

(Percent)

Particulars	31 March 2016	31 March 2015
CRAR	17.59	16.91
Core CRAR	16.38	15.83
Supplementary CRAR	1.21	1.08

41.4 Capital adequacy ratio of the Bank as on 31 March 2016 was 17.59% (16.91%) as against a minimum of 9% as stipulated by RBI.

41.5 In accordance with RBI Instructions, assets financed from National Rural Credit – Long Term Operations (NRC LTO) Fund amounting to ₹14487 crore are excluded for the purpose of computing the CRAR.

41.6 Subordinated Debt

(₹ crore)

Particulars	31 March 2016	31 March 2015
Amount of subordinated debt raised and outstanding as Tier II Capital	Nil	Nil

41.7 Risk weighted assets

(₹ crore)

Particulars	31 March 2016	31 March 2015
On – Balance Sheet Items	158452.06	148101.43
Off – Balance Sheet Items	32.52	83.62

41.8 Credit exposure as percentage to Capital Funds and as percentage to Total Assets

	Category	2015–16		2014–15	
		Credit Exposure as % to		Credit Exposure as % to	
		Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I	Largest Single Borrower	32.54	2.72	34.83	2.86
II	Largest Borrower Group	Not Applicable		Not Applicable	
III	Ten Largest Single Borrowers for the year	283.99	23.75	282.60	23.19
IV	Ten Largest Borrower Groups	Not Applicable		Not Applicable	

41.9 Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets: Not Applicable

42 As per the information available with the Bank, there are no dues payable under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

43 Asset Quality and Credit Concentration

(a) Asset classification

(₹ crore)

Classification	2015-16		2014-15	
	Amount	(%)	Amount	(%)
Standard	265661.61	99.928	252589.73	99.950
Sub-standard	28.60	0.011	22.40	0.009
Doubtful	153.99	0.058	95.67	0.038
Loss	7.92	0.003	7.92	0.003
Total	265852.12	100.000	252715.72	100.000

b) Restructured accounts

No loans were restructured during the current financial year. An amount of ₹11.96 crore (₹21.96 crore) is recognized as reversal of sacrifice on accounts restructured in earlier period.

a) Details on Restructuring

2) (Amount in ₹. Crore)																						
	Type of restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on 01 April 2015	No. of Borrowers											5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
		Amount outstanding											2.10	0	0	0	2.10	2.10	0	0	0	2.10
		Provision thereof											0.09	0	0	0	0.09	0.09	0.09	0	0	0.09
2.	Fresh restructures during the year	No. of Borrowers																				
		Amount outstanding																				
		Provision thereof																				
3.	Upgradation to restructured standard category during 2015-16	No. of Borrowers											1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		Amount outstanding											0.70	0	0	0	0.70	0.70	0	0	0	0.70
		Provision thereof											0.03	0	0	0	0.03	0.03	0	0	0	0.03
4.	Restructured Standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight	No. of Borrowers											2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
		Amount outstanding											0.44	0	0	0	0.44	0.44	0	0	0	.044
		Provision thereof											0.02	0	0	0	0.02	0.02	0	0	0	0.02

	at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY																					
5.	Downgradation of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers										0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	
		Amount outstanding										0	0.96	0	0	0.96	0	0.94	0	0	0.94	
		Provision thereof										0	0.04	0	0	0.04	0	0.04	0	0	0.04	
6.	Write offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrowers																				
		Amount outstanding																				
		Provision thereof																				
7.	Restructured accounts as on 31 March 2016*	No. of Borrowers									1	0	0	0	1	1	0	0	0	1		
		Amount outstanding									0.70	0	0	0	0.70	0.70	0	0	0	0.70		
		Provision thereof									0.03	0	0	0	0.03	0.03	0	0	0	0.03		

*excluding the figures of standard restructured advances which do not attract higher provisioning or risk weight if applicable

44. Corporate Debt Restructuring (CDR)
No account has been subjected to CDR during the year.

45. NPA Position

- (a) Net NPA position

Particulars	31 March 2016	31 March 2015
Percentage of Net NPAs to Net Loans & Advances	0.0088	0.0092

- (b) Movement in Net NPAs

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
(A) Net NPAs as at beginning of the year	23.33	19.73
(B) Add: Additions during the year	21.48	16.25
(C) Sub-total (A+B)	44.81	35.98
(D) Less: Reductions during the year	21.48	12.65
(E) Net NPAs as at the end of the year (C-D)	23.33	23.33

46. Movement in the provisions

- (a) Provisions made during the year

(₹ crore)

Provisions against	2015-16	2014-15
Standard Assets	51.76	124.20
Non-Performing Assets	64.51	26.55
Investments (Net)	0.00	15.41
Income Tax	1128.94	992.00
Total	1245.21	1158.16

- (b) Floating provisions

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance in the account (Counter cyclical Provisioning Buffer)	14.44	25.51
Add: Addition during the year	0.00	0.00
Less: Drawdown during the year	0.00	11.07
Closing balance at the close of financial year	14.44	14.44

- (c) Provision for Non-Performing Assets (Loan Assets)

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance as at the beginning of financial year	102.66	76.07
Add: Provision made during the year	66.32	26.59
Less: Write off, write back of excess provision (1a/c)	1.81	0.00
Closing balance at the close of financial year	167.17	102.66

(d) Provision for depreciation in investments

(₹ crore)

		Particulars	2015-16	2014-15
A		Opening balance as at the beginning of the financial year	16.00	64.52
B	Add			
	(i)	Provisions made during the year	0.00	16.00
	(ii)	Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	0.00	0.00
C		Sub Total [A+B (i)+B (ii)]	16.00	80.52
D	Less			
	(i)	Write off / Write back of excess provision	0.00	64.52
	(ii)	Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00	0.00
		Sub Total [D]	0.00	64.52
E		Closing balance as at the close of financial year (C-D)	16.00	16.00

e) Withdrawal from Floating provisions

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No.DBR.No.BP.BC.79/21-04.048/2014-15 dated 30 March 2015, the bank has withdrawn an amount of ₹ NIL (₹11.07crore) from the Countercyclical Provisioning Buffer towards specific provision for Non-performing assets.

47. Provisioning Coverage Ratio

The provision coverage ratio of the Bank stood at 95.34%(93.15%)

48. Liquidity

Maturity pattern of Rupee Assets and Liabilities and Maturity pattern of Foreign Currency Assets and Liabilities

(₹ crore)

Sr. No	Item	Less than or equal to 1 year	More than 1 year upto 3 years	More than 3 years upto 5 years	More than 5 years upto 7 years	More than 7 years	Total #
1	Rupee Assets	160072.00 (160764.60)	68688.55 (57672.85)	47120.78 (40682.83)	22741.16 (19025.71)	10676.96 (6630.64)	309299.45 (284776.63)
2	Foreign currency assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	Total Assets	160072.00 (160764.60)	68688.55 (57672.85)	47120.78 (40682.83)	22741.16 (19025.71)	10676.96 (6630.64)	309299.45 (284776.63)
3	Rupee Liabilities	138496.86 (131546.95)	53646.12 (47266.31)	39673.25 (40558.06)	27489.88 (23352.76)	49271.46 (41325.77)	308577.57 (284049.85)
4	Foreign currency liabilities	46.59 (46.59)	71.77 (78.22)	174.39 (168.33)	80.30 (74.24)	348.83 (359.40)	721.88 (726.78)
	Total Liabilities	138543.45 (131593.54)	53717.89 (47344.53)	39847.64 (40726.39)	27570.18 (23427.00)	49620.29 (41685.17)	309299.45 (284776.63)

#Net of provision made as per RBI directives on Standard Assets as well as for diminution in value of Investments aggregating to ₹1085.47crore (₹1032.06 crore)

49. Operating results

	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	Interest income as a percentage to average working funds	6.88	6.80
(b)	Non-interest income as a percentage to average working funds	0.07	0.12
(c)	Operating profit as a percentage to average working funds	1.26	1.37
(d)	Return on average Assets (%)	0.85	0.93
(e)	Net Profit per Employee (₹. crore)	0.62	0.59

50. Other Disclosures

50.1 Assets sold to Securitisation Company / Reconstruction Company : NIL (NIL)

50.2 Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps : NIL (NIL)

50.3 Interest Rate Derivatives : NIL (NIL)

50.4 Credit Default Swaps : NIL (NIL)

50.5 Investments in Non Government Debt Securities : NIL (NIL)

50.6 Disclosure on Repo transactions : NIL (NIL)

51. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

(a) Concentration of Deposits

(₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Deposits of twenty largest depositors	167258.02	160161.73
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	88.13%	85.90%

(b) Concentration of Advances

(₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Advances to twenty largest borrowers	126193.98	114561.46
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	47.51%	45.38%

(c) Concentration of Exposure

(₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	131217.45	115514.54
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	45.08%	43.19%

(d) Concentration of NPAs

(₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Exposure to Top four NPA accounts	91.53	58.42

52. Sector-wise NPAs

S.No	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		2015-16	2014-15
1	Agriculture and allied activities	10.62	6.57

2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	98.87	96.75
3	Services	0.00	0.00
4	Personal Loans-Staff Loans	0.16	0.16

53. Movement of Gross NPAs

(₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Gross NPAs as on 1 st April of particular year (Opening Balance)	125.99	95.80
Additions (Fresh NPAs) during the year	72.63	31.12
Sub-total (A)	198.62	126.92
Less:-		
(i) Upgradations	1.23	0.35
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	0.66	0.58
(iii) Write-offs	6.22	0.00
Sub-total (B)	8.11	0.93
Gross NPAs as on 31 st March of following year (closing balance) (A-B)	190.51	125.99

54. Overseas Assets, NPAs and Revenue: NIL (NIL)

55. Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

NIL (NIL)

56. Disclosure of Complaints

Particulars	Nos.
a) No. of Complaints pending at the beginning of the year	11
b) No. of complaints received during the year	103
c) No. of complaints redressed during the year	112
d) No. of complaints pending at the end of the year	02

57. Awards passed by the Banking Ombudsman: : NIL (NIL)

58. Letters of comfort issued by Banks : NIL (NIL)

59. Bankassurance Business

Bank has not undertaken the business of Bankassurance during the year.

60. Information on Business Segment

(a) Brief Background

The Bank has recognised Primary segments as under:

- Direct Finance: Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/non-governmental organizations for developmental activities and other direct loans to Co-operative Banks etc.
- Refinance: Includes Loans and Advances given to State Governments, Commercial Banks, SCARDBs, StCBs Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.
- Treasury: Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.
- Unallocated: Includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and expenditure incurred for the developmental role of the bank and common administrative expenses.

(b) Information on Primary Business Segment

(₹ crore)

	Direct Finance	Refinance	Treasury	Unallocated	Total
Segment Revenue	7016.62 (6186.38)	10874.92 (9253.43)	2813.80 (2219.21)	26.44 (146.68)	20731.78 (17805.70)
Segment Results	910.71 (609.55)	2605.90 (1898.80)	1619.10 (2080.64)	-1482.96 (-1167.53)	3652.75 (3421.46)
Total carrying amount of Segment Assets	106030.43 (95320.82)	162332.12 (160754.36)	39920.65 (26438.69)	2101.72 (3294.82)	310384.92 (285808.69)
Total carrying amount of Segment Liabilities	103261.70 (92951.87)	153332.35 (152408.75)	20830.36 (10415.80)	32960.51 (30032.27)	310384.92 (285808.69)
Other Items:					
Cost to acquire Segment Assets during the year	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	41.31 (54.27)	41.31 (54.27)
Amortization & Depreciation	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1.66 (1.24)	26.12 (48.91)	27.78 (50.15)
Non Cash Expenses	85.32 (48.08)	18.74 (54.05)	0.00 (15.43)	266.81 (231.02)	370.87 (348.58)

(c) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

61. Figures in brackets pertain to previous year.

62. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

As per our attached report of even date

Vyas & Vyas
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000590C

O.P.Vyas
Partner
Membership No.014081
Mumbai,
23 May 2016

A K Sahoo
Chief General Manager
Accounts Department

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

H R Khan
Director

Anup Kumar Dash
Director

K Sayeed Ali
Chief General Manager

National Bank for Agriculture and Rural Development

Cash flow for the year ended 31 March 2016

(₹ in thousands)

Particulars	2015-2016	2014-2015
(a) Cash flow from Operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax	3652,74,72	3421,46,31
Adjustment for:		
Depreciation	26,12,23	48,90,87
Provisions and Amortisations	7,46	11,97,42
Provision for Non performing Assets	66,12,10	3,64
Provision for Standard Assets	51,76,00	124,20,00
Provision for sacrifice in interest element of Restructured Loan	(11,95,58)	(21,96,36)
Profit / Loss on sale of Fixed Assets	(20,11)	(2,04)
Interest credited to various Funds (including addition/ adjustment made to Interest Differential Fund)	267,40,54	252,29,98
Income from Investment (including Discount Income)	(2813,80,32)	(2219,21,26)
Operating profit before changes in operating assets	1238,27,04	1617,68,56
Adjustment for changes in working capital :		
(Increase) / Decrease in Current Assets	(3605,31,37)	1775,57,35
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	1646,53,00	658,76,17
Increase in Loans and Advances (Including Housing Loan & Other Advances to Staff	(13177,80,81)	(31335,57,92)
Cash generated from operating activities	(13898,32,14)	(27283,55,84)
Income Tax paid - Net of refund	(1270,42,39)	(1195,56,49)
(Out of above ₹372.03 crore paid on account of taxability of RIDF/ STCRC differential debited to Tribal Development / Financial Inclusion Fund)		
Net cash flow from operating activities (A)	(15168,74,53)	(28479,12,33)
(b) Cash flow from Investing activities		
Income from Investment (including Discount Income)	2812,14,00	2217,97,27
Purchase of Fixed Asset	(59,87,06)	(53,12,50)
Sale of Fixed Assets	6,60,42	4,32,48
Increase / Decrease in Investment	(6483,00,91)	30,56,81
Net cash used / generated from investing activities (B)	(3724,13,55)	2199,74,06
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	42,50,15	601,42,15

Proceeds of Bonds	5116,00,00	(2207,70,36)
Increase / (Decrease) in Borrowings	11108,20,30	8457,89,59
Increase / (Decrease) in Deposits	3332,09,39	21008,28,11
Increase in Share capital	300,00,00	300,00,00
Net cash raised from financing activities (C)	19898,79,84	28159,89,49
Net increase in cash and cash equivalent (A)+(B)+(C)	1005,91,76	1880,51,22
Cash and Cash equivalent at the beginning of the year	2314,95,67	434,44,45
Cash and cash equivalent at the end of the year	3320,87,43	2314,95,67

1. Cash and cash equivalent at the end of the year includes :	2015-2016	2014-2015
Cash in hand	3	6
Balance with Reserve Bank of India	150,54,92	2030,03,79
Balances with other Banks in India	643,70,73	120,03,75
Remittances in Transit	35,07,80	531
Collateralised Borrowing and Lending Obligations	2491,53,95	164,82,76
Total	3320,87,43	2314,95,67

As per our attached report of even date

Vyas & Vyas
Chartered Accountants

O.P.Vyas
Partner
M No. 014081
Mumbai
Date : 23 May 2016

A K Sahoo
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai
23 May 2016

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

H R Khan
Director

Anup Kumar Dash
Director

K Sayeed Ali
Chief General Manager

Consolidated Balance Sheet

Profit & Loss Account

&

Cash Flow

2015-16

of

NABARD

&

Subsidiaries

(NABCONS, NABKISAN, ABFL, NABFINS)

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Board of Directors of
National Bank for Agriculture and Rural Development

Report On the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of National Bank for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as "Holding Bank") and its subsidiaries (the holding bank and subsidiaries together referred to as "the Group") which comprises the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016 and the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Holding Bank management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India. The respective management of the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the management of the holding bank, as aforesaid.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the holding bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion whether the holding bank has an adequate internal financial controls system over financial reporting in place and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and audit evidence obtained by the other auditors in terms of their report referred to in Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the consolidated financial statements give information required and true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

1. in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2016;
2. in the case of the Consolidated Statement of Profit and Loss, of the Profit of the Group for the year ended on that date; and
3. in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Other Matters

We did not audit the financial statements / financial information of four subsidiaries, and whose financial statements reflect total assets of Rs.1495.60 crores as at 31st March, 2016, total revenues of Rs.208.56 crores and net cash outflow amounting to Rs.2.00 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit (after tax) of Rs.24.71 crores for the year ended 31st March, 2016, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements / financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the reports of the other auditors.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by holding bank in accordance with the requirements of Accounting Standards (AS) 21 "Consolidated Financial Statements". In our opinion, the consolidated Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000590C)

O.P.Vyas
Partner
(Membership No. 014081)

Place: Mumbai

Date:

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Balance sheet as on 31 March 2016

(₹ thousands)

S.No.	Particulars	Schedule	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
	FUNDS AND LIABILITIES			
1	(i) Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		50000000 3000000	50000000 0
	ii) Advance towards Capital			
2	Reserve Fund and Other Reserves	1	222427901	197036769
3	National Rural Credit Funds	2	160740000	160700000
4	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	48951731	42095060
5	Government Schemes	4	11227627	15005762
6	Minority Interest		817924	737987
7	Deposits	5	1897863374	1864542434
8	Bonds and Debentures	6	391225271	340065271
9	Borrowings	7	206460395	95276717
10	Current Liabilities and Provisions	8	114640029	95555217
	TOTAL FUNDS AND LIABILITIES		3107354252	2861015217
	PROPERTY AND ASSETS			
1	Cash and Bank Balances	9	189261172	133147908
2	Investments	10	262857812	211024185
3	Advances	11	2605923530	2460960304
4	Fixed Assets	12	3640627	3278325
5	Other Assets	13	45671111	52604494
	TOTAL PROPERTY AND ASSETS		3107354252	2861015217
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		7003541	6404599
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

As per our attached report of even date

Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN. 000590C

O.P.Vyas
Partner
M. No.014081
Mumbai
Date : 23 May 2016

A K Sahoo
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : 23 May 2016

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

H R Khan
Director

Anup Kumar Dash
Director

K Sayeed Ali
Chief General Manager

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2016

(₹ thousands)

Sr No	Particulars	Schedule	2015-16	2014-15
	Income:			
1	Interest Received on Loans and Advances		177895451	153335698
2	Income from Investment operations / Deposits		28121400	22310452
3	Other Income		2631937	3518052
	TOTAL INCOME		208648788	179164203

(₹ thousands)

Sr No	Expenditure:	Schedule	2015-16	2014-15
1	Interest and Financial Charges	14	154398537	129302976
2	Establishment and other expenses	15 A	15165542	12756886
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	455365	613153
4	Provisions	16	1286211	1207053
5	Depreciation		270526	498258
	TOTAL EXPENDITURE		171576181	144378326
6	Profit before Income Tax		37072607	34785877
7	Provision for Income Tax		11666225	10755640
	Deferred Tax Asset Adjustment		-116525	-359219
8	Profit after Tax		25522907	24389456
	Provision for Dividend and DDT of Subsidiaries		41687	0
	Profit after Tax and Dividend		25481220	24389456
	Minority Interest		29488	75374
	Profit available for Appropriation		25451732	24314082
	Appropriations:			
	Profit as above		25451732	24314082
	Add: Withdrawals from various funds against expenditure debited to Profit & Loss Account		841894	1778234
	Total Profit Available for Appropriation		26293626	26092316
	Transferred to:			
1	Special Reserve u/s 36(I)(viii) of the Income Tax Act, 1961		5500000	4900000
2	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund		10000	10000
3	National Rural Credit (Stabilisation) Fund		10000	10000

4	Co-operative Development Fund		0	0
5	Research & Development Fund		354430	202232
6	Investment Fluctuation Reserve		2960000	639315
7	Farm Sector Promotion Fund		106172	500000
8	Proposed Dividend		0	0
9	Tax on Proposed Dividend		0	1246
10	GramyaVikas Nidhi		200000	0
11	Climate Fund		50000	0
12	Reserve Fund		17103024	19829523
	Total		26293626	26092316

Refer Schedule 18 for Significant Accounting Policies and Notes on Accounts.

As per our attached report of even date
Vyas & Vyas
Chartered Accountants

O.P.Vyas
Partner
M. No. 014081
Mumbai
Date : 23 May 2016

A K Sahoo
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : 23 May 2016

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

H R Khan
Director

Anup Kumar Dash
Director

K Sayeed Ali
Chief General Manager

SCHEDULES TO CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Consolidated Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(₹ in thousand)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Exp./Add./ Adjust. during the year #	Transferred From P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2016
1	Reserve Fund	128033380	(72700)	17103024	0	145063704
2	Research and Development Fund	522500	0	354430	354430	522500
3	Capital Reserve	859354	0	0	0	859354
4	Investment Fluctuation Reserve	6550000	0	2960000	0	9510000
5	Co-operative Development Fund	818216	0	0	153997	664219
6	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	58850000	0	5500000	0	64350000
7	Producers' Organizations Development Fund	456295	0	0	26233	430062
8	Rural Infrastructure Promotion Fund	204104	0	0	26042	178062
9	Farm Sector Promotion Fund	742921	0	106172	249093	600000
10	GramyaVikas Nidhi	0	0	200000	0	200000
11	Climate Fund	0	0	50000	0	50000
	Total	197036769	(72700)	26273626	809794	222427901
	Previous year	172320585	401548	26073570	1758934	197036769

This includes balance of ₹3,02,22,703/- from prior years being reconciled and balance of ₹4,24,76,919/- being the difference between the audited financial statements and unaudited financial statements for the previous year.

Consolidated Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2016
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	144850000	10000	10000	144870000
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	15850000	10000	10000	15870000
	Total	160700000	20000	20000	160740000
	Previous year	160660000	20000	20000	160700000

Consolidated Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Additions/Adjustments during the year	Interest Credited to the fund	Expenditure/Disbursements during the year	Balance as on 31.03.2016
A.	Grants from International Agencies					
1	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme	17974	51911	457	49316	21026
2	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme - Maharashtra	39346	0	0	143	39203
3	KfW UPNRM - Accompanying Measures	35267	0	1351	33968	2650
4	KfW NB UPNRM - Financial Contribution	0	8204	0	8204	0
5	KfW UPNRM - Risk Mitigation Fund	0	0	0	0	0
6	KfW UPNRM Fund	0	0	0	0	0
7	KfW-NB-Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra	3192	0	189	2099	1282
8	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	0	23158	260	20315	3103
9	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	3627	42817	1680	8322	39802
10	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	0	31484	0	31484	0
11	International Fund for Agriculture Development (IFAD) Priyadarshini	0	69055	0	69055	0
12	GIZ Rural Financial Institutions Program (RFIP)	12276	15613	0	27889	0

13	GIZ UPNRM Technical Collaboration	0	10006	0	3857	6149
14	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	1903	1903	0	1750	2056
15	Climate Change - (AFB) - Project / Programme Implementation a/c	34048	60110	0	26146	68012
16	National Adaptation Fund for Climate Change	0	1144330	10667	267470	887527
B.	Other Funds					
1	Watershed Development Fund	10849404	0	643375	405335	11087444
2	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	2278606	186721	0	0	2465327
3	Interest Differential Fund - (Tawa)	1000	0	0	0	1000
4	Adivasi Development Fund	57750	0	0	0	57750
5	Tribal Development Fund	7422663	3794318	498253	2947938	8767296
6	Financial Inclusion Fund	20694178	6987335	1329720	4483813	24527420
7	Financial Inclusion Technology Fund	-493427	493427	0	0	0
8	National Bank - Swiss Development Coop. Project	556177	0	0	0	556177
9	RPF & RIF - Off Farm Sector Promotion Fund	565487	0	0	167307	398180
10	Centre for Professional Excellence in Co-operatives (C-PEC)	15591	3458	1278	0	20327
11	MFDEF (Closed fund))	0	32100	0	32100	0
	Total	42095062	12955950	2487230	8586511	48951731
	Previous year	40235056	13971375	2335457	14446828	42095060

2. NABARD is acting as banker/custodian/trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable.

3. (i) includes ₹ 130.21 crore being the income tax paid
(ii) includes ₹ 241.82 crore being the income tax paid

Consolidated Schedule 4 - Government Schemes

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2015	Grant received during the year	Interest Credited to the fund	Refunded / Adjusted against the expenditure	Balance as on 31.03.2016
A.	Government Subsidy Schemes					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	14,440	0	0	10,598	3,842

2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	840	0	0	0	840
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	0	21,481	0	21,009	472
4	Capital Investment Subsidy for Rural Godowns	0	0	0	0	0
5	On-farm Water Management for Crop Production	717	0	0	0	717
6	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	772,615	0	0	0	772,615
7	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh	215	0	17	0	232
8	Cattle Development Programme - Bihar	512	0	40	0	552
9	National Project on Organic Farming	30,306	50,000	0	36,823	43,483
10	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	42,945	0	0	0	42,945
11	Centrally Sponsored Scheme on Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits	217,965	100,248	0	305,124	13,089
12	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	151,130	0	0	-71,740	222,870
13	Poultry Venture Capital Fund	50,065	0	0	196	49,869
14	Poultry Venture Capital Fund (Subsidy)	186,353	381,752	0	458,750	109,355

15	Capital Subsidy for Agriculture Marketing Infrastructure, Grading and Standardisation	0	0	0	0	0
16	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	946,754	6,980,744	0	7,416,702	510,796
17	ISAM - Grant Received for Promotional Expenditure	0	256	0	133	123
18	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	29,872	0	0	13,200	16,672
19	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur, Uttar Pradesh	462	0	36	0	498
20	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Rae Bareili, Uttar Pradesh	123	0	10	0	133
21	CCS - on Pig Development	32,536	0	0	-205	32,741
22	Dairy Entrepreneurship development Scheme	324,325	1,170,000	0	1,111,456	382,869
23	CCS - S & R Male Buffalo calves	126	0	0	-193	319
24	CSS - JNN Solar Mission	55,089	-54,497	0	511	81
25	CSS - JNN SM - Solar Lighting	11,884	1,551,938	0	1,387,783	176,039
26	CSS - Solar Photovoltaic Water Pumping	1,155,422	0	0	96,877	1,058,545
27	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinics & Agri Business Centres	26,703	87,000	0	109,186	4,517
28	CSS MNRE Lighting Scheme 2016	0	204,300	0	0	204,300

29	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	13,374	0	0	-1,086	14,460
B.	Other Government Schemes					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR) 2008	2,781,342	0	0	-53,437	2,834,779
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	1,331,770	0	0	168,953	1,162,817
3	PRUDUCE FUND	1,989,963	0	0	211,667	1,778,296
4	Revival of 23 unlicensed DCCBs	3,033,200	1,112,200	0	3,033,200	1,112,200
5	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	804	0	0	786	18
6	Scheme for providing Financial Assistance to Sugar Undertakings - 2007 (SEFASU - 2007)	6,527	0	0	0	6,527
7	Kutch Drought Proofing Project	2,164	0	0	0	2,164
8	Revival Package for Long Term Co-operative Credit Structure (LTCCS)	200,000	0	0	0	200,000
9	Revival, Reform and Restructure of Handloom Sector					
I	Implementation Cost [RRR - Handloom Package]	0	0	0	0	0
ii	Expenditure on Loss Assessment [RRR - Handloom Package]	12,498	0	0	12,498	0

iii	Recap Assistance [RRR - Handloom Package] to AWCS	891,277	-70,000	0	590,334	230,943
iv	Recap Assistance [RRR - Handloom Package] to PWCS	306,171	-13,405	0	292,766	0
v	Recap Assistance [RRR - Handloom Package] to Individual Weaver	353,072	469	0	146,466	207,075
vi	Technical Assistance [RRR - Handloom Package]	0	13,718	0	13,718	0
vii	HRD [RRR - Handloom Package]	16,720	0	0	0	16,720
viii	Interest Subvention [RRR - Handloom Package]	0	0	0	0	0
10	Comprehensive Handloom Package	14,948	217,119	0	218,953	13,114
	Total	15,005,229	11,753,323	103	15,531,028	11,227,627
	Previous year	8758020	19212894	128	12965813	15005229

2. NABARD is acting as banker/custodian/trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the above funds, pending disbursement/utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable.

Consolidated Schedule 5 – Deposits

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Central Government	0	0
2	State Governments	0	0
3	Others		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	2658060	3008498
	b) Commercial Banks (Deposits under RIDF)	968850314	896033936
	c) Short Term Cooperative Rural Credit Fund	539913000	600000000
	d) ST RRB Credit Refinance Fund	159971000	300000000
	e) Warehouse Infrastructure Fund	35500000	15500000
	f) Long Term Rural Credit Fund	189971000	50000000
	g) Fund for Food Processing Units	1000000	0
	Total	1897863374	1864542434

Consolidated Schedule 6 - Bonds and Debentures

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Tax Free Bonds	50000000	0
2	Non Priority Sector Bonds	291470000	290310000
3	Capital Gains Bonds	12940	12940
4	Bhavishya Nirman Bonds	49742331	49742331
5	NABARD Rural Bond	0	0
	Total	391225271	340065271

Consolidated Schedule 7 – Borrowings

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
	(A) In India		
1	Central Government	122524	196152
2	JNN Solar Mission	145568	358200
3	Reserve Bank of India	0	0
4	Others :		
	(i) Certificate of Deposits	55452040	0
	(ii) Commercial Paper	127710132	28980450
	(iii) Borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligation	0	52806650
	(iv) Term Money Borrowings	15194699	5152400
	(v) Commercial Banks	143186	515038
	(vi) Borrowing against STD	473500	0
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies	7218746	7267827
	Total	206460395	95276717

Out of the above, borrowings under CBLO are secured against Government Securities including Treasury Bills

Consolidated Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Interest / Discount Accrued	88376724	76982522
2	Sundry Creditors	9767347	5842026
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage)	191280	205591
4	Subsidy Reserve - CSAMI under RIDF	5480	22706

5	Provision for Gratuity	16521	1277
6	Provision for Pension	1104736	599344
7	Provision for Encashment of Ordinary Leave	2447103	3182
8	Provision for Medical Benefit - Retired employees a/c [BS]	1168622	1066160
9	Unclaimed Interest on Bonds	17498	17944
10	Unclaimed Interest on Term Deposits	61	68
11	Term Deposits Matured but not claimed	908	2287
12	Bonds matured but not claimed	33679	36314
13	Application money received pending allotment of Bonds	0	0
14	Bonds Premium - Tax Free Bonds	11650	0
15	Provisions and Contingencies		
(a)	Depreciation in Value of Investment a/c - G. Sec.	0	0
(b)	Amortisation of G. Sec. - HTM	64810	48179
(c)	For Standard Assets	10667580	10176126
(d)	Depreciation in value of investments - equity	0	0
(e)	Non-performing assets	327962	74602
(f)	Non-Performing Investments	160000	160000
(g)	Countercyclical Provisioning Buffer	144489	144489
(h)	Sacrifice in interest element of restructured loans	32542	152101
(i)	Provision for Other Assets & Receivables	101037	20300
	Total	114640029	95555217

Consolidated Schedule 9 - Cash and Bank Balances

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Cash in hand	23	4421
2	Balances with :		
	A) Banks in India		
	i) Reserve Bank of India	1505492	20300379
	ii) Other Banks	0	0
	B) Others		
	a) in Current Account	6788643	1567464
	b) Deposit with Banks	155700839	109626836
	c) Remittances in Transit	350780	531
	d) Collateralised Borrowing and Lending Obligations	24915395	1648276
	C) Outside India	0	0
	Total	189261172	133147908

Consolidated Schedule 10 – Investments

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Government Securities		
	a) Securities of Central Government	47962458	30994870
	[Face Value ₹ 4828,78,30,000 (₹ 3133,97,80,000)]		
	[Market Value ₹ 4907,77,65,515 (₹ 3166,61,16,724)]		
	b) Treasury Bills	8364445	53464217
	[Face Value ₹ 887,98,50,000 (₹ 5465,81,75,000)]		
	[Market Value ₹ 836,44,44,755 (₹ 5346,42,17,463)]		
2	Other Approved Securities	0	0
3	Equity Shares in :		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd.	10000	10000
	[1,000 (1,000) - Equity shares of ₹10,000 each]		
(b)	Small Industries Development Bank of India	480000	480000
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	600000	600000
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	8561	12500
	[10,70,096 (15,62,500) - Equity shares of ₹10 each]		
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd.	168750	168750
	[56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(f)	Universal Commodity Exchange Ltd [UCX]	160000	160000
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) Shares of ₹10 each]		
(g)	Indian Financial Technology and Allied Services [Equity]	49	0
	[49 (0) Shares of ₹10000 each]		
(h)	CSC e-Governance Services India Ltd Equity	97460	0
	[55,000 (0) Shares of ₹10000 each]		
(i)	Other Equity Investments		
(i)	Coal India Ltd.	29529	29529
	[77,389 (17,389) - Equity shares of ₹10 each]		
(ii)	Power Grid Corporation of India Ltd.	1583	2573
	[17,592 (28,592) - Equity shares of ₹10 each]		
(iii)	Manganese Ore India Ltd.	4395	4395
	[11,719 (11,719) -Equity shares of ₹10 each]		
(v)	State Bank of India	375425	375424
	[23,98,830 (23,98,880) shares of ₹10 each]		
(vi)	Punjab National Bank	7161	29839
	[36,000 (1,50,000) shares of ₹2 each]		

(vii)	Larsen & Toubro Limited [13,000 shares (13,000) of ₹2 each]	22522	22522
(viii)	Oil and Natural Gas Corporation Ltd. [1,24,800 shares (60,000) of ₹5 each]	42893	26704
(ix)	Steel Authority of India Ltd. [8,58,626 shares (3,58,626) of ₹10 each]	60234	34835
(x)	Bharat Heavy Electricals Ltd. [80,000 shares (80,000) of ₹2 each]	19913	19913
(xi)	Indian Oil Corporation Ltd. [35,000 shares (35,000) of ₹10 each]	12032	12032
(xii)	Maruti Suzuki India Ltd. [10,000 shares (10,000) of ₹5 each]	25549	25549
(xiii)	National Thermal Power Corporation Ltd. [70,000 shares (70,000) of ₹10 each]	10582	10582
(xiv)	Tata Consultancy Services Ltd. [10,000 shares (10,000) of ₹1 each]	23988	23988
4	Debentures and Bonds		
(i)	Special Development Debentures of SCARDBs	49545998	64692423
(ii)	Non Convertible Debentures	4273562	1500877
(iii)	NTPC - Non-convertible Debentures	875	875
5	Others		
(a)	Mutual Fund	46953532	6002909
(b)	Commercial Paper [Face Value ₹21500,00,00,000 (₹1000,00,00,000)]	20721647	9751097
(c)	Certificate of Deposit [Face Value ₹7995,00,00,000 (₹4250,00,00,000)]	78947383	41607919
(d)	SEAF - Indian Agri- Business	92626	83312
(e)	APIDC - Ventures Life Fund III	139347	124869
(f)	BVF (Bio-Tech Venture Fund) - APIDC-V Investment	49835	49835
(g)	Ominovore India Capital Trust	177340	130080
(h)	India Opportunities	102184	73205
(i)	IvyCap Ventures Fund	196000	120000
(j)	Tata Capital Innovation Fund	492386	295125
(k)	TVS Shriram Growth Fund IB	200637	83437
(l)	Golden Gujarat Growth Fund	5000	0
(m)	Investment Earmarked towards EOL	2471931	2576038
	Total	262857812	213600223

All the above investments are made in India

@ The company is valued at Rs.1/-. The provision against the investment is shown under the head Provision against Non Performing Investments Schedule -9 (Refer Note B-35 of Schedule 18)

Consolidated Schedule 11 – Advances

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Refinance Loans		
(a)	Production & Marketing Credit	697188241	887112142
(b)	Conversion Loans for Production Credit	4468997	0
(c)	Other Investment Credit :		
(i)	Medium Term and Long Term Project Loans	835071478	611726719
(ii)	Interim Finance	0	0
(iii)	Direct refinance to DCCBs	32507500	28181668
(iv)	NABARD (Warehousing) Refinance Scheme	0	0
(v)	JNN Solar Mission	62405	132559
2	Direct Loans		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	913841186	835452344
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	23619548	11535018
(c)	Long Term Non-Project Loans	11270853	9992947
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	32388945	22226312
(e)	Loans under Producers' Organisation Development Fund (PODF)	3777682	3548625
(f)	Loans under Credit Facility to Federations [CFF]	49485000	48274500
(g)	Loans under Food Processing Fund	205680	0
(g)	Other Loans:		
(i)	Co-operative Development Fund Programme Loans	8572	12857
(ii)	Micro Finance Development Equity Fund Programme Loans	44379	128110
(iii)	Watershed Development Fund Programme Loans	399715	414501
(iv)	Tribal Development Fund Programme Loans	146391	151130
(v)	KfW UPNRM Loans	987526	1272442
(vi)	Farm Innovation & Promotion Fund Programme Loans	0	0
(vii)	NFS Promotional Activities Programme Loans	0	73616
(viii)	Farmers Technology Transfer Fund	0	2029
(ix)	Off Farm Sector Promotion Activities	412686	124820
(x)	Farm Sector Promotion	4987	17039
(h)	Co-Finance Loans (Net of provision)	31759	95008
(i)	CP - HCC Deemed Advance	0	485918
	Total	2605923530	2460960304

Consolidated Schedule 12 - Fixed Assets

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	LAND : Freehold & Leasehold		
	Opening Balance	1624360	1628333
	Additions/adjustments during the year	118971	-3972
	Sub-Total	1743331	1624360
	Less: Cost of assets sold/written off	0	0
	Closing Balance (at cost)	1743331	1624360
	Less: Amortisation of Lease Premia	512019	490640
	Book Value	1231312	1133720
2	PREMISES		
	Opening Balance	3390933	3043584
	Additions/adjustments during the year	241667	347349
	Sub-Total	3632600	3390933
	Less: Cost of assets sold/written off	0	0
	Closing Balance (at cost)	3632600	3390933
	Less: Depreciation to date	2271980	2155987
	Book Value	1360620	1234946
3	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	617327	574143
	Additions/adjustments during the year	23908	47928
	Sub-Total	641234	622071
	Less: Cost of assets sold/written off	9283	4810
	Closing Balance (at cost)	631952	617262
	Less: Depreciation to date	582190	574322
	Book Value	49762	42939
4	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	990177	912640
	Additions/adjustments during the year	82824	101645
	Sub-Total	1073001	1014285
	Less: Cost of assets sold/written off	34062	28386
	Closing Balance (at cost)	1038939	985899
	Less: Depreciation to date	922212	852827
	Book Value	116727	133072

5	VEHICLES		
	Opening Balance	62659	55433
	Additions/adjustments during the year	41863	18073
	Sub-Total	104522	73506
	Less: Cost of assets sold/written off	22748	10788
	Closing Balance (at cost)	81774	62718
	Less: Depreciation to date	35019	35328
	Book Value	46755	27390
6	Capital Work in Progress [Purchase of Staff Quarters & Office Premises]	835451	706258
	Total	3640627	3278325

Consolidated Schedule 13 - Other Assets

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Accrued Interest	35772803	43428617
2	Deposits with Landlords	26357	43052
3	Deposits with Government Departments and Other Institutions	36170	33875
4	Housing loan to staff	1404451	1547967
5	Other Advances to staff	972913	904587
6	Advances to Landlords	114	104
7	Sundry Advances	764393	588418
8	Provision for Gratuity	0	0
9	Advance Tax (Net of Provision for Income Tax)	3823401	2498533
10	Deferred Tax Assets	1646437	1530623
11	Expenditure recoverable from Government of India / International Agencies.	172858	335805
12	Discount Receivable	1051214	1513772
	Total	45671111	52425354

Consolidated Schedule 14 - Interest and Financial Charges

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Interest Paid on		
a)	Deposits under RIDF	57377886	52925213
b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund	25526753	23143804
c)	ST RRB Credit Refinance Fund	14516488	12719544
d)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	175861	202739

e)	CBS Deposits	736	7733
f)	Deposits/Borrowings	13910	14724
g)	Loans from Central Government	10117	21458
h)	Borrowings from Reserve Bank of India	0	0
i)	Bonds	33305726	29700145
j)	Commercial Paper	9720616	4293209
k)	Term Money Borrowings	650857	240501
l)	Borrowing against ST Deposit	60	270
m)	Discount Cost Paid on Certificate of Deposits	422318	0
n)	Borrowings from International Agencies	259450	276995
o)	Watershed Development Fund	643375	571474
p)	Rural Innovation Fund	0	29968
q)	Financial Inclusion Fund	1329720	1083983
r)	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	260	236
s)	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	0	96
t)	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	1680	123
u)	KfW UPNRM - Accompanying measures	1351	1846
v)	KfW - NB Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra	189	456
w)	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme	0	3806
x)	KfW NB V - Adivasi Project	457	840
y)	Commitment Charges -KfW UPNRM Borrowings	1196	2642
z)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Sultanpur, Uttar Pradesh	36	45
aa)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project -Rae Bareli, Uttar Pradesh	10	12
ab)	Cattle Development Programme (UP & Bihar)	57	71
ac)	Tribal Development Fund	498253	641222
ad)	Centre for Professional Excellence in Co-operatives (C - PEC)	1278	1406
ae)	Warehouse Infrastructure Fund	1213901	879528
af)	Long Term Rural Credit Fund	7000694	1247664
ag)	Fund for Food Processing Units	59875	0
ah)	National Adaptation Fund for Climate Change	10667	0
2	Discount on Collateralised Borrowing and Lending Obligations	1078061	967365
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	354883	91663
4	Capital Loss - Equity Shares of Other Institutions	4229	564
5	Swap Charges	217587	231629
	Total	154398537	129302976

Consolidated Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Salaries and Allowances	7354893	7406057
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	4653011	2513310
3	Other Perquisites & Allowances	391843	319341
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	2906	4521
5	Directors' & Committee Members' Fees	607	500
6	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	361963	329559
7	Travelling Expenses	360695	314148
8	Printing & Stationery	48743	45316
9	Postage, Telegrams & Telephones	136544	126914
10	Repairs	283120	197987
11	Auditors' Fees	4442	4709
12	Legal Charges	15645	19447
13	Miscellaneous Expenses	853441	805162
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	80715	84030
15	Expenditure on Study & Training	623671	530431
16	Wealth Tax	-6697	55454
	Total	15165542	12756886

Consolidated Schedule 15 B - Expenditure on Promotional Activities

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Cooperative Development Fund	153997	117109
2	Farm Innovation and Promotion Fund	0	0
3	Producers' Organization Development Fund	26233	21471
4	Rural Infrastructure Promotion Fund	26042	22935
5	Exp. for NFS Promotional Measures/ Activities	0	15203
6	Activities under FSPF	249093	436372
7	Climate Change	0	63
	Total	455365	613153

Consolidated Schedule 16 – Provisions

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
	Provisions for :		
1	Standard Assets	521336	1242827
2 (a)	Non Performing Assets	757687	65758
2 (b)	Non Performing Assets - staff	147	364
3	Provision for Non performing Investment	0	160000
4	Depreciation in Value of Investment Account - Equity	0	-5928
5	Sacrifice in interest element of restructured Accounts	-119558	-219636
6	Other Assets / Receivable	124378	-39219
7	Amount written off	2221	2887
	Total	1286211	1207053

Consolidated Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(₹ thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	712968	510219
	Sub Total "A"	712968	510219
2	Contingent Liabilities		
(i)	Claims against the Bank not acknowledged as debt	2860	0
	Sub Total "B"	2860	0
	Total (A + B)	715828	510219

Schedule 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

C. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Bank/NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Basis of Consolidation

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Accounting Standard 21 – “Consolidated Financial Statements”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

The excess/deficit of the cost to the Bank of its investment, over the Bank's portion of net assets at the time of acquisition of shares is recognized in Reserves & Surplus.

The Consolidated Financial Statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and events in similar circumstances and necessary adjustments required for deviations, if any to the extent possible, are

made in the consolidated financial statements and are presented in the same manner as the Bank's standalone financial statements. The figures pertaining to the Subsidiary Companies have been recast/reclassified wherever necessary to bring them in line with the parent Bank's financial statements.

The financial statements of the subsidiaries used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank.

The Notes and Significant accounting policies to the Consolidated Financial Statements are intended to serve as a means of informative disclosure and a guide to better understanding of the consolidated position of the Group. In this respect, the Bank has disclosed such notes and policies which fairly present the needed disclosures, and such other notes and statutory conformation disclosed in the financial statements of the parent and the subsidiary companies which are not having any effect on the true and fair view of the Consolidated Financial statements are excluded.

The financial statements of the Bank and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions. The unrealized profits or losses resulting from the intra-group transactions have been eliminated and unrealized losses resulting from the intra-group transactions have also been eliminated unless cost cannot be recovered.

Share of minority interest in the net profit of the consolidated subsidiaries is identified and adjusted against the profit after tax to arrive at the net income attributable to shareholders. Share of minority interest in losses of the consolidated subsidiaries, if exceeds the minority interest in the equity, the excess and further losses applicable to the minority, are adjusted against the Group's interest.

Share of minority interest in net assets of consolidated subsidiaries is presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and the equity of the company's shareholders.

3. The consolidated financial statements present the accounts of the Bank with its following subsidiaries:

Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership (%)	
		2015-16	2014-15
NABKISAN Finance Ltd. (formerly known as "Agri Development Finance (Tamilnadu) Ltd." (ADFT))	India	86.22	78.29
Agri Business Finance (AP) Ltd. (ABFL)	India	84.03	72.46
NABARD Financial Services Limited (NABFINS)	India	67.01	67.01
NABARD Consultancy Pvt. Ltd. (NABCONS)	India	100	100

4. Use of Estimates:

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge, the actual results could differ for these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

5. Revenue recognition:

- 5.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

- Interest on non-performing assets identified as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- Service Charges on loans given out of various Funds.
- Expenses not exceeding ₹10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.

- 5.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Papers. Issue expenses relating to floatation of bonds are recognized as expenditure in the year of issue of Bonds.

- 5.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.
- 5.4 Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.
- 5.5 Income from Venture Capital funds is accounted on realization basis.
- 5.6 Provision for Wealth Tax is made, in accordance with the provisions of Wealth Tax Act, 1957.
- 5.7 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:
- v) penal interest
 - vi) cost & charges
 - vii) overdue interest and interest
 - viii) Principal
- 5.8 Interest from the term loan disbursed and interest from banks are recognized on time proportion basis taking into account amount outstanding and the rate applicable.
- 5.9 Income from services
- 5.9.1 Income from Assignments: Income from assignments constitute the main source of income for the Company (NABCONS). Recognition of revenue and corresponding expenses incurred on particular assignments are taken into account at the time when the assignment are completed. An assignment is treated as completed
- in case of preparation of DPR as soon as the draft report has been issued to the party.
 - in case of big assignments where execution is spread over to more than one year, the income has been recognized based on the milestones completed and deliveries effected.
 - in case assignment is a time bound contract for more than a year income is recognized in proportion to period completed.
- 5.9.2 In case of foreign assignments, the income has been recognized as soon as the assignment is executed.
- 5.9.3 As per the view taken by the management, the assignments which are not likely to be continued were closed on “as is where is” basis and the amount received thereon has been treated as income.
- 5.9.4 An advance received on progressive basis for ongoing assignments is shown as a separate item as advance received from clients and treated as current liability. The expenses incurred on such assignments are shown as current assets.
- 5.9.5 In respect of Pass through and monitoring agency assignment, as per terms of agreement, NABCONS is entitled to deduct 1.5% of the amount released at the time of release of each installment towards professional fees. The income has been recognized at the time of release of each instalment amount.
6. Fixed Assets and Depreciation
- j. Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.
 - k. Land includes free hold and leasehold land.
 - l. Premises include value of land, where segregated values are not readily available.
 - m. Depreciation on premises situated on free hold land is charged at 10% p.a., on written down value basis.
 - n. Depreciation on leasehold land and premises situated thereon is computed and charged at 5% on written down value basis or the amount derived by amortizing the premium/cost over the remaining period of leasehold land, on straight-line basis, whichever is higher.
 - o. Fixed Assets costing ₹1 lakh and less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more than ₹10,000/-. All software costing ₹1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.
 - p. Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

- q. Depreciation is charged for the full year, irrespective of the date of purchase of asset. No depreciation is charged in the year of sale.
- r. Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.
- s. In case of following subsidiaries the depreciation on fixed assets is provided on following basis

Name of the Subsidiary	Method of Depreciation
NABKISAN Finance Ltd. (formerly known as “ Agri Development Finance (Tamilnadu) Ltd.”(ADFT))	WDV as per Schedule XIV
Agri Business Finance (AP) Ltd. (ABFL)	WDV as per Schedule XIV
NABARD Financial Services Limited (NABFINS)	SLM as per Schedule XIV
NABARD Consultancy Pvt. Ltd. (NABCONS)	WDV as per Schedule XIV

7. Investments

- f) In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”).
- g) Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as “HFT”. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as “HTM”. Securities which are not to be classified in the above categories are classified as “AFS”.
- h) Investments classified under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category “HTM” is made, wherever necessary. Provision for diminution/amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.
- i) Profit on redemption of investment categorized under “HTM” is recognized in Profit & Loss A/c and then transferred to Reserve A/c.
- j) Investments under “AFS” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Primary Dealers Association of India (PDAI), jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as “AFS” and appreciation is ignored. The book value of the individual scrip are not changed after the revaluation.
- f) Investments under “HFT” are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Primary Dealers Association of India (PDAI), jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Depreciation/appreciation is recognized in the category for investments classified as “HFT”. The book value of the individual scrip are changed after the revaluation.
- g) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.
- h) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.
- i) Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Accounts of the investee companies are available, or at ₹1/- per Company as per RBI guideline.
- j) Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.
- k) Brokerage, paid on acquisition/disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.

- l) Broken period interest paid/received on debt investment is treated as interest expenses/ income and is excluded for cost/sale consideration.
 - m) Transfer of a security between the categories is accounted for, at lower of the acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer, is fully provided for.
 - n) Amortization/Gain/Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.
 - o) Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.
8. Advances and Provisions thereon
- a) Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.
 - e) In case of restructuring/rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.
 - f) Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.
 - g) Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the respective funds to the extent available.
9. Foreign Currency Transactions
- As per Accounting Standard (AS-11) (Revised 2003) on Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates issued by the Institute of Chartered Accountants of India; following accounting treatment is given to foreign exchange transactions:
- c) Assets and liabilities in foreign currency, are revalued at the exchange rate notified by Reserve Bank of India (using FEDAI rates till last year) as at the close of the year and disclosed as a contra item in the Balance Sheet (as off Balance Sheet item). The liability towards foreign currency borrowings is fully hedged and stated in the Balance Sheet at the contracted value (as off balance sheet item).
 - d) Income and Expenditure items are translated at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
10. Accounting for Foreign Exchange Contracts
- d) Foreign Exchange Contracts are to hedge the repayment of foreign currency borrowings.
 - e) The foreign exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the year end. The resultant gain/loss on revaluation is recognised in the Profit & Loss Account under the head Gains/Loss on revaluation of Forward Exchange Contract Account. Premium/ discount are accounted over the life of the contract.
 - f) The Profit / Loss on cancellation and renewal of foreign exchange contracts are recognised in Profit and Loss Account under the head 'Profit / Loss on Foreign Currency Loan Account'.
11. Employee Benefits
- All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provisions for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, are carried out at each balance sheet date.
- d) Short Term Employee Benefits:
The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.
 - e) Post Retirement Benefits:
 - i) Defined Contribution Plan
The Bank has a Provident Fund Scheme in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is managed by RBI. Contribution is recognized on accrual basis.

The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the "NPS- Corporate Sector Model", a defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.

ii) Defined Benefit Plan

- a. Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.
- b. Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

iii) Other Long Term benefits

All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences. All the eligible employees are also eligible for post-retirement medical benefits. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

12. Taxes on Income

- a) Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments/appeals.
- b) Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.
- c) Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.
- d) Tax paid/provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.

13. Segment Reporting

- a) Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with/allocable to the segment.
- b) Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank income".
- f) Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".
- d) Segment Assets and Liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Assets and Liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

14. Impairment of Assets

- a) As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:
 - i) the provision for impairment loss, if any, required; or
 - ii) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.
- b) Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

15.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

- a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;
- b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
- c) the amount of the obligation can be reliably estimated.

15.2 Contingent liability is disclosed in the case of:

- a) a possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,
- b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and

c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.

15.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.

15.4 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

16. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand, demand deposits with banks and other short-term investments with an original maturity of three months or less.

B. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

25. In accordance with the direction of the Board of Directors, the bank had carried out reclassification of various funds in the Schedules of the Balance Sheet and combined the Schedules 3, 4 & 5 into two schedules viz; 3 & 4 and accordingly presented the same in the current year's financial statements.

26. With a view to separately disclose the provisions made by the bank, the provisions hitherto disclosed as part C of Schedule 16 has been disclosed in a separate Schedule viz; Schedule 16, and the Establishment & Other Expenses and Expenditure on Promotional Expenditure hitherto forming Part A and B of Schedule 16 has been presented as Part A and B of Schedule Schedule 15.

27. In accordance with the instruction issued by Reserve Bank of India vide letter No. DCBR.RCBD.BPD.No.4/19.51.010/2015-16 dated 15 October 2015, the Financial Inclusion Technology Fund (FITF) and Financial Inclusion Fund (FIF) have been merged to form a single fund viz; Financial Inclusion Fund. Accordingly the expenditure of erstwhile FITF are accounted as the expenditure of FIF.

28. In terms of the agreement with Kreditanstalt Fur Wiederaufbau - German Development Bank (KfW), accretion/income and expenditure under UPNRM have been charged to the fund. The loans granted out of this fund have been classified as direct loans and disclosed under Schedule 12. The borrowing related to the UPNRM are classified as borrowing from international agencies and disclosed under Schedule 8.

During the year, a sum of ₹ 16.36 crore towards NPA for loans granted under KfW UPNRM Scheme and the same has been charged to Profit & Loss Account.

29. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements/as approved by the management. The details of rate of interest for respective funds are as under:

Sr No	Name of the Fund	Rate of Interest for 2015-16	Rate of Interest for 2014-15
1.	Watershed Development Fund	6%	6%
2.	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan)	6%	6%
3.	KfW Accompanying Measures	6%	6%
4.	National Adaptation Fund for Climate change	6%	6%
5.	Tribal Development Fund	6%	6%
6.	Financial Inclusion Fund	6%	6%
7	KfW NB- V Adivasi Development Programme-Gujrat	6%	6%
8.	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	7.88%	10.80%
9	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	7.88%	10.80%
10	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	7.88%	10.80%
11	KfW NB- IX- Adivasi Development Programme-Maharashtra	--	10.80%

30. Recoverable from Government of India/International Agencies (Refer Schedule-14 of Balance Sheet) includes ₹33.58 crore (₹24.69 crore) being debit balance of various funds. The details of such funds are as under:

(₹ crore)

Sr No.	Name of the Fund	31-03-2016	31-03-2015
1	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh)	---	0.09
2	KfW- NB IGWDP (Rajasthan)	5.31	2.01
3	IFAD- Priyadarshni Programme	---	6.80
4	GIZ UPNRM- Technical Collaboration	---	0.20
5	KfW UPNRM Fund	11.44	---
6	KfW UPNRM- Financial Contribution	0.39	0.62
7	Implementation Cost [RRR - Handloom Package]	---	8.55
8	Interest Subvention [RRR - Handloom Package]	---	13.63
9	Technical Assistance [RRR - Handloom Package]	---	1.37
10	IFAD-MRCP	---	0.06
11	Others	0.15	0.25

31. Sundry creditors includes ₹32.12 crore (₹35.50 crore) being amounts outstanding to contributors in respect of Micro Finance Development and Equity Fund (MFDEF), which was closed in the earlier year. Details of the same is as under:

(₹ crore)

Particulars	Opening Balance as on 01 April 2015	Excess contribution by NABARD Transferred to Reserve Fund	Withdrawn towards provision for NPA	Closing Balance as on 31 March 2016
1	2	3	4	5 [2-(3+4)]
Sundry Creditors- MFDEF	35.50	3.21	0.17	32.12

32. Pursuant to the directions of RBI, the relative margin available to the Bank in excess of 0.5 percent in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Short Term Co-operative Rural Credit Refinance Fund (STCRC) deposits, Short Term RRB Credit Refinance Fund (STRRB) deposits and Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits, placed by the Commercial Banks is credited to Tribal Development Fund and Financial Inclusion Fund as per directions of Reserve Bank of India. Previous year, the amounts were credited to Tribal Development Fund, Watershed Development Fund and Financial Inclusion Fund.
33. The Bank has created to new funds out of its post tax profits viz; Gramya Vikas Nidhi and Climate Fund with a corpus of ₹ 20.00 crore and ₹ 5.00 crore respectively.
34. In Financial Year 2015-16 tax on proposed dividend is being used to calculate profit available for appropriation. Previous year figure of ₹ 12.46 lakhs pertaining to tax on proposed dividend has not been regrouped.
35. Subvention received/receivable from Government of India (GOI) under Seasonal Agricultural Operations (SAO) amounting to ₹1353.14 crore (₹1416.37 crore) and ₹17.12 crore (₹17.11 crore) under National Rural Livelihood Mission (NRLM) respectively, being the difference between the cost of borrowing by NABARD and the refinance rate, has been reduced from interest and financial charges and shown as accrued interest and disclosed under Schedule 14.
36. Other receipts includes ₹168.43 crore (₹162.62 crore) received/receivable from GOI towards administration charges on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural Operations and under NRLM scheme.

37. The salaries and allowances of the employees of the Bank are reviewed every five years. The review is due from 01 November 2012. Pending such settlement an amount of ₹150.00 crore (₹135.00 crores) has been provided under the head "Salary and Allowances" during the year.
38. The Bank, during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for taxes on Income", recognized in the Profit and Loss Account the deferred tax of ₹11.06 crore (₹35.70crore). The details of the deferred tax are as under:

(₹crore)

Sr. No.	Deferred Tax Assets	31 March 2016	31 March 2015
1	Provision allowable on payment basis	124.97	117.71
2	Depreciation on Fixed Assets	37.55	33.75
	Total	162.52	151.46

Provision for Deferred Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

39. The tax liability of the Bank for the Assessment Year 2002-03 amounting to ₹373.15 crore was assessed by the Income Tax Department. The Bank has provided and paid the said liability. However, the Bank has filed an appeal against the order of the CIT Appeals with the Income Tax Appellate Tribunal.
40. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year 2006-07, during the FY 2011-12. An amount of ₹343.21 crore has been added to the income of the bank during the reassessment of the income. Out of the above,
- (a) An amount of ₹132.08 crore has been made on account of differential interest accounted under the RIDF which was credited to Watershed Development Fund in terms of the RBI directions.
- (b) Further, an amount of ₹211.13 crore has been added to the income on other accounts. In the opinion of the management, in respect of these additions, there is remote possibility of any tax outflow. The Bank has filed an appeal against the above order with CIT-Appeals and also a rectification application with Assessing Officer. Pending the outcome of the appeal/rectification application, the bank had accounted the tax including interest amounting to ₹97.83 crore under the head Watershed Development Fund as an expenditure of the fund, in accordance with the resolution of the Board.

The bank has paid an amount of ₹162.16crore out of the total demand of ₹254.22 crore by way of adjustment of refund of taxes of previous years and preferred an appeal with CIT (A) against the re-opening of the assessment. The CIT (A) vide his order dated 26 February 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.

41. During the Reassessment of the income for the Assessment Year 2007-08 (reopened during 2011-12) an additional tax liability of ₹157.47 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF. The Bank has paid the said liability wherein Rs.27.46 crore has been charged to Tribal Development Fund during the current year. However, the Bank had filed an appeal against the above order with CIT- Appeals. During the year 2015-16, the CIT (A) vide his order dated 30 March 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.
42. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year 2008-09 during the Financial Year 2012-13 and additional tax liability of ₹174.59 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC. The Bank has paid said liability in prior years and preferred an appeal against the above order with CIT- Appeals. During the year 2015-16, the CIT (A) vide his order dated 30 March 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.
43. Income Tax Department had reopened the assessment for the Assessment Year 2009-10 during the Financial Year 2012-13 and raised a demand of ₹256.90 crore due to RIDF differential interest and other disallowances which has been paid by the bank in prior years and preferred an appeal with CIT(A) against the re-opening of the assessment. During the year 2015-16, the CIT (A) vide his order dated 30 March 2016 has upheld NABARD's appeal and ruled against the reopening of completed assessment by IT department.
44. During the Assessment of the income for the Assessment Year 2010-11 a tax liability of ₹313.07 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC and others. The Bank has paid the liability in prior years. The Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals. The tax amount of ₹276.66 crore was accounted under Tribal Development Fund during FY 2012-13. During the year 2015-16, CIT (A) vide his order dated 26 February 2016 upheld our appeal for non-levy of income tax on differential interest accounted under the RIDF/STCRC.

45. During the Assessment of the income for the Assessment Year 2011-12 a tax liability of ₹424.95 crore was assessed on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC and others. The Bank has paid the liability in prior years. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals.
46. The Income Tax Department, for the Assessment year 2012-13, has made an addition of ₹1002.68 crore on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC which was credited to Tribal Development Fund in terms of the RBI directions. Further, an amount of ₹145.90 crore has been added to the income of the Bank on account of disallowance of expenditure on promotional activities and other disallowances. The Bank has paid the liability in prior years. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals.
47. During the year, the Income Tax Department, for the Assessment year 2013-14, has made an addition of ₹1156.05 crore on account of differential interest accounted under the RIDF/STCRC which was credited to Tribal Development Fund in terms of the RBI directions. Further, an amount of ₹20.56 crore has been added to the income of the Bank on account of disallowance of expenditure on promotional activities and other disallowances. However, the Bank has filed an appeal against the above order with CIT- Appeals.
48. Free hold land and lease Land' and 'Premises' include - ₹19.58 crore (₹29.87 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed. Subsequent to the date of the Balance Sheet, conveyance in respect of Staff Quarters valuing to ₹3.58 crores have been executed.
49. Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(₹crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	40.00 (40.00)	40.22 (37.26)
Pledged for Business Segment (Collateralised Borrowing and Lending Obligation)	4892.86 (3086.00)	4810.12 (3054.17)

50. The market value of all investments held by NABARD under Held to Maturity (HTM) category was ₹3302.79 crore against the book value of ₹2537.61 crore. Out of this, the market value of investment in Venture Capital Fund was ₹124.45 crore against the book value of ₹121.05 crore. Accordingly, the excess of book value over market value was ₹3.40 crore for which no provision was made as per RBI guidelines.

51. Non performing investments:

(₹crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance as at the beginning of financial year	16.00	0.00
Addition during the year	0.00	16.00
Reduction during the above period	0.00	0.00
Closing balance as on 31 March 2016	16.00	16.00
Total Provision held	16.00	16.00

Investment of ₹ 16.00 crore in Universal Commodity Exchange Limited (UCX) is treated as an Non Performing Investment as the company was barred from operating as a Commodity Exchange following Forward Markets Commission (FMC) directive in July 2014. As per the RBI guidelines the investment in the company is valued at ₹ 1/-.

33. The movement in Contingent Liability as required in AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” is as under:

(₹crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance	0.00	0.00
Addition during the year	0.29	0.00
Deletion during the year	0.00	0.00
Closing Balance	0.29	0.00

28. Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(₹crore)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1.	Income	0.01	0.09
2.	Revenue Expenditure	0.02	-0.04
3.	Post-Retirement Medical Benefits	0.00	0.00
4.	Fund Expenditure	0.00	0.00
Total		-0.01	0.05

29. Information on Business Segment

(a) Brief Background

The Bank has recognized Primary segments as under:

- Direct Finance: Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/non-governmental organizations for developmental activities and other direct loans to Co-operative Banks etc.
- Refinance: Includes Loans and Advances given to State Governments, Commercial Banks, SCARDBs, StCBs Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.
- Treasury: Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.
- Unallocated: Includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and expenditure incurred for the developmental role of the bank and common administrative expenses.

(b) Information on Primary Business Segment

(₹crore)

	Direct Finance	Refinance	Treasury	Unallocated	Total
Segment Revenue	7087.17 (6323.87)	10894.96 (9253.43)	2813.80 (2219.21)	68.95 (119.92)	20864.88 (17916.43)
Segment Results	888.59 (709.21)	1582.79 (1898.80)	2680.89 (2080.64)	-1445.01 (-1210.06)	3707.26 (3478.59)
Total carrying amount of Segment Assets	106434.98 (96397.67)	162734.93 (160754.36)	39740.50 (26302.81)	1825.01 (2646.68)	310735.42 (286101.52)
Total carrying amount of Segment Liabilities	102683.19 (93103.87)	158998.38 (152408.75)	16269.13 (10415.80)	32784.73 (30173.10)	310735.42 (286101.52)

Other Items:					
Cost to acquire Segment Assets during the year	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	51.18 (55.47)	51.18 (55.47)
Amortization & Depreciation	0.79 (0.68)	0.00 (0.00)	1.66 (1.24)	26.26 (49.15)	28.72 (51.07)
Non Cash Expenses	107.20 (54.74)	18.75 (54.05)	0.00 (15.43)	250.09 (231.20)	376.04 (355.42)

(c) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

30. Figures in brackets pertain to previous year.

31. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

As per our attached report of even date
 Vyas & Vyas
 Chartered Accountants
 Firm Registration No.000590C

O P Vyas
 Partner
 Membership No.014081
 Mumbai
 23 May 2016

A K Sahoo
 Chief General Manager
 Accounts Department

Harsh Kumar Bhanwala
 Chairman

R Amalorpavanathan
 Deputy Managing Director

H R Khan
 Director

Anup Kumar Dash Director

K Sayeed Ali
 Chief General Manager

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Cash flow for the year ended 31 March 2016

(₹ thousands)

Particulars	2015-16	2014-15
(a) Cash flow from Operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax	37,072,607	34,785,877
Adjustment for:		
Depreciation	270,526,246	498,258
Provisions and Amortisations	126,599	-42,259
Provision for Non performing Assets	757,834	66,122
Provision for Standard Assets	521,336	1,242,827
Provision for sacrifice in interest element of Restructured Loan	-119,558	-219,636
Profit / Loss on sale of Fixed Assets	-2,034	-199
Interest credited to various Funds (including addition/ adjustment made to Interest Differential Fund)	2,487,334	2,522,998
Income from Investment (including Discount Income)	-28,121,400	-22,310,452
Operating profit before changes in operating assets	283,248,964	16,543,535
Adjustment for changes in working capital :		
(Increase) / Decrease in Current Assets	19,873,364	4,346,609
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	8,587,307	-6,844,283
Increase in Loans and Advances (Including Housing Loan & Other Advances to Staff	-146,122,838	-331,932,569
Cash generated from operating activities	165,586,797	-317,886,708
Income Tax paid - Net of refund	-12,950,974	-12,063,788
(Out of above ₹ 372.03 crore paid on account of taxability of RIDF/ STCRC differential debited Tribal Development / Financial Inclusion Fund)		
Net cash flow from operating activities (A)	152,635,823	-329,950,496
(b) Cash flow from Investing activities		
Income from Investment (including Discount Income)	28,104,769	22,298,053
Purchase of Fixed Asset	-270,952,607	-544,354
Sale of Fixed Assets	66,094	43,983
Increase / Decrease in Investment	-97,890,996	44,345,823
Net cash used / generated from investing activities (B)	-340,672,740	66,143,506
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	611,203	6,014,610
Proceeds of Bonds	51,160,000	-22,077,036
Increase / (Decrease) in Borrowings	111,183,677	85,063,782
Increase / (Decrease) in Deposits	33,320,939	210,082,811
Tax on Dividend	-1,199,640	-1,020
Increase in Share capital	3,000,000	3,000,000
Net cash raised from financing activities (C)	198,076,179	282,083,147

Net increase in cash and cash equivalent (A)+(B)+(C)	10,039,262	18,276,157
Cash and Cash equivalent at the beginning of the year	23,521,071	5,244,914
Cash and cash equivalent at the end of the year	33,560,333	23,521,071

1. Cash and cash equivalent at the end of the year includes :	2015-16	2014-2015
Cash in hand	23	4,421
Balance with Reserve Bank of India	1,505,492	20,300,379
Balances with other Banks in India	6,788,643	1,567,464
Remittances in Transit	350,780	531
Collateralised Borrowing and Lending Obligations	24,915,395	1,648,276
Total	33,560,333	23,521,071

As per our attached report of even date

Vyas & Vyas
Chartered Accountants

O P Vyas
Partner
Membership No.014081
Mumbai
Date : 23 May 2016

A K Sahoo
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai
23 May 2016

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

R Amalorpavanathan
Deputy Managing Director

H R Khan
Director

Anup Kumar Dash
Director

K Sayeed Ali
Chief General Manager

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]